खण्ड-221, अंक-2
गुरूवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1883
(30 मार्च, 1961 ई0)

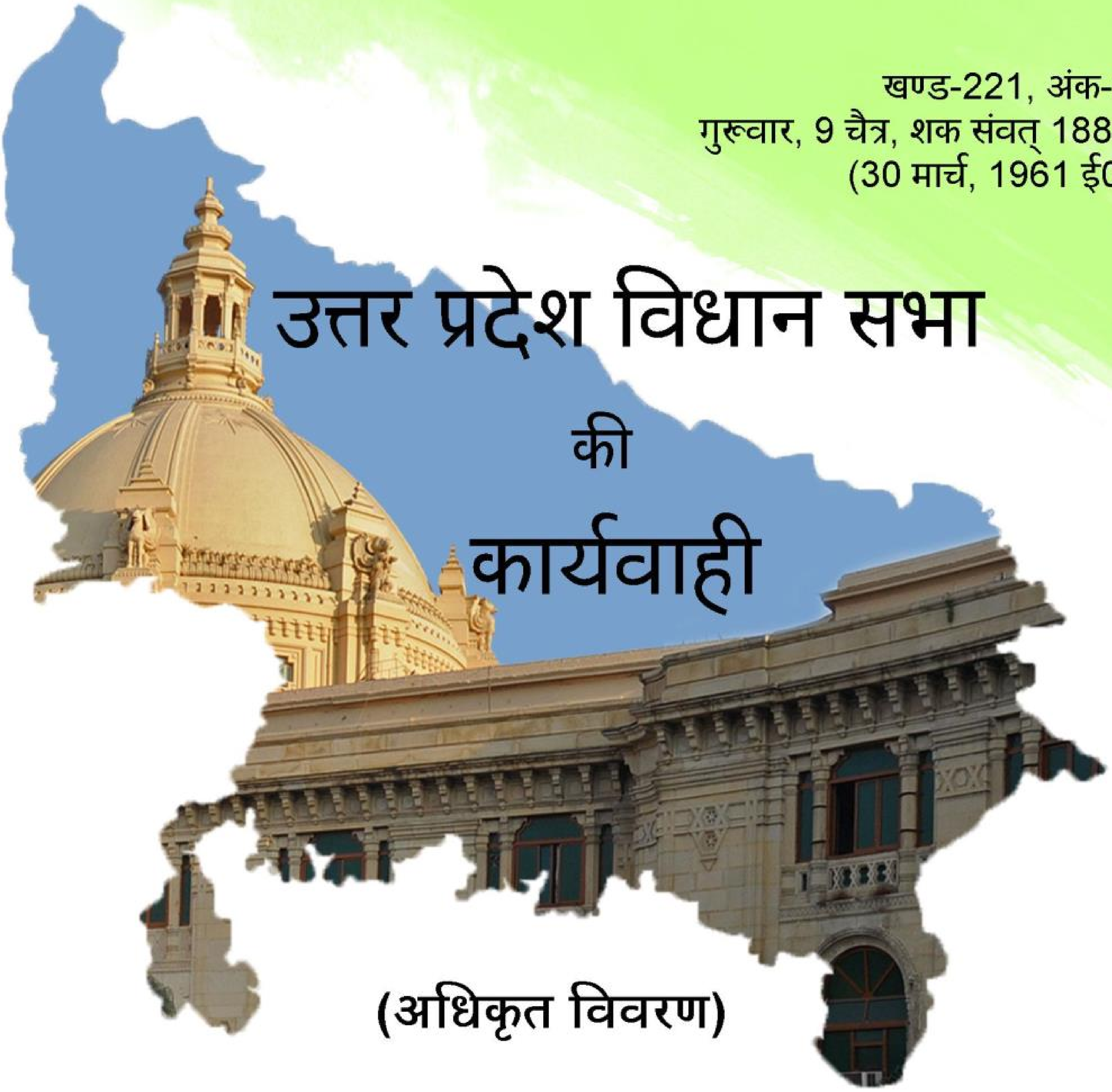

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ३० मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुललतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद श्री,
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबा
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महदेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्रशर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ , श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमदअन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ३० मार्च, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को डेफिसिट ग्रान्ट न मिलना

**१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सरकार द्वारा Deficit grant (आमदनी व खर्च के बीच में जो अन्तर हैं उसे पूरा करन के लिये) न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्यक्ष अनुदान देने के लिये इस वर्ष के बजट में जो प्राविधान था उसमें कोई बचत न होने के कारण ।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पिछले ५० सालों से एक वर्ष भी ऐसा नहीं हुआ जबकि डेफिसिट ग्रांट किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को न दी गई हो, उसको समय से बढ़ाने के लिये सरकार ने उपाय क्यों नहीं किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस डेफिसिट ग्रांट का अलग प्राविजन नहीं होता है । जो हमारा बजट होता है अनुपालन अनुदान का उसमें से दिया जाता है और रुपया बच जाने पर जितनी कमी होती है, दे दिया जाता है । इस वर्ष रुपया नहीं बच सका ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब रुपया नहीं बचता है तो भविष्य के लिये सरकार विचार कर रही है कि या तो मांग बढ़ाये या अलग से प्राविधान करे ?

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे जो अगले वर्ष की मांग है वह सदन के सामने आ चुकी है । इस वर्ष कुछ दिक्कत हो गई थी । नये वेतनक्रम लागू हुये थे इसलिये अनुदान बढ़ गया था और डेफिसिट ग्रांट के लिये रुपया नहीं रह सका और भविष्य में यदि सम्भव हो सकेगा तो दिया जायगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इस अनुदान के न मिलने से कमी हुई है उसको पूरा करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ३०८ के अन्तर्गत अनुपालन अनुदान दिया जाता है। उसका नियम यह है कि स्वीकृत आय तथा व्यय का अन्तर या वार्षिक स्वीकृत व्यय का आधा, इनमें से जो कम हो, वह अनुपालन अनुदान के रूप में दिया जाता है। साधारणतया यह आशा की जाती है कि बाकी का पाठशाला मीट कर लेगी। लेकिन ऐसी बातें आई हैं जबकि कुछ खर्च ज्यादा हो जाता है। जो अस्वीकृत आइटम्स होते हैं उनके अलावा खर्च कर देते हैं जिससे कमी हो जाती है, और भी कारण हो सकते हैं। श्रीमन्, चार लाख रुपया दिया गया था। इस वर्ष जो अनुदान था वह २,२२,७०,६०० रुपये का था और नान-रेकरिंग १७ लाख का है तो इसके मुकाबिले में ४ लाख की कोई खास बात नहीं है। इस वर्ष अनुदान में बचत न होने से नहीं मिल सका।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, इस वर्ष डेफिसिट ग्रांट न देने से जिन माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है और हमारे पास इस सम्बन्ध में कई पत्र आये हैं, हमने मंत्री जी को भी लिखा है, तो सरकार इसकी व्यवस्था करने की क्या योजना बना रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मैंने जैसा कि निवेदन किया, शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ३०८ में जैसा लिखा है उसके अनुसार हम ग्रांट देते हैं। मैंने अर्ज किया कि ४ लाख की ही ग्रांट दी जाती है। यह अनुदान साधारणतया सभी संस्थाओं को नहीं दिया जाता है।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि एजूकेशनल कोड की दफाओं के अन्तर्गत ऐसा एक फीसदी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है जिसमें ५० फीसदी तक कुल व्यय का और आमदनी का अन्तर पूरा करने के लिये देते हों ? माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह गालिबन अज्ञानवश ऐसी बात कह दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, नियम बने हुये हैं। उनमें यह है कि स्वीकृत आय तथा व्यय का अन्तर या वार्षिक स्वीकृत व्यय का आधा, इनमें से जो कम हो यह दिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--डेफिसिट का मतलब यह है कि जो खर्चा है उसका ५० प्रतिशत सरकार की तरफ से प्रदेश के विद्यालयों को दिया गया या नहीं, क्या इसको माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो निवेदन कर दिया कि जैसा नियम है उसके अनुसार अनुदान दिया गया है। मुमकिन है कि किसी विद्यालय में डेफिसिट चल रहा हो। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि प्रदेश में कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनको जितना अनुदान गत वर्ष दिया गया था गलती से इस वर्ष उससे कम दिया गया, पार साल ५ हजार अनुदान था और इस साल ३ हजार है, यद्यपि उनकी छात्र संख्या उतनी ही है और उनका रिजल्ट ८० प्रतिशत है, तो उस कमी को इस साल पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह आप का प्रश्न नोट किया गया।

साम्प्रदायिक दंगों के उन्मूलन के लिये प्रार्थना

****२--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के उन्मूलन हेतु कोई विशेष योजना बना रही है और क्या उन्हें भारत सरकार के गृह विभाग से कोई सलाह इस सम्बन्ध में मिली है ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)—ऐसी कोई विशेष योजना शासन के विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार से भी शासन को इस सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं मिली है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपने प्रदेश में जो दंगे बढ़ रहे हैं, कहीं बारूद पकड़ी जाती है, कहीं कुछ होता है, इससे प्रदेश को खतरा बढ़ रहा है, अगर वह इसको मानते हैं तो क्या वह उचित नहीं समझते हैं कि कोई योजना शीघ्र बनायी जाय ? क्या सरकार इस पर विचार करगी ?

श्री चरणसिंह—मैंने यह अर्ज किया कि इस वक्त कोई योजना विचाराधीन नहीं है। बाकी यह सारा प्रश्न जो है इस पर बहुत गहन विचार हो रहा है कि इसके क्या कारण हैं और उसका किस प्रकार मुकाबला किया जाय, जो यह स्थिति पैदा होती दिखायी देती है। वैसे स्थिति इतनी गम्भीर या एक्साइटमेंट पैदा करने वाली नहीं है जैसा कि माननीय मित्र के सवाल से जाहिर होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि आज के समाचारपत्रों में, जहां पर, केन्द्र के गृह मंत्री ने कहा है कि साम्प्रदायिक दंगों को दमन करने के लिये वह विशेष कार्यवाही करने जा रहे हैं, इस बात को देखते हुये वह स्पष्ट करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है जिससे भविष्य में दंगे न हों ?

श्री चरणसिंह—मैं तो जवाब दे चुका। सिवा अखबारों में जो मैंने पढ़ा या माननीय मित्रों ने पढ़ा है, गवर्नमेंट के पास कोई इत्तला केन्द्रीय सरकार से नहीं आयी है, न उन्होंने हमें अब तक कोई सलाह दी है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में जो दंगे हुये हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप किसी खास दंगे के बारे में पूछें तो कोई बात भी है। दुनिया भर की बात पूछें तो म इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने कहा कि गहन विचार हो रहा है तो गहन विचार के लिये कोई कमेटी बैठी है या गहन विचार किस रूप में हो रहा है, इसको कुछ वह स्पष्ट करेंगे ?

श्री चरणसिंह—मुहकमा ही इस पर गहन विचार कर रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना भी है कि जिससे साम्प्रदायिक भावना को कम कर सकें और राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर सकें, अर्थात् प्रिवेंटिव मेजर्स पर न जाकर के सरकार रचनात्मक उपाय कोई कर रही है ?

श्री चरणसिंह—इस सिलसिले में कोई विशेष योजना तो नहीं है। यह है है कि राष्ट्रीय भावना बढ़े, इसके लिये हमारे एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के जरिये जो पुस्तकें स्वीकार की जाती हैं, मैं समझता हूं कि उसमें इस तरह के पाठ रखे जाते हैं कि जिससे राष्ट्रीय भावना बढ़े, अगर्चे मैंने कोई पुस्तक विशेष देखी नहीं है। इसके अलावा जो हमारा कांस्टीट्यूशन है, जिस तरह से वह काम करता है, जिस तरह से हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी काम कर रही है, जो गवर्नमेन्ट की नीतियां हैं, जो हमारी विचारधारायें हैं, सारी पोलिटिकल पार्टीज, एक दो को छोड़कर, सब इस बात में लगी हुई हैं कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति अपने देश में प्रबल हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी ने जो फरमाया कि इस पर सरकार काफी चिंतित है और गहरा अध्ययन कर रही है, तो क्या सरकार अपने आज तक के अध्ययन से ऐसा भी समझती है कि कुछ बाहर के लोग यहां आ गये हैं जिनकी कि अवधि खत्म हो गई है काफी दिनों से और वह पूजा स्थलों में जा जाकर के कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे दंगे बढ़ रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने संकेत किया था, पहली बात तो मैं यह नहीं मानता कि दंगे बढ़ रहे हैं। कौन से दंगे हुये हैं? यहां पडरौना में कुछ हुआ बहुत छोटे पैमाने पर, वह कोई बाकायदा वलवा नहीं कहा जा सकता। एक वर्ग ने दूसरे वर्ग की कुछ झोपड़ियां वगैरह जला दीं। दूसरा अब यह मुरादाबाद में हुआ। तो गवर्नमेन्ट मशीनरी ने जिस तत्परता और जिस एफिशियेंसी के साथ वहां काम किया है, किसी माननीय मित्र को स्वीकार हो या न हो, लेकिन उसका जनरल ऐकनालेजमेंट है पब्लिक की तरफ से। तो कोई दंगे बढ़ नहीं रहे हैं। फीरोजाबाद की कई महीने की बात हो गई, तो मैं यह नहीं मानता हूं कि कोई खास दंगों की तादाद अपने प्रदेश में बढ़ रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नई बाजार भदोही में दीवार गिरने से दुर्घटना

*१—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—क्या सरकार को पता है कि तारीख २१ अगस्त, १९६० को नई बाजार भदोही (वाराणसी) में श्री अब्बास वजीर प्रा० लिमिटेड की एक इमारत पर गाटर चढ़ाते वक्त ८ गाटर तथा बहुत सी दीवार गिर जाने से २९ मजदूर उसके अन्दर दब गये जिसमें २–३ मजदूरों की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो जो घायल उनमें से कितनों को कितनी चोटें आईं हैं या कुछ औरों की मृत्यु हो गई है?

श्रम उप-मन्त्री (श्री वसी नकवी)—जी हां, नई बाजार, भदोही (वाराणसी) में एक इमारत (जिसका श्री अब्बास वजीर प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है) का निर्माण किया जा रहा था जिसमें २१–८–६० को सातवीं कैंची (Roof truss) चढ़ाते समय दीवार का कुछ भाग गिर गया जिसके कारण सातों कैंची (Roof trusses) गिर गईं और ३१ व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें से दो व्यक्तियों की उसी दिन मृत्यु हो गई और २९ व्यक्ति चिकित्सा हेतु भदोही अस्पताल में भर्ती कराये गये। इनमें से तीन व्यक्तियों को विशेष चोटें आई थीं और उन्हें चिकित्सा हेतु वाराणसी अस्पताल में भर्ती किया गया। उक्त तीन व्यक्तियों को क्रमशः २४–८–६०, ५–९–६० तथा ३०–९–६० को अस्पताल से मुक्त किया गया।

*२—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त जो मजदूर मर गये हैं उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में उस कम्पनी पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री वसी नकवी—चूंकि सर्व श्री अब्बास वजीर प्राइवेट लिमिटेड से इस इमारत का कोई संबंध नहीं पाया गया और इस इमारत में कोई काम ऐसा नहीं हो रहा था जिनके संबंध में फैक्टरी ऐक्ट तथा वर्कमेन्स कम्पेन्शेसन ऐक्ट की धारायें लगाई जा सकें, इसलिये विभाग द्वारा मुआवजा दिलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*३—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार इस घटना की जांच करा कर उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वसी नकवी—निरीक्षक द्वारा की गई जांच के† प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

† प्रतिवेदन छापा नहीं गया।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो मजदूर मरे हैं या घायल हुए हैं उन में से कितने इस कम्पनी अब्बास वजीर प्राइवेट लिमिटेड के थे ?

श्री वसी नकवी—इस कम्पनी के मजदूर जो उनके यहां इमारत का काम कर रहे थे वह वहां पर मौजूद थे। उनको चोट आयी या नहीं यह नहीं जाहिर है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस रपट की ओर गया है, श्रीमन्, इस रपट में लिखा हुआ है—

"Incidently out of four persons named above the first two were also Directors of Messrs. Abbas Wazeer (P) Ltd....."

यानी जो लोग भवन बना रहे थे उन चार में दो इस अब्बास वजीर प्राइवेट लिमिटेड के डाइरेक्टर भी थे। तो जब डाइरेक्टर भी थे बनवाने वाले और घायल होने वाले मजदूर भी अब्बास और वजीर लिमिटेड के थे तो माननीय मंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि उस कम्पनी के नहीं थे, वह दूसरे थे ?

श्री वसी नकवी—मेरे पास वह जांच की रिपोर्ट मौजूद है। उससे यह मालूम होता है कि जिस जमीन पर वह इमारत बन रही थी वह जमीन चार आदमियों ने खरीदी और उसकी रजिस्ट्री कराई थी। उस पर इमारत बन रही थी। उनमें से दो आदमी इस कम्पनी के डाइरेक्टर थे, लेकिन वह अलहदा चीज है। इस इमारत से ८० फुट की दूरी पर दूसरी इमारत बन रही थी। हमारी जांच के मुताबिक इस कम्पनी से अब्बास कम्पनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह बिलकुल अलहदा चीज है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्रेड डिप्यूट ऐक्ट की कुछ धाराओं के मातहत सरकार स्वयं ऐसे मामलों का नोटिस ले सकती है ? तो सरकार इस मामले में भी नोटिस लेकर विभागीय कार्यवाही करते हुये उनको मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री वसीनकवी—मैं यह समझता हूं कि यह उनका प्राइवेट मामला है और उनका सिविल राइट है। वह सिविल राइट के मुताबिक डैमेज क्लेम करें। यह इस ऐक्ट में नहीं आता। अगर आता होगा तो ऐक्शन लिया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो इमारत वह बन रही थी उसका सारा खर्चा और उसका सारा रुपया कम्पनी के कागजात में दर्ज है और उसका सारा भुगतान कम्पनी के कागजात में हुआ है ? यदि हां, तो फिर मुआवजा दिलाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री वसी नकवी—हमारी जांच से ऐसा नहीं मालूम होता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह जो कम्पनी है, इस कम्पनी ने अपनी फर्म का वर्क कराने के लिये उस जमीन को खरीदा और उस फर्म के काम के लिये यह बिल्डिंग बन रही थी और उसी कम्पनी में लगे हुये मजदूरों को वहां भेजा गया था ?

श्री वसी नकवी—हमारी जांच का नतीजा यह है कि वहां पर वह इमारत बन रही थी और सामान को स्टाक करने के लिये बन रही थी। जांच से ऐसा मालूम होता है कि इस कम्पनी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था, लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों के इतमिनान के लिय मैं इसकी फिर से जांच करा लूंगा, मैं यह आश्वासन देता हूं।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि जो मजदूर उसमें अब्बास वजीर प्रा० लिमिटेड के घायल हुये हैं उनकी हाजिरी उस दिन कम्पनी में है ?

श्री वसी नकवी--मैं अर्ज कर चुका हूं कि दो मजदूर ऐसे हैं जो वहां पर २, ३ महीने से काम कर रहे हैं। सिवाय २, ४ दिन पूरे दिन काम करने के उन्होंने आधे दिन ही काम किया है और आधे दिन की हाजिरी उनकी लिखी हुई है।

श्री राजनारायण--अगर मंत्री जी इस प्रकार से जवाब देंगे तो कुल सदन का समय बरबाद होगा। प्रश्न यह है कि उनकी हाजिरी है या नहीं ? अगर वे हाजिर हैं तो कम्पनी ऐक्ट के मुताबिक उनको मुआवजा देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि आधे दिन बहुत से हाजिर रहे। जो जवाब उनके पास आते हैं उसके मुताबिक ही वह जवाब देते हैं।

श्री राजनारायण--मेरा प्रश्न यह है कि कम्पनी के जो मजदूर हाजिर थे और उनका हाजिरी की लिस्ट में नाम दर्ज है तो उनको सरकार मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री वसी नकवी--जिस समय की यह घटना है उस समय वह अब्बास कम्पनी में हाजिर नहीं थे।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, इन प्रश्नों के लिये मैं आध घंटे की बहस के लिये आपको नोटिस देता हूं।

बुलन्दशहर जिले में चूहों की बढ़ती

*४--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि समस्त बुलन्दशहर जिले में चूहों के कारण प्लेग फैलने की तुरन्त आशंका है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री (श्री धर्मसिंह)--जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग को जनता ने इस सम्बन्ध में लिखित पत्र भेजे हैं और समाचार पत्रों में भी यह सूचना आयी है ?

श्री धर्मसिंह--सरकार में तो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। हो सकता है कि नीचे के स्तर पर लिखा गया हो। उसकी सूचना यहां नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मान कर इन चूहों के संबंध में कोई उपाय करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--श्रीमन्, विभागों को इस सम्बन्ध में लिख दिया जायगा और यदि वहां अधिक चूहे हैं तो जो कायदे कानून में हो सकता है वह किया जायगा।

मेडिकल कालेज, कानपुर में आय-व्ययक सम्बन्धी अनियमितताओं की जांच

*५--**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि मेडिकल कालेज कानपुर के एकाउन्ट्स आफिसर ने मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल और स्वास्थ्य संचालक को मेडिकल कालेज की आय-व्ययक सम्बन्धी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनवरी एवं फरवरी, सन् १९६१ में कुछ पत्र लिखे हैं ? अगर हां, तो कब-कब और कितने-कितने ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।
१ पत्र दिनांक ४-१-६१ को,
८ पत्र दिनांक १३-१-६१ को,
१ पत्र दिनांक ३०-१-६१ को,
फरवरी, १९६१ में कोई पत्र नहीं लिखा।

*६—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया उन पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री धर्मसिंह—उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित बातों की जांच की जा रही है। वह गोपनीय है अतः सदन में उनकी प्रतिलिपि रखना जनहित में नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कौन से अधिकारी द्वारा की जा रही है?

श्री धर्मसिंह—डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ द्वारा जांच करायी जा रही है। जो उन्होंने थोड़ी बहुत रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह निश्चय हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी इस की जांच करायी जाय और एक कमेटी बैठा कर इसके बारे में सोच विचार हो रहा है।

श्री गौरीशंकर राय—डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ ने जो १० शिकायतों की थोड़ी सी जांच की है उसमें इनके सम्बन्ध में उनकी क्या राय है कि जो आय-व्यय की गड़बड़ियों का अभियोग है यह कहां तक सत्य है?

श्री धर्मसिंह—जब वह पत्र गोपनीय है तो उस सम्बन्ध में जो जांच रिपोर्ट आयी है उसे बताना जनहित में न होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगर इस मामले में प्रारम्भिक जांच के बाद प्राइमाफेसी केस साबित हो जाता है तो इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिये उनका इस प्रकार की कोई कमेटी बनाने का विचार है जैसी कमेटी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये बनी है? या यह जो कमेटी बनी है उसी के हाथ में इसकी जांच का काम दे दिया जाय, ऐसा क्या उनका विचार है?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जो सूचनायें अभी सरकार के पास हैं, सरकार स्वतः उन सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है। जो इर्रेगुलैरिटीज़ हैं उन को देख कर सरकार उस अधिकारी के प्रति क्षोभ प्रकट करती है। परन्तु अधिक जानकारी इस विषय में प्राप्त कर के यदि सरकार ऐसा महसूस करेगी कि कोई ऐसी बातें हुई हैं जिनमें धन का दुरुपयोग हुआ है या धन गलत तरीके से व्यय किया गया है तो सरकार उस अधिकारी के प्रति अवश्य उचित कार्यवाही करेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट सरकार के सामने आयेगी, उसे सदन के समक्ष रखेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि कोई ऐसी बात सरकार देखेगी जिसे सदन के समक्ष रखना आवश्यक होगा तो जरूर रखेगी, वरना बहुत सारे मामले सरकार के सामने आते हैं और सरकार स्वतः उनकी जांच कर के अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करती है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले कुछ जांच मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज के डाइरेक्टर द्वारा हुई, उसके बाद अब फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट द्वारा जांच हो रही है और उसके बाद वे कुछ आदमियों की एक कमेटी बिठा कर जांच करायेंगे।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की जांच के बाद जो कुछ आदमियों की कमेटी जांच के लिये बैठेगी, उसमें विभाग के ही लोग होंगे या बाहर के होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाहर के आदमियों की कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो फाइनेन्स विभाग स्वतः अपने को संतुष्ट करेगा और यह देखेगा कि जो अनियमिततायें हुई हैं वे किस नेचर की हैं। वे टेक्नीकल नेचर की हैं, या ऐसी हैं जो कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा नहीं होनी चाहिये थीं। जब फाइनेन्स विभाग अपनी राय इस बारे में दे देगा तब सरकार उस पर आगे कोई कार्यवाही करेगी।

मुहम्मदाबाद ग्राम में गन्ने के मूल्य पर नियन्त्रण न होना

*७—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा बतायेगी कि क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला फर्रुखाबाद की सदर तहसील में मुहम्मदाबाद ब्लाक में मुहम्मदाबाद ग्राम में स्थित कांटे पर इस मौसम में किसानों का गन्ना केवल १ रुपया मन कीमत पर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को नियम के अनुसार कीमत अदा कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान सीजन में चीनी मिल का कोई भी गन्ने का कांटा जिला फर्रुखाबाद के सदर तहसील में मोहम्मदाबाद ब्लाक के मोहम्मदाबाद ग्राम में नहीं लगा है। इस स्थान पर एक क्रशर लगे होने की सूचना अवश्य मिली है, पर क्रशर द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य पर नियन्त्रण नहीं है। अतएव उक्त स्थान पर कीमत अदा कराने की व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[३ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हैन्डीक्राफ्ट्स शो-रूम हजरतगंज की छत गिरने से हानि

*१—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हजरतगंज शो-रूम (गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स) में हाल ही में छत गिरने से पहले कितना माल मौजूद था ?

श्रम मन्त्री (श्रीमतीसचेता कृपालानी)—हजरतगंज शो-रूम की छत गिरने से पहले वहां १,९३,४०१ रुपये २० नये पैसे का माल था।

*२—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उक्त शो-रूम की छत गिर पड़ने के बाद जो फिजिकल चेकिंग की जा रही थी वह समाप्त हो गई ? यदि हां, तो कितने का नुक्सान हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

१८,६६५ रुपये ५३ नये पैसे का सामान खराब हुआ। इसमें से बहुत सा सामान धुलने व मरम्मत करने के बाद बेचा जा सकता है, अतएव निश्चित नुक्सान इस सामान के विक्रय होने के बाद मालूम हो सकता है।

*३—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उक्त शो-रूम की छत गिर पड़ने के बाद जो माल नानपारा हाउस ले जाया गया था उसमें भी आग लग गई ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने की क्षति हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। २४१ रुपये ७३ नये पैसे की क्षति हुई।

बुनकरों को नियन्त्रित भाव पर सूत देने का सुझाव

*४—**श्री ऊदल** (जिल वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में करघा उद्योग के लिये जो सूत बुनकरों को दिया जाता है उसमें २० काउंट के सूत का दाम १९५६ में १६ रु० ६ आ० था ? यदि हां, तो १९५९ में उसका क्या भाव था ?

सूचना उप-मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)--इस विभाग द्वारा सूत की बिक्री नहीं होती और न सूत के वितरण पर ही सन् १९५६ में कोई नियंत्रण था।

*५--**श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में १९६० की जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त में किस भाव से उपर्युक्त सूत बुनकरों को दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी-- बुनकरों को सूत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। सन् ६० की जनवरी, अप्रैल, मई, जून तथा अब जुलाई, अगस्त में भी उपरोक्त सूत का वितरण सरकार द्वारा नहीं किया गया।

*६--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बुनकरों को ज्यादातर सूत ठेकेदार देते हैं ? यदि हां, तो ठेकेदारों को सरकार किस तरह से तथा किस रेट पर सूत देती है ?

श्री रऊफ जाफरी--बुनकर अपने लिए सूत खुले बाजार में कहीं से भी ले सकते हैं। सरकार ने किसी को भी सूत वितरण का कोई ठेका नहीं दिया।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सूत की बिक्री नहीं की जाती तो जो प्रदेश में करघे चल रहे हैं उनको सूत कहां से मुहैया होता है और किसके द्वारा किया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि जबाब में कहा गया है सरकार द्वारा किसी को सूत नहीं दिया जाता है। इसके लिये तो यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव फेडरेशन है, उसी के जरिये उन लोगों को सूत दिया जाता है।

श्री ऊदल--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोआपरेटिव के जरिये जो सूत बुनकरों को दिया जाता था और जिसका भाव सन् १९५६ में जो था, अब भाव उससे कहीं ज्यादा है ?

श्री रऊफ जाफरी--ऐसा नहीं है। उस वक्त भाव १६ रुपये ६ आने था, किन्तु अब भाव उससे भी कम है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--यह जो फेडरेशन सूत देता है, इसको कहां से मिलता है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह जो फेडरेशन होता है, यह मिल का एजेन्ट होता है और उसको मिल से ही सूत मिलता है और यह फेडरेशन वहां से सूत लेकर बिना किसी मुनाफे पर सूत को बुनकरों तक पहुंचा देता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुनकारों की तरफ से सरकार के पास कोई इस तरह का रिप्रेजेन्टेशन आया है कि जो सूत इस फेडरेशन की तरफ से दिया जाता है उसे बीच के कुछ दलाल ही लेकर मनमाने भाव से बुनकरों के हाथ बेचते हैं ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि जो बुनकरों की समितियां बनी हुई हैं उन्हीं के माध्यम से उनको सूत मिला करे ?

श्री रऊफ जाफरी--वह तो कोआपरेटिव ऐसोसिएशन को ही देगा।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि सूत के लिये बुनकर काफी परेशानी में पड़ गये हैं, इसलिये सूत देने की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में लेले?

श्री रऊफ जाफरी--अभी ऐसा कोई विचार सरकार के सामने नहीं है।

श्री राजनारायण—प्रश्न यह है कि जब कोआपरेटिव के जरिये सरकार सूत बटवाती है और वही एसोसिएशन के लोग व्यक्तिगत बुनकरों को देते हैं और हर जगह के बुनकरों से यह मांग आ रही है कि हमको सीधे सीधे सरकारी कार्यालय से ही सूत मिले तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रऊफ जाफ़री—सीधे-सीधे सरकार की तरफ से सूत मिले, ऐसी मांग मुझे तो नहीं मालूम कि हर जगह से आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन यू० पी० का० की तरफ से जो हो रहा है उसकी बड़ी शिकायत है, यह बात शायद सही नहीं है।

नियन्त्रित दर पर ब्याज लेने के लिये कानून बनाने की प्रार्थना

*७—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में साहूकार लोग, सरकार द्वारा ब्याज की कोई दर निश्चित न होने के परिणामस्वरूप मन-माना ब्याज वसूल करते हैं ? यदि हां, तो क्या वह पंजाब सरकार की तरह कोई साहूकारा ऐक्ट बनाने का विचार कर रही है ?

राजस्व उप-मन्त्री (श्री उदय शंकर)—ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है। Usurious Loans Act और U.P. Debt. Redomption Act के अन्तर्गत अदालतों को यह अधिकार है कि वे उन मुकदमों में जहां ब्याज की दर ज्यादा हो घटा सकते हैं। सरकार इस सम्बन्ध में और कोई ऐक्ट बनाने का विचार नहीं कर रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी मेरी शिकायत को मान कर कि पठान व उन्हीं की तरह साहूकारी करने वाले लोग जरूरतमंद गरीब मजदूर लोगों से चार चार आना फी रुपया ब्याज लेते हैं और इनका टैक्स की चोरी करने के लिये अदालत न जाकर डंडों से रुपया वसूल करते हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय मंत्री जी इस मामले में फिर गौर करेंगे और ऐसा कोई कानून बनायेंगे कि बगैर लाइसेंस के कोई लेन-देन न कर सके ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—हमारे जो मौजूदा ऐक्ट हैं उन्हीं से खूब काम चल रहा है, जिनका हवाला दिया गया है। वह उन से फायदा उठाने को कोशिश करें। ताकि नया कानून बनाने की जरूरत न पड़े।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बस्ती, देवरिया गोरखपुर जिलों में खासकर कर्जा मिलना मुश्किल है, इसलिये कानून के खिलाफ भी काश्तकार अपनी जमीन को बन्धक रख कर ऊंचे सूद पर कर्जा लेते हैं ?

श्री उदय शंकर—ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास आयी नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी माल मंत्री जी को है कि इस इल्जाम पर कि उन्होंने अपनी जमीन बन्धन रख दी, इसमें हजारों काश्तकारों को बेदखल करने का सरकार ने बन्दोबस्त किया और उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे तो कोई ऐसी निश्चित सूचना नहीं है, लेकिन कानून की खिलाफवर्जी करने से सजा मिल सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर जिले में लखनऊ के बड़े-बड़े खत्तरी ऊंचे दर्जे पर ब्याज काश्तकारों को देते हैं, साढ़े आठ रुपया देकर १० रुपये के लिये इकरार लिखाते हैं और यह बहुत कसरत से फैले हुए हैं, करोड़ों रुपया बांटते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? अगर सूचना नहीं है तो मेरी सूचना को मानकर कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे तो कोई सूचना है नहीं, देन-लेन मैं करता नहीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी को पता है कि लखनऊ के बहुत से ठड़िये खास कर देवरिया के देहातों में दूने व्याज पर रुपया देते हैं और बहुत सख्ती से अपने लट्ठबन्द कार्यकर्त्ता रख कर वसूल करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--देवरिया में ऐसा काम लखनऊ वाले शरीफ लोग नहीं कर सकते !

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सत्य है कि हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान आज भी प्राइवेट साहूकारों से कर्जा लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से सस्ते और सुलभ कर्जे की व्यवस्था नहीं हो पायी है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी पीड़ित है, सरकार को क्या कठिनाई है ऐक्ट बनाने में ताकि उनको उचित व्याज पर कर्जा मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो हमारे मित्र कहते हैं, वैसी सूचना हमारे पास नहीं है।

***८-९---श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री मदन पांडेय, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)---[तेरहवें मंगलवार के लिये प्रश्न ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखीमपुर में अण्डी सिल्क केन्द्र खोलने की योजना का स्थगन

***१०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में अण्डी सिल्क योजना प्रसार तथा लखीमपुर खीरी में अण्डी सिल्क की एक अग्रगामी योजना के स्थापित किये जाने का निश्चय किया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं।

***११---श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या श्रम मंत्री उपयुक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगी ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट की नयी मदों की पुस्तिका के पृष्ठ ५१-५२ पर इस योजना को लखीमपुर खीरी में चलाये जाने के लिये ४६ हजार रुपया स्वीकृत किया गया है, फिर उत्तर 'जी नहीं' में देने का क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह सही है कि पहले यह सोचा गया था कि खीरी में एक ऐसा सेन्टर बनाया जाय, लेकिन अगर उसको इस वर्ष शुरू कर दिया जायगा तो अगले साल तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह कंटीन्यूइंग स्कीम्स में आ जायगा। इसकी वजह से उसका सारा भार स्टेट गवर्नमेंट पर आ जायगा इसलिये उसको इस साल न लेकर अगले साल तृतीय पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट बेंच, सीतापुर

***१२---श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार दिसम्बर, १९६० में निर्मित सीतापुर के आनरेरी मजिस्ट्रेटों की बेंच के निर्माण के लिये जितने भी नाम जिलाधीश, सीतापुर द्वारा जिस क्रम में सरकार के पास भेजे गये थे उनको बताने की कृपा करेगी ?

श्री उदयशंकर---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट गोपनीय होने के कारण यह सूचना देना जन-हित के विरुद्ध होगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के नामों के चयन में मंत्री महोदय के विभाग में उलटफेर हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वह ऐडवाइजरी होती है । गवर्नमेंट का उस पर पुनर्विचार करने का पूर्ण अधिकार है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जो कमेटी इस बात की सिफारिश के लिये मुकर्रर है क्या उसमें कोई गैर कांग्रेसी भी शामिल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---फेहरिस्त तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय प्रश्नकर्त्ता भी उसमें हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नामों को चयन करते समय किस क्रम को आधार माना जाता है ? क्या सरकार को यह हक हासिल है कि वह कोई भी नाम चुन ले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---३ वेकेन्सीज के लिये ९ नाम मांगे गये थे । उनमें से इन्डिविजुअल मेरिट पर चयन होता है । सरकार गलत रिकेमेंडेशन को नहीं मानती और जो सही होती है उसको मान लेती है ।

विभिन्न खनिज पदार्थों के लिये खोज

*१३---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक हुई जांच के अनुसार उत्तर प्रदेश में (१) मैग्नेसाइट, (२) तांबा, (३) सेल-खड़ी, (४) गंधक, (५) एसबेस्टस, (६) सीसा कहां-कहां मिले ? क्या सरकार ने इन खनिजों के निकालने तथा शोधन की कोई योजना बनाई है तथा कब तक यह कार्य आरम्भ हो जायगा ?

संसदीय विषयक उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---राज्य सरकार के भूगर्भ और खनिज विभाग द्वारा अब तक किए गये पर्यवेक्षण के अनुसार चमोली जिले के क्षेत्रों में सेल खड़ी (Soapstone) पाया गया है । अन्य खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में खोज जारी है । इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स द्वारा किये गये पर्यवेक्षण द्वारा अल्मोड़ा जिले में मेग्नेसाइट की खानों का पता चला है ।

*१४---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार उपर्युक्त सब चीजों या उनमें से कुछ का Mining व Prospecting licence किसी प्राइवेट कम्पनी को दे रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार उन कम्पनियों पर जोर देने जा रही है कि इस सीमान्त प्रदेश की गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने के लिये Processing plants खान के नजदीक से नजदीक लगाये जायं और पक्का माल ही बाहर भेजा जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---चमोली जिले में सेलखड़ी के लिये दो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स एक प्राइवेट कम्पनी को क्रमशः जून, १९५९ और मार्च, १९६० में दिये गये थे परन्तु उस कम्पनी की उदासीनता तथा पट्टा करने में दिलचस्पी न लेने के कारण उक्त लाइसेंस देने के सरकारी आदेश रद्द कर दिये गये हैं । उसी प्राइवेट कम्पनी को जिला चमोली में सेलखड़ी के लिये एक माइनिंग लीज दिया गया था, परन्तु इस विषय में भी कम्पनी के उदासीन होने के कारण सम्बन्धित सरकारी आदेश रद्द करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(२) अल्मोड़ा जिले में सेल खड़ी के लिये दो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स एक दूसरी कम्पनी को क्रमशः जनवरी और फरवरी, १९५९ में दिये गये, परन्तु उन क्षेत्रों की हदबन्दी न होने के कारण अभी तक पट्टा नहीं हो सका है । चूंकि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के मिल जाने पर खनिज पदार्थों का व्यावसायिक तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः खान के निकट

प्रोसेसिंग प्लान्ट्स आदि लगाने का प्रश्न नहीं उठता। उसी कम्पनी को अल्मोड़ा जिले में सेल खड़ी के लिये सरकार एक माइनिंग लीज देने जा रही है और इस सम्बन्ध में उपरोक्त शर्त लगाने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सोप स्टोन और मेग्नेसाइट कितनी मात्रा में पाया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--अभी इसकी सर्वे जारी है। वैसे काफी मात्रा में पता चला है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि ब्यूरो आफ माइन्स का सर्वे कम्प्लीट हो चुकी है और उनका कहना है कि एक करोड़ टन होगा ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि हमारे देश में ३ स्टील प्लान्ट काम कर रहे हैं, उनमें इसकी बहुत डिमांड है, तो अगर वह प्राइवेट सेक्टर में नहीं खोल सकते तो पब्लिक सेक्टर में माइनिंग के प्रोसेस की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पब्लिक सेक्टर में अभी इस विषय की फैक्टरी लगाने का विचार नहीं किया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उनके उद्योग विभाग की तरफ से छपी हुई पुस्तिका में यह बात सालों से लिखी जाती रही है कि उधर तांबा वगैरह खनिज पदार्थ मिले हैं, तो क्या उनको पुस्तिका में छपा देना ही यथेष्ठ समझा गया या यह भी प्रश्न है कि उनके प्रोसेसिंग का काम शुरू किया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--मैग्नेसाइट वहां काफी मात्रा में मिला है और लाइसेंस देने की जहां तक बात है, इस बारे में भारत सरकार से पूछना पड़ता है। अभी उनका विचार है कि इसको भिलाई में कुछ इस्तेमाल करें, इसलिये जब तक वे उस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते कि कितनी उनको जरूरत है तब तक कहीं दूसरी जगह के लिये लाइसेंस आदि देना ठीक नहीं होगा।

कानपुर जिले में कोयले की दुकानें

*१५--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में कोयले की कितनी दूकानें देहाती क्षेत्र में और कितनी शहरी क्षेत्र में हैं तथा उक्त दूकानों का लाइसेंस देने के लिये सरकार ने कौन से आधार बनाये हैं ?

श्री धर्मसिंह--इस समय कानपुर जिले में ८२ कोयले की दूकानें शहरी क्षेत्र में और ३ दूकानें देहाती क्षेत्र में हैं। यदि किसी जिले में नये कोल डिपो होल्डर की नियुक्ति करनी होती है तो जिलाधीश इसकी सूचना प्रकाशित कर प्रार्थना-पत्र लेता है। प्रार्थना-पत्रों को विचार करने में आवेदन-कर्त्ता की आर्थिक दशा, व्यापारिक अनुभव, और सुचारुरूप से कार्य करने की क्षमता पर ध्यान दिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले में ३ दूकानें जो देहाती क्षेत्र में हैं, वे कहां-कहां हैं और किन-किन को दी गयी हैं ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कहां-कहां हैं, लेकिन वे देहात में ही हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की शिकायत आयी है कि ये कोयले की दूकानें जो देहाती क्षेत्र को दी गयी हैं उनका लाइसेंस किसी कांग्रेसी एम० एल० ए० के भतीजे को दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण---सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि वे दुकानें कहां कहां हैं, मगर सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वे दूकानें किन-किन को दी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि पहले यह प्रश्न शहरी क्षेत्र के लिये पूछा गया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि शहरी क्षेत्र में ८२ दूकानें हैं। तो वे यह पूरक प्रश्न तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे कि आप हर एक डिटेल पूछेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो कोयले की दूकानों के लाइसेंस देने की बात है, क्या उसका एक आधार यह भी माना गया है कि जो राजनीतिक पीड़ित रहा हो या पुराना कांग्रेसमैन रहा हो या किसी कांग्रेसी की सिफारिश लेकर आया हो, उसे ही लाइसेंस दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह जो देहात की ३ दुकानें दी गई हैं उनमें से कोई किसी विधायक के सगे सम्बन्धी को दी गई है ?

श्री धर्मसिंह---यदि लिख कर देंगे तो विचार कर लेंगे और देखेंगे।

धान के निर्यात पर प्रतिबन्ध का उल्लंघन

*१६---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा किन-किन अनाजों की जिले के बाहर निकासी पर १ जनवरी, १९६१ को प्रतिबन्ध था और उस प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने में विगत ३ मास में कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

श्री धर्मसिंह---(क) केवल धान पर।

(ख) केवल एक।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने उत्तर दिया है कि १ आदमी पकड़ा गया वह किस जिले में, कब पकड़ा गया और कौन पकड़ा गया ?

श्री धर्मसिंह---वह देवरिया जिले में पकड़ा गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा---उसका नाम क्या है ?

श्री धर्मसिंह---वह देखना पड़ेगा, मेरे पास उसका नाम नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १ जनवरी, सन् ६१ से प्रतिबन्ध है वह किन-किन अनाजों पर है और उनको रोकने के लिये कहां-कहां और क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---वह तो मैंने निवेदन किया है कि केवल धान पर है और उसके नियम बने हैं, उन्हीं के आधार पर उपाय किये जाते हैं।

नवीन उद्योगों के खोलने की योजना

*१७---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में पब्लिक व प्राइवेट सेक्टरों में कौन-कौन से बड़े उद्योग या फैक्टरी खोलने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से मिल चुकी है, उनका अनुमानित लागत क्या-क्या है तथा कितनी योजनायें (कौन-कौन सी) अभी केन्द्र के विचाराधीन हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---पब्लिक सेक्टर के संबंध में वांछित† सूचना संलग्न है।

---

†नत्थी छापी नहीं गई।

प्राइवेट सेक्टर में कोई उद्योग पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर नहीं स्वीकृत किये जाते। अप्रैल, १९५९ से अब तक जिन उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं, उनकी सूची संलग्न है। आशा है कि ये उद्योग तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में खुलेंगे।

जो योजनायें केन्द्र के विचाराधीन हैं उनकी †सूची भी संलग्न है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पहली लिस्ट है जिसमें हैवी एलेक्ट्रिकल्स फैक्टरी का जिक्र है, जो कारखाना ७० करोड़ की लागत से सहारनपुर में लगेगा, क्या यह सही है कि उसके लिये राजस्थान की सरकार ने अपनी सरकार से अधिक जोर लगाया है और इस बात का भय है कि कहीं वह कारखाना राजस्थान में न चला जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमें तो ऐसी सूचना नहीं है लेकिन हमारे जो अधिकारी लाइसेंसिंग कमेटी में बैठते हैं और जो केन्द्रीय सरकार के सम्पर्क में आते हैं उनकी सूचना से हम कह सकते हैं कि वह उसी क्षेत्र में लगेगी जिसका कि जिक्र अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न में किया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस लिस्ट के अनुसार अप्रैल, सन् ५९ से लाइसेंस स्वीकार हुए इतना अधिक समय हो गया और यह उद्योग नहीं लग पा रहे हैं तो क्या इसका कारण यह है कि सरकार का सेल्स टैक्स अधिक है और बाहर से सामान नहीं मंगा पाते हैं और बाहर से मशीनरी इम्पोर्ट नहीं हो पाती है और बरेली की रबर फैक्टरी ने, जिसकी पूंजी लागत साढ़े १४ करोड़ है उसने सेन्ट्रल सेल्स टैक्स की शिकायत की है और उसको सी फार्म नहीं दिया गया व रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया। इस तरह से उसको एक प्रतिशत की जगह एगजेम्प्शन न मिलने से ७ प्रतिशत सेल्स टैक्स देना होता है। इस कारण से वह मशीनरी लाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं क्या ऐसी शिकायत मिली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ब्योरे की बात तो मुझे नहीं मालूम लेकिन जो इस फैक्टरी को लगा रहे हैं वह मुझसे मिलने आये थे और उन्होंने कहा था कि वह निर्धारित समय के अन्दर ही इस फैक्टरी को चालू कर देंगे और मैंने भी उनसे आग्रह किया था कि शिड्यूल्ड समय में वह लग जानी चाहिये।

श्री झारखण्डे राय--जो सूचियां दी गई हैं, वे बहुत लम्बी हैं और मोटी हैं, उनको देखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज का ट्रेण्ड क्या है ? पब्लिक सेक्टर बढ़ रहा है या प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पब्लिक सेक्टर तो एक निर्धारित सेक्टर है, उसके साधनों का निर्णय प्लानिंग कमीशन तथा केन्द्रीय सरकार करती है। जहां तक प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है, बड़े बड़े उद्योग-धंधों के लिये उसके पास ऐसी धनराशि नहीं है, यद्यपि प्रदेशीय सरकार अपने यहां पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी धन लगाने के लिये ऐसी व्यवस्था कर रही है कि एक हैवी इनवेस्टमेंट कारपोरेशन बनाये और वह रजिस्टर भी हो गया है और उसकी कैपिटल ५ करोड़ है। उसकी मदद से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जहां जैसी सम्भावना हो सकेगी उसके लिए प्रयास करेगी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि तृतीय योजना में जो प्राइवेट सेक्टर्स खुल रहे हैं उनमें सरकार कितना धन लगायेगी ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ उद्योग-धंधे छोटे लग सकेंगे क्योंकि जितनी धनराशि हमने फाइनेंस कारपोरेशन को दे रखी है उसके द्वारा तो बड़े-बड़े उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। लेकिन अगर हैवी इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, जिसको अभी रजिस्टर कराया है और उसमें पब्लिक से यदि कुछ रुपया आ जायगा तो पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी साधनों के मुताबिक अधिक उद्योगधंधे लगा सकेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इस बात को देखते हुए कि इतने सरकार के लाइसेंस देने के बावजूद और कोशिशों के बावजूद भी जो इंडस्ट्रीज स्थापित करना चाहते थे वह नहीं हो पा रही है तो जो कम्पनीज को डिफीकल्टीज सेल्स टैक्स या अन्य वजहों से हो रही है, कोई लायजां अफसर या कोई कमेटी केवल इस बात के लिये सरकार बनायेगी जो इन दिक्कतों को रिमूव करे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे यहां इंडस्ट्रिलाइजेशन हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि जहां इंडस्ट्रीज लगने के प्रश्न हैं और जिन प्रश्नों के कारण कुछ दिक्कतें हो रही है उनका शीघ्र ही निराकरण होना चाहिये। कोई कमेटी या कोई लायजां अफसर नियुक्त करने की आवश्यकता अभी नहीं है। उद्योग विभाग और वे विभाग जिनका सम्बन्ध उद्योगों से है वे इन कार्यों का संचालन कर सकते हैं और उन्हें सरकार ने उचित वार्निंग दी है कि उद्योग धंधों के लगने में कहीं कोई देर न होने पाये। जहां दिक्कतें हों वे शीघ्र ही रफा की जायं।

हैण्डमेड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूशन, पूना के प्रशिक्षार्थी

*१८—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५७–५८ व १९५८–५९ व १९५९–६० में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हैन्डमेड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूशन, पूना को ट्रेनिंग के लिये छात्रवृत्ति देकर जो छात्र भेजे गये थे, उनमें से उत्तीर्ण योग्यता प्राप्त कितने व्यक्ति प्रदेश भर में हैं और सरकार उन्हें किस उपयोग में ला रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—केवल ६ व्यक्ति प्रदेश भर में हैं जिनमें से २ अखिल भारतीय ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई ने नौकरी पर रख लिए हैं, बाकी बेकार हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—मंत्री जी बतायेंगे कि जो ४ लोग बेकार हैं यह किन-किन जिलों के हैं और उनके क्या नाम हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन चार व्यक्तियों को, जिन पर सरकार का धन व्यय हुआ है और जिन्हें ट्रेनिंग दी गयी है सरकार भविष्य में किसी उपयोग में लाने पर विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह ट्रेनिंग दी जाती है, इसका मकसद नौकरी दिलाना नहीं है। यह भी है कि वे अपना काम शुरू करें। उस सिलसिले में उन्हें काफी आर्थिक सहायता दी जाती है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर १५ और केन्द्र खुलने वाले हैं और उनमें काफी स्कोप है उनको काम में ले आने के लिये।

मैनपुरी जिले में सिविल जज का न होना

*१९—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी) तथा **श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सिविल जज न होने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री उदयशंकर—सिविल जज के न्यायालय तथा निवास के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण, मैनपुरी जिले में इस समय सिविल जज की नियुक्ति नहीं की गई है।

*२०—**श्री गनेशचन्द्र काछी तथा श्री रामदीन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी की सिविल जजी में इस वक्त माल की कितनी अपीलें विचाराधीन हैं और किस-किस सन् के दायरे की विचाराधीन हैं ?

श्री उदयशंकर—मैनपुरी की सिविल जजी में इस समय माल की कोई अपील विचाराधीन नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सिविल जज के रहने के लिये और मुकदमा करने के लिये मकान की व्यवस्था कब तक हो सकेगी और सिविल जज को मैनपुरी में कब तक पहुंचा दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शेड्यूल आफ न्यु डिमांड्स के मातहत उनकी इमारत और रेजीडेंस के लिये दो लाख का हमने प्राविजन किया है और हाई कोर्ट को अथराइज कर दिया है।

*२१—**श्री शिवप्रसाद नागर**—[२७ मार्च, १९६१ को प्रश्न १३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*२२—२४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गरब्यांग ग्राम की विकास योजनाओं का स्थगन

*२५—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि भारत-तिब्बत सीमा के अन्तिम ग्राम गरब्यांग, जिला पिथौरागढ़ में पेय जल की योजना अभी नहीं बनाई गई है और स्कूल की इमारत में छत भी नहीं है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जैसा कि प्रश्नकर्त्ता के वर्तमान सत्र के दूसरे गुरुवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर में बताया जा चुका है, इस ग्राम के लिये पेय जल योजना तथा स्कूल की मरम्मत की योजना बना ली गयी है और कार्यान्वित की जा रही है।

*२६—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री गरब्यांग के विशेषरूप से विकास के लिये विशेष योजना बनायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जैसा कि उपर्युक्त संदर्भित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर में बताया जा चुका है, इस ग्राम की भूमि के धंसने का डर भारत सरकार के जिओलोजिकल सर्व आफ इंडिया विभाग की जांच द्वारा ज्ञात हुआ है, अत: इस ग्राम के अन्य विकास कार्यों पर धन व्यय किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि गरब्यांग भारत-तिब्बत सीमा का अन्तिम ग्राम है और वहां पर १ हजार से ज्यादा आदमी रहते हैं तो कौन सी योजना वह बनाने जा रहे हैं जिससे उस गांव की सुरक्षा हो सके जब कि गांव धंस गया है और सरकार कोई डेवलपमेंट करने का विचार नहीं कर रही है तो कौन सी दूसरी व्यवस्था करने जा रही है जिससे उन लोगों की सुरक्षा हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जैस कि माननीय सदस्य को मालूम हैं यह गांव धंसता जा रहा है अभी तक उसका ठीक कारण पता नहीं लग सका । वहां जो लोग रहते थे उनको ूसरी जगह बसाने की योजना सरकार ने बनाई थी । उसके लिये उन्हें कुछ रुपया दिया गया तकावी के रूप में लेकिन उन्होंने उसे व्यापार में लगा दिया और वे लोग वहां से जाने के लिये तैयार नहीं हैं । इस बीच दो योजनायें वहां पानी की बना दी हैं और स्कूल की इमारत भी बनवा रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह—उक्त गांव के लोग खुश रहें और सुव्यवस्थित रूप से रहें यह जिम्मेदारी सरकार की है । तो सरकार कौन सी ऐसी योजना बनाने जा रही है जिसस वे लोग ठीक से बस सकें ? जैसा कहा गया कि तकावी का रुपया दिया गया और वह मकान बनाने के लिये दिया गया । तथा गांव में जो १ हजार से ज्यादा आदमी रहते हैं तो क्या सरकार उन्हें एक दम से हटा कर दूसरी जगह के लिये आर्डर कर रही है या इस क्षेत्र की सेक्योरिटी के लिये कोई और व्यवस्था कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन क्षेत्रों की जांच के लिये हम अपने मुख्य सचिव को दौरे पर भेज रहे हैं । एक आध स्कीमें उद्योग धंधों के सिलसिले में मेरे पास आई हैं । उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करके सरकार यह चेष्टा करना चाहती है कि इन व्यक्तियों को, जो वहां नहीं रह सकते हैं, दसरी जगह बसाया जाय तो उनको कौन-कौन से उद्योग दिये जा सकते हैं । स्वतः मैं भी थोड़े दिनों में उधर जाने की चेष्टा करूंगा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद ऐसी व्यवस्था करने की चेष्टा की जायगी जिससे ये लोग विविध उद्योगों में जुटें या खेती इत्यादि के कार्य वे कर सकें तो जगह दे कर उसके लिये प्रबन्ध किया जाय ।

विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में क्लर्कों का स्थायीकरण

*२७—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में क्लर्कों के कितने स्थान सरकार द्वारा अब तक स्थायी किये जा चुके हैं ? उन स्थानों पर कितने लोगों की नियुक्ति अब तक स्थायी रूप से की जा चुकी है तथा कितने स्थान अभी तक रिक्त हैं और क्यों ?

श्रीमती सचेता कृपालानी—सरकार द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में अब तक २० लिपिकों के पदों को स्थायी किये जाने के आदेश जारी हुये हैं ।

उक्त स्थानों में से ५ लिपिकों को विभाग द्वारा स्थायी रूप से नियुक्त किया जा चुका है ।

शेष १५ स्थानों की पूर्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

हार्टीकल्चर ब्रांच के कर्मचारी

*२८—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फलोपयोगी विभाग, उत्तर प्रदेश के हार्टिकल्चर ब्रांच के ग्रुप तीन, दो तथा एक के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जिला गढ़वाल में कार्य करते तीन साल या उससे अधिक समय हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फलोपयोग, उत्तर प्रदेश के Horticulture Branch के ग्रुप एक, दो तथा तीन के कर्मचारियों, जिनको गढ़वाल में कार्य करते हुये तीन साल से अधिक समय हो गया है, की संख्या क्रमशः १, ३ और ६ है ।

*२९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार इस बात पर विचार करने की कृपा करेगी कि ऐसे स्थानों में जहां यातायात, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधा नहीं है हार्टिकल्चर ब्रान्च में काम करने वाले कर्मचारियों जिनको अधिकतर जंगलों में रहना पड़ता है तीन साल से अधिक न रहें ?

नोट—तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कर्मचारियों को ऐसे स्थानों से तीन साल के बाद स्थानान्तरित करने का आवश्यकताअनुसार प्रयत्न किया जाता है ।

काशीपुर में अस्थायी सिनेमा लाइसेंस देने पर विचार

*३०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि सरकार ने हाल ही में हाई कोर्ट में काशीपुर, जिला नैनीताल के किन्हीं सिनेमा गृह संचालक की रिट पिटीशन के प्रसंग में हलफनामा दाखिल किया कि वह काशीपुर में कुछ सिनेमा गृहों हेतु टेम्पोरेरी लाइसेंस प्रदान करेगी और इसी आश्वासन के आधार पर हाई कोर्ट ने केस समाप्त कर दिया ? यदि हां, तो सरकार अथवा जिलाधीश, नैनीताल ने उक्त आश्वासन को कार्यान्वित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही नहीं है ।

काशीपुर में अस्थाई सिनेमा लाइसेंस हेतु अजन्ता टूरिंग सिनेमा के संचालक ने प्रार्थना-पत्र दिया था जिसे जिलाधीश, नैनीताल ने २३ नवम्बर, १९५९ को अस्वीकार कर दिया था । इसके फलस्वरूप जो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर हुआ उसके प्रसंग में १६ दिसम्बर, १९६० को शपथ-पत्र दाखिल करते हुए सरकार की ओर से केवल इतना ही कहा गया था कि जिलाधीश अपने पूर्व आर्डर को निरस्त करके प्रार्थी के केस पर नियमानुसार पुनः विचार करने को तैयार हैं ।

जिलाधीश ने अपने पिछले आर्डर को वापस ले लिया है तथा मामले पर पुनः नियमानुसार विचार करना शुरू कर दिया है ।

राजपत्रित अधिकारी

*३१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में १५ नवम्बर, १९६० को कुल कितने राजपत्रित अधिकारी थे और उनमें कितनी औरतें, कितने पिछड़े वर्ग के एवं कितने परिगणित जाति के थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ब्लाकडेवलपमेंट आफिसर्स

*३२—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में १ फरवरी, १९६१ को काम कर रहे B. D. Os. में कितने अस्थायी हैं और कितने अपने पदों पर स्थायी किये जा चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१-२-६१ को प्रदेश में ५९८ विकास क्षेत्र अधिकारी कार्य कर रहे थे । यह सभी अस्थायी हैं ।

पहाड़ी चोटियों पर पहुंचने के लिये कथित "रोपवे" योजना

*३३—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल-स्थित उच्च शिखरों पर सफलता से पहुंचने हेतु क्या उसने कोई ७ लाख की "रोप वे" योजना स्वीकृत की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

*३४—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां,तो क्या सरकार उस योजना की रूप-रेखा बताने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

अधिकारियों को आई० ए० एस० आदि लिखने की आज्ञा न देने पर विचार

*३५—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह राज्य सरकार के आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों को कोई आदेश केंद्रीय सरकार के निश्चयानुसार इस बात का दे रही है कि वह अपने नाम के आगे आई० ए० एस० आई०, पी० एस० एस० इत्यादि न लिखें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकासार्थ केन्द्र से प्राप्त अनुदान का व्यय

*३६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार ने जो चार करोड़ रुपया १९५९–६० और १९६०–६१ में खर्च करने के लिये दिया था उसमें से १९५९–६० और १९६०–६१ की जनवरी, १९६१ तक अलग-अलग वर्षों में किस क्षेत्र की किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०६–२०७ पर)

बागपत में सहकारी चीनी मिल खुलना

*३७—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नई चीनी मिलें खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में इस प्रदेश में बागपत (मेरठ) में सहकारी चीनी मिल लग गई है और इस मिल ने २९–११–६० से उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष किसी अन्य स्थान में नई चीनी मिल खुलना संभव नहीं है।

मोंढ़ा पांडे व दलपतपुर बाजारों का ठेका

*३८—डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद तहसील में मोंढ़ा पांडे व दलपतपुर के प्रधानों ने अपने-अपने यहां के बाजारों को नीलाम न करके ५–५ वर्ष के ठेके पर दे दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। मोढ़ा पांडे का बाजार ५ वर्ष तथा दलपतपुर का बाजार ६ १/४ साल के लिये ठेके पर दे दिया गया है।

*३९—डाक्टर खमानीसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि मोंढ़ा पांडे का बाजार अब तक १० हजार रुपये सालाना से ज्यादा को नीलाम होता आया है और इस वर्ष प्रधान ने ६,००० रुपये सालाना पर ५ वर्ष को दे दिया है और दलपतपुर का बाजार भी जो पिछले वर्ष ३,८८० रुपये को नीलाम हुआ इस वर्ष १,००० रुपये सालाना के हिसाब से ५ वर्ष को दे दिया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मोढ़ा पांडे का बाजार केवल पिछले दो वर्षों में दस हजार रुपये सालाना से अधिक पर नीलाम हुआ और इस वर्ष श्री गुलाब सिंह इत्यादि को ६,००० रुपये सालाना पर ५ साल के लिये दे दिया गया है। दलपतपुर का बाजार पिछले वर्ष ३,८०० रुपये को नीलाम हुआ था और इस वर्ष ११५२ रुपये सालाना पर ६ १/४ वर्ष के लिये ठेके पर दे दिया गया है।

*४०—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[५ अप्रैल, १९५१ के लिये प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

विदेश में होम्योपैथिक सीखने के लिये छात्रवृति

*४१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह होम्योपैथिक की उच्चतम शिक्षा के लिये विदेश में पढ़ने के लिये छात्रवृत्ति देती है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री चन्द्र भानुगुप्त— जी हां ।

उक्त छात्रवृत्ति का आधार निम्नलिखित है:

(१) होम्योपैथिक ४ साल का डिप्लोमा या डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हो,

(२) उम्र २३ वर्ष से ४० वर्ष के अन्दर हो,

(३) रजिस्टर्ड होम्योपैथ हो,

(४) आर्थिक अवस्था अच्छी हो,

(५) कम से कम ३ वर्ष तक सरकार के अधीन कार्य करने को सहमत हो, यदि उसकी जरूरत पड़े ।

*४२—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री दशरथप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९६०-६१ में कोई Interview उक्त छात्रवृत्ति के लिये किया गया है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

दो प्रार्थियों का निर्वाचन किया गया और प्रत्येक को २,५०० रु० का छात्र वृत्तिस्वीकृत किया गया ।

खाद्यान्नों के यातायात को शिथिल करने तथा चीनी के मूल्य पर से प्रतिबन्ध हटाने की जानकारी

*४३—श्री विश्रामराय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या निकट भविष्य में खाद्यान्नों के यातायात के प्रतिबन्ध को कुछ शिथिल करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*४४—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गन्ने की पैदावार को देखते हुये सरकार चीनी का दाम घटाने और उस पर से कंट्रोल हटाने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चीनी के मूल्य तथा यातायात पर भारत सरकार का नियंत्रण है । अतः राज्य सरकार द्वारा ऐसा विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४५—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न १२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिले

*४६—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना की दृष्टि से कौन-कौन जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अग्रणी हैं और क्यों ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रमशः देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जिले अग्रणी हैं क्योंकि उनके गन्ने का क्षेत्रफल तथा उत्पादन अधिक है।

विकास योजनाओं का क्षेत्र

*४७—**श्री कैलाशनारायण गुप्त** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही विकास की योजना है अथवा विकास का शहरी क्षेत्रों में भी कोई कार्यक्रम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दोनों क्षेत्रों के लाभ के लिये विकास योजनायें बनाई गई थीं।

*४८—**श्री कैलाशनारायण गुप्त**—क्या मुख्य मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है इन ग्रामों में भी विकास कार्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राविजन करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंच वर्षीय योजना में जो योजनायें शामिल हैं उनमें ग्राम्य एवं नगर क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास समन्वित है।

देवरिया सेमिनार में उद्योग में प्रगति न होने के कारणों पर प्रकाश

*४९—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया में क्षेत्रीय आयुक्त, गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक २३ फरवरी, १९६१ को जो सेमिनार हुआ था उसमें उद्योग में आवश्यक प्रगति न होने के मुख्य-मुख्य क्या कारण बताये गये थे और इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०८ पर)

दहगवां तालाब से कथित क्षति

*५०—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बदायूं में तालाब दहगवां जो, सरकार ने खुद बनवाया था, का पानी दहगवां की आबादी में आजाने की वजह से मकानों का नुकसान होता है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त तालाब के पानी से मकानों को कोई नुक्सान नहीं होता अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क

*५१—**श्री मुक्तिनाथ राय**—आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क खोलने के विषय में दिनांक १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक आजमगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर टेस्ट वर्क चालू किये गये थे और किन-किन स्थानों पर मजदूरों की कम उपस्थिति के कारण काम बन्द कर दिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ जिले में मई, १९६० के अंतिम सप्ताह में ६ सड़कों पर टेस्ट वर्क चलाया गया था जिनके नाम इस प्रकार हैं—

१—कांझा-फतहपुर बढ़ुआ गोदाम
२—लालगंज-पल्हना तरवा ठेकमा

३—मधुबन-दुवरी
४—अहिरौला-कप्तानगंज
५—अतरौलिया-नरियांव
६—अतरौलिया-नदियापार

इन सभी सड़कों पर जुलाई, १९६० के अंतिम सप्ताह में श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण काम बन्द कर दिया गया।

*५२-५३—श्री रामकिंकर—(जिला प्रतापगढ़)—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मिल क्लर्क्स यूनियन, कानपुर की मांगें

*५४—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनसे मिल क्लर्क्स यूनियन, कानपुर का कोई प्रतिनिधि मंडल ११ जनवरी, १९६१ को मिला था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

*५५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रतिनिधि मंडल ने उनके सामने कौन-कौन सी मुख्य मांगें रक्खी थीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २०९ पर)

*५६—श्री रामदीन—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

कोल डिपो स्थापित करने का विचार

*५८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कोयला रखने के सरकारी डिपो कहां-कहां हैं? यदि नहीं, तो उन्हें कहां-कहां स्थापित करने का विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फिलहाल कहीं नहीं है। यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

कानपुर मेडिकल कालेज में पलिस आर्म्ड गार्ड

*५९—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या १९६० के मार्च तथा अप्रैल में कानपुर मेडिकल कालेज में पुलिस आर्म्ड गार्ड रखा गया था? अगर हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मार्च, १९६० में कोई आर्म्ड गार्ड नहीं रखा गया। अप्रैल में तारीख १ से ९ तक रखा गया था। सरकारी रुपये की रखवाली के लिये रखा गया था।

*६०-६१—श्री लायकसिंह चौधरी (जिला मैनपुरी)—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२-६३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*६४-६५—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६—श्री रामशरण यादव—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

धान मिलों को लाइसेंस

*६७—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या धान मिलों को लाइसेंस देना उन्होंने बन्द कर दिया है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में बिना डाक्टर के अस्पताल

*६८—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के किन-किन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बस्ती जिले के निम्नलिखित अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं—

१—भनवापुर
२—बानपुर
३—इटवा
४—मेंहदावल
५—खलीलाबाद (जनाना)

इसका कारण डाक्टरों की कमी है।

उमर्दा विकास क्षेत्र में तकावी का वितरण

*६९—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उमर्दा विकास क्षेत्र, जिला फर्रुखाबाद में १९५६-५७ में जिन व्यक्तियों को सिंचाई कूप निर्माण तथा पंपिंग सेट लगाने तथा ट्यूबवेल के लिये तकावी दी गई उनमें से कितने व्यक्तियों ने काम पूरा कर लिया और कितने व्यक्तियों ने काम पूरा नहीं किया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उमर्दा विकास क्षेत्र में १९५६-५७ में २६ व्यक्तियों को सिंचाई के कुए बनाने के लिये तकावी दी गई जिसमें से केवल ८ व्यक्तियों ने कुए बनाये, शेष १८ व्यक्तियों ने नहीं बनाये।

६ व्यक्तियों को पंपिंग सेट लगाने के लिये तकावी दी गई परन्तु केवल ४ व्यक्तियों ने पंपिंग सेट लगवाये तथा २ ने नहीं लगवाये।

नलकूप निर्माण के लिये किसी को भी तकावी नहीं दी गई।

*७०—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या निश्चित अवधि के अन्दर कार्य पूरा न करने वालों को दी गई रकम नियमानुसार वापस ले ली गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, वसूल कर ली गयी है। दूसरा प्रश्न पैदा नहीं होता।

पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी उद्योग समितियों को लीसा न मिलना

*७१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लीसा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों की सहकारी उद्योग समितियों को लीसा दिये जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरकार द्वारा कोई भी 'लीसा कमेटी' नहीं स्थापित की गई थी। हां, डिवीजनल इवैलुएशन कमेटी, कुमायूं डिवीजन ने सहकारी उद्योग समितियों

को लीसा दिये जाने की सिफारिश की थी परन्तु इस वक्त मुआहिदे (agreement) के अन्तर्गत, जो ३१ मार्च, १९६२ तक लागू रहेगा, लीसा की पैदावार का अधिक भाग मेसर्स रोजिन एवं टरपेन्टाइन कम्पनी, क्लटरबक गंज, बरेली को दे देना पड़ता है। अतएव उपर्युक्त कमेटी की इस सिफारिश को कार्यान्वित करना संभव नहीं हुआ।

*७२-७३--श्री रामसुन्दर पांडेय--[६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मन्त्रियों तथा सभा सचिवों का टेलीफोन व्यय

*७४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० सितम्बर, १९५९ से ६ अक्तूबर, १९५९ तक और ३० सितम्बर, १९६० से ६ अक्तूबर, १९६० तक कितने टेलीफोन के ट्रंक-काल मंत्री, उप मंत्री पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के कार्यालयों और उनके लखनऊ के निवास स्थानों से प्रदेश के कौन-कौन से जिलों को, किन-किन अधिकारियों को किये गये और इस पर कुल कितना धन उपर्युक्त अवधि में अलग-अलग खर्च हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना †का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

आजमगढ़ जिले में कोयले का वितरण

*७५--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में अप्रैल, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक प्रतिमाह कितना कोयला प्राप्त हुआ है और वहां से पूर्ति अधिकारी ने कितने कोयले की मांग की थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-- घरेलू ईंधन के लिये साफ्ट, हार्ड कोक तथा स्टीम कोल और ईंट पकाने के लिये कोयला चूर जिलों को प्रदेशीय कोटा के अनुसार प्रांतीय लोहा तथा स्पात नियंत्रक द्वारा कोटा आवंटित किया जाता है। आजमगढ़ जिले में अप्रैल, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक इन दोनों प्रकार के कोयले के आवंटन तथा प्राप्ति के आंकड़ों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१० पर)

*७६--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलों में कोयला वितरण की क्या व्यवस्था है और क्या उसके लिये कुछ नियम भी बने ह? यदि हां, तो क्या सरकार उन नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखन की कृपा करगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-- साफ्ट कोक आजमगढ़ जिले में सर्वसाधारण के लिये गल्ले के कार्ड पर दिया जाता है। आजमगढ़ नगर के अतिरिक्त और डिपो होल्डरों को आदेश दिया गया है कि प्रतिदिन ३० मन से अधिक न बिक्री करें और एक आदमी को ५ मन से अधिक न दें। यह आदेश समय समय पर कोयले के स्टाक के अनुसार बदलता रहता है। स्लैक कोल केवल ईंट पकाने के लिये भट्ठे वालों को दिया जाता है।

*७७--श्री चन्द्रजीत यादव-- क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ जिले को निर्धारित कोटे का केवल सोलह प्रतिशत ही इस समय प्राप्त हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वैगनों की कमी के कारण अप्रैल, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक आजमगढ़ जिले को घरेलू ईंधन के लिये साफ्ट हार्ड, कोक तथा स्टीम कोल निर्धारित कोटे का ७८.२ प्रतिशत तथा ईंट पकाने के लिये कोयला चूर १७.४ प्रतिशत ही प्राप्त हुआ।

†सूचना छापी नहीं गई।

ग्राम समाज पसौड़ की अचल सम्पत्ति

*७८—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज पसौड़, तहसील गाजियाबाद में १३५९–६० फसली में कितनी-कितनी अचल सम्पत्ति थी और अब कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम समाज पसौड, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ के नाम १३५९–६० फसली में ३९४ बीघा, १३ बिस्वा, १४ विस्वांसी अचल सम्पत्ति थी और अब २६५ बीघा, १० बिस्वा, ११ विस्वांसी है।

*७९—श्री रामदीन—[हटा दिया गया।]

कछार क्षेत्र अथवा मेहदावल में गन्ने की तौल का कांटा लगाने की प्रार्थना

*८०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बस्ती के मेहदावल कछार क्षेत्र में कोई सड़क न होने के फलस्वरूप किसानों को अपना गन्ना मिल तक पहुंचाने में बड़ी कठिनाई होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*८१—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार उक्त कछार के किसानों की दिक्कत को देखते हुये कछार क्षेत्र में या मेहदावल में गन्ने का कांटा लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कछार क्षेत्र में यातायात का पर्याप्त साधन न होने के कारण गन्ने का कांटा लगाना संभव न हो सकेगा। कछार क्षेत्र के समीप सांथा में खलीलाबाद चीनी मिल द्वारा कांटा लगाया जाता है और इस क्षेत्र के काश्तकार उक्त सेंटर पर अपना गन्ना सुगमता से बेच सकते हैं।

जहां तक मेहदावल में कांटा लगाने का प्रश्न है गत वर्ष इस स्थान पर कांटा लगाया गया था किन्तु इस सेंटर पर काश्तकारों ने गन्ना नहीं दिया क्योंकि जब उनकी गन्ने की गाड़ियां मेहदावल तक पहुंच जाती हैं तो मेहदावल से खलीलाबाद मिल के गेट तक पक्की सड़क होने के कारण सुगमता हो जाती है और गेट पर गन्ना सप्लाई करने के कारण उनके गन्ने के मूल्य से यातायात सम्बन्धी व्यय की कटौती नहीं होती। अतएव इस वर्ष मेहदावल में पुनः कांटा लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में उद्योग धन्धों के लिये ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्र

*८२—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला उद्योग अधिकारी, फर्रुखाबाद को मार्च, १९५९ में लघु उद्योग-धंधों के कर्ज के लिये कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

*८३—श्री हरदयालसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह आवेदन-पत्र अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी धनराशि के हेतु प्राप्त हुए थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आवेदन-पत्रों की धनराशि अधिकतम १५,००० रु० तथा न्यूनतम ५०० रु० थी।

सुल्तानपुर जिले में बाढ़पीड़ितों को सहायता

*८४—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में १९६० में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में तहसीलवार किसानों को किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता कब-कब दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २११ पर।)

*८५—श्री काशीप्रसाद पांडेय—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से १९६० के बीच में सुल्तानपुर जिले में कहां-कहां टेस्टवर्क कब-कब खोले गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्नोत्तर अवधि के बीच केवल वित्तीय वर्ष १९५९-६० में जिले की सभी तहसीलों में टेस्ट वर्क चलाये गये थे।

ग्राम समाज, पुरईकलां में भूमि पर से अनधिकार कब्जा हटाने की कार्यवाही

*८६—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज पुरई कलां, परगना उंगली, जिला जौनपुर के ४४, १६५/५, ६०५/२१ नम्बरान पर जो मौक पर तालाब हैं और जिनमें अब भी ६-७ फुट पानी है, जिनसे सार्वजनिक सिंचाई की जाती है किस की आज्ञा से कुछ लोगों का कब्जा लिख कर धान की फसल लिखी गई है ? ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आलोच्य नम्बरान ताल पुरई कलां के भाग हैं। पर ये नम्बरान इतने छिछले हैं कि जोते बोये जाते हैं। इस सम्बन्ध में परताल के बाद भू-लेख नियमावली के अनुसार कागजात में इन्दराज किया गया है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*८७—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज पुरई कलां, परगना उंगली, जिला जौनपुर की सम्पत्ति नं० ९३५/१०, ७६८/३, ७०९/४, ३४५, १३६६ फसली में एस० के० द्वारा अनधिकृत रूप से वर्ग ४ में बिना फार्म प० क० १० में दिखाये ही क्यों दर्ज की गई है ? क्या सरकार उक्त गलती को सही कराकर गांव समाज की सम्पत्ति उसे लौटाने और सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित करने की कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आलोच्य सम्पत्ति पर अनधिकार कब्जा करने वाले व्यक्तियों के नाम १३६६ फसली में फार्म प० क० १० पर अंकित हैं एवं वर्ग ४ में सुपरवाईजर कानूनगो द्वारा दर्ज होना भूलेख नियमावली के परिच्छेद (पैरा) ए-१५५-ए के अनुसार नियमानुमोदित है। इस प्रकार नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है और न इसमें किसी अधिकारी को दंडित करने की कार्यवाही की आवश्यकता है। इन नम्बरान पर अनधिकार कब्जा हटाने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

*८८—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम पुरई कलां ,परगना उंगली, जिला जौनपुर का लेखपाल दस वर्षों से उसी गांव में लेखपाली कर रहा है और उसके विरुद्ध गलत इन्दराज और पार्टीबन्दी करने का आरोप होने के फलस्वरूप तहसीलदार शाहगंज ने उसके तबादले की सिफारिश दिनांक १५ जून, १९६० को की थी किन्तु उसे आज तक वहां से नहीं हटाया गया ? क्या सरकार उसका तुरन्त तबादला कर के उसके विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आलोच्य ग्राम में १० वर्ष के भीतर कई लेखपाल कार्य कर चुके हैं। जिनमें से श्री जगदम्बा प्रसाद के विरुद्ध गलत इन्दराज के विषय में एक शिकायती पत्र आया था। उस पर तहसीलदार ने जांच की किन्तु आरोप सही नहीं पाये गये। तहसीलदार ने उसके तबादले की सिफारिश भी की। परगनाधीश ने आदेश दिया कि जांच फिर से की जाय। फिर से जांच करने पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, इस कारण लेखपाल के तबादले की परगनाधीश ने कोई आवश्यकता नहीं समझी।

प्रसूतिगृह अटसू में मिडवाइफ न होना

*८९—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह ग्राम अटसू, पो० खास, जिला इटावा में शीघ्र ही जच्चा-बच्चा केन्द्र के वास्ते भवन निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार द्वारा ग्राम अटसू में बच्चा केन्द्र के भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है।

*९०—**श्री भजन लाल**—क्या यह सही है कि इस केन्द्र पर तीन माह पूर्व से कोई मिडवाइफ नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां शीघ्र ही मिडवाइफ भेजने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

प्रशिक्षित मिडवाइफ उपलब्ध न होने के कारण कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है। जल्द से जल्द एक प्रशिक्षित मिडवाइफ की नियुक्ति करने की कोशिश की जा रही है।

शांति सरोवर की रक्षा के लिये प्रार्थना

*९१—**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम अजमतगढ़ के ग्राम समाज ने अपने प्रस्ताव दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ द्वारा शान्ति शरोवर नामक पोखरे को इटों का भट्टा लगाने के लिये एक व्यक्ति को दे दिया और तभी से उस पोखरे से जो सिंचाई आस-पास के खेतों की होती थी वह नहीं हो पाती और जो मछलियां उसमें पलती थीं वह भी नहीं रह गई हैं?

*९२—क्या यह सच है कि इस आशय का शिलालेख उस पोखरे पर उसके जीर्णोद्धारक ने लगवाया था कि उसमें मछली मारना वर्जित है? यदि हां, तो गांव समाज मैनुअल के तृतीय संस्करण के पैरा ५६ (३) की जो अवहेलना उस पोखरे की मछलियों और फसलों को नष्ट करके की गयी है और जिसकी सूचना सरकार को है उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

*९३—**श्री श्रीकृष्ण गोयल**—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

नवतनवा विकास खंड व लक्ष्मीपुर छाया खंड के अपूर्ण कार्य

*९४—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के नवतनवा विकास खंड व लक्ष्मीपुर छाया खंड में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कौन-कौन विकास कार्य के लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हुए? क्या सरकार इन्हें अवधि के भीतर पूरा करने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गोरखपुर जिले के नवतनवां विकास खंड व लक्ष्मीपुर छाया खंड में, दूसरी पंच वर्षीय योजना में, जिन विकास कार्यों के लक्ष्य २८-२-१९६१ तक

पूरे नहीं हो पाये थे उनका विवरण संलग्न है। इन लक्ष्यों को अवधि के भीतर पूरा करने की यथासम्भव कोशिश की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २१२–२१५ पर)

कुष्ठ उन्मूलन अनुसंधान योजना

*९५—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कुष्ठ के उन्मूलनार्थ कोई विशेष अनुसंधान विभाग खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

कुष्ठ अनुसन्धान योजना केन्द्रीय सरकार के स्तर पर चलाई जा रही है। ऐसी दशा में प्रदेशीय स्तर पर अनुसंधान विभाग की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के विचाराधीन मुकदमे

१—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के यहां कितने ऐसे वाद या अभियोग हैं:

१—जो एक वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं?
२—जो दो वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं;
३—जो तीन वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—
१—केवल एक।
२—केवल एक।
३—कोई नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम के 'नेशनल हरल्ड' में छपे भाषण में अशुद्धियां

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो प्रश्न नहीं उठा रहा हूं लेकिन आपका ध्यान दिला रहा हूं कि जो आज मेरी स्पीच 'नेशनल हेराल्ड' में छपी है उसमें एक दर्जन से ज्यादा गलतियां है। मैं इसकी तरफ तवज्जह नहीं दिलाता अगर एडिटर साहब खुद लिख कर यह न कहते कि अगर कोई फैक्ट्स की गलतियां हुआ करें तो वह उनके ध्यान में लाई जायं। इसलिये अगर आप आज्ञा दें तो मैं उन सब को पढ़ कर बता दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप उन कन्ट्राडिक्शन्स या करेक्शन्स को लिख कर भेज दें तो उनका फर्ज हो जायगा कि वे उनको छाप दें।

नियम ५२ के अन्तर्गत कम्पनीबाग, सहारनपुर के कर्मचारी यूनियन के मन्त्री, श्री के० आर० वर्मा द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो विषय उपस्थित किये गये हैं उनमें से माननीय चन्द्रजीत यादव जी का मैंने आज स्वीकार किया है। कई रोज से वे दे भी रहे थे। वह इस प्रकार है—

"कम्पनी बाग, सहारनपुर के कर्मचारियों को कम्पनी बाग के अधिकारी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त वह सुविधायें भी नहीं दे रहे हैं जो वह नियमतः पाने के अधिकारी

[श्री अध्यक्ष]

हैं। श्रमिकों ने गत कई महीनों से इस संबंध में राज्य सरकार तथा संबंधित उच्च अधिकारियों को पत्र दिया परन्तु उनकी एक नहीं सुनी गई। विवश हो कर कम्पनी बाग कर्मचारी यूनियन के मंत्री श्री के० आर० वर्मा ने २० मार्च से आमरण अनशन कर रहे हैं। इस समय तक उनका वजन १९ पौंड कम हो चुका है। हालत चिन्ताजनक है। इससे कम्पनी बाग के श्रमिकों एवं सहारनपुर के नागरिकों में गहरी चिन्ता व्याप्त है।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आपके द्वारा संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

मैं समझता हूं कि यह गृह मंत्री से संबंधित है। तो इस संबंध में कोई सूचना सदन को वक्तव्य के द्वारा देने के लिये दिन मुकर्रर कर दीजिये या आज ही देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमन्, आज तो मैं नहीं दे सकूंगा, अगले मंगलवार को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम ५२ के सिलसिले में कई रोज से आपको एक सवाल दे रखा है कि शाहजहांपुर में आज कल डकैती, नकबजनी और हजारों बीघा फसल कट चुकी है लेकिन आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया है। आज शाहजहांपुर में ऐसा जबर्दस्त आतंक फैला हुआ है कि किसी आदमी को राहत नहीं है। कोई आदमी यह कह कर कि सौ रुपये इस गांव से दूसरे गांव को लिये जा रहा है खैरियत से नहीं जा सकता। तो श्रीमन्, मैंने कई रोज से यह प्रश्न आपको दे रखा है.....

श्री अध्यक्ष---आप भेजना जारी रखिये किसी रोज आ ही जायगा।

श्री रूर्मासिंह---अरे साहब, तीन- चार रोज तो हो गये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---एक प्रार्थना मेरी यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि वे मंगलवार को वक्तव्य देंगे। चूंकि उन्हें दस दिन हंगर स्ट्राइक करते हो गये हैं और १९ पौंड वजन घट गया है, मेरे पास तार आया है, तो मैं चाहता हूं कि जरा जल्दी बयान हो जाय तो अच्छी बात हो।

श्री अध्यक्ष---बयान से हंगर स्ट्राइक थोड़े ही टूटती है। अगर कोई कार्यवाही उनको करनी है तो वह तो आप बातचीत करके भी करा सकते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---श्रीमन्, मेरा एक नियम ५२ का प्रश्न कानपुर में जो अग्निकांड हुआ उसके बारे में था।

श्री अध्यक्ष---ऐसे तो बहुत से हैं लेकिन मैं एक ही तो ले सकता हूं।

डाकुओं द्वारा जगम्मनपुर (उरई) के बाजार से पकड़े गये व्यक्ति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे श्री गोविन्द नारायण द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में जो जगम्मनपुर के बाजार में डाकुओं द्वारा किसी व्यक्ति के पकड़ लिये जाने के संबंध में था।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, जगम्मनपुर ग्राम में प्रत्येक वृहस्पतिवार को बाजार लगता है। २३ मार्च, १९६१ को वृहस्पतिवार था और सदैव की भांति उस दिन भी बाजार लगा था। उस दिन शाम को करीब साढ़े सात बजे एक डाकू जिसके पास बन्दूक थी और जो पुलिस की वर्दी पहने था अचानक ही दूकान में घुसा और शान्ति प्रसाद नामक व्यक्ति को उसने पकड़ लिया। शान्ति प्रसाद के अलावा उसके पिता श्री लालमन तथा एक अन्य व्यक्ति बाबू शुक्ल दूकान पर मौजूद थे और उन्होंने डाकू को पकड़ लिया। श्री शान्ति प्रसाद डाकू से अपने आप को छुड़ा कर भाग गया। इसके बाद ही एक अन्य डकैत, जो पुलिस की वर्दी पहने था तथा एक सादी पोशाक वाला डकैत, दोनों पास की दूकान में गये जिस पर जुग्गीलाल अन्य व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। डाकुओं ने जुग्गीलाल को पकड़ लिया और खींच कर दूकान के बाहर ले गये। उन्होंने एक फायर भी किया जिससे पास के लोग घबड़ाकर इधर-उधर भागे। एक फायर और किया गया और सात-आठ डकैत जो खाकी वर्दी में थे जुग्गीलाल को लेकर भाग गये।

जगम्मनपुर गांव में उस समय एक आर्म्ड गार्ड भी मौजूद था। आर्म्ड गार्ड को सूचना दी गई और उसने तुरन्त ही डाकुओं का पीछा किया परन्तु डाकू गांव से बाहर जा चुके थे और गार्ड को कोई सफलता नहीं मिली। जाते समय डाकुओं ने एक हिन्दी का पत्र एक व्यक्ति रामनारायण को दिया जो उस समय अपने खेत से लौट रहा था और उससे कहा कि यह पत्र अपहरण किये हुये व्यक्ति के भाई कमला वैश्य को दे दे। इस पत्र से पता चलता है कि यह काम श्रीपाल गड़रिया के गैंग का था। पत्र में लिखा था कि जुग्गीलाल को छुड़ाने के लिये वे लोग बातचीत करें। पत्र में किसी निश्चित धन बतौर रेन्सम का जिक्र नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही थाना रामपुर में धारा ३६५ (Kidnapping) भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत केस रजिस्टर किया गया। अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश ने भी मौके का निरीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त डी० आई० जी० रेंज वहां २५, २६ को गये थे। आई० जी० को मैंने कहा और वे २९ को उरई पहुंच गये और आज गालिबन मौके पर पहुंच गये हों। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये और जनता की सुरक्षा के लिये एक पी० ए० सी० कम्पनी और १२ आर्म्ड गार्ड सीमा पर लगा दिये गये हैं।

उससे पहले ही एक घटना का जिक्र नियम ५२ के प्रसंग में सदस्य महोदय ने किया है। यह घटना ५-११-६० की है। उस दिन शाम को करीब ७-८ बजे ग्राम करारा, थाना रामपुर में श्री बालादी के मकान पर १० सशस्त्र डाकू आये और उन्होंने बन्दूकों के दो फायर किये। वह करीब ३,५०० रुपये का सामान लूट कर ले गये। इसके अलावा वे एक लड़के को, जिसका नाम श्री प्रकाश है, अपहरण करके ले गये। इस केस में भी श्रीपाल गड़रिया के गैंग का हाथ था। सूचना यह है कि १८-२-६१ को १,६०० रुपये बतौर रैन्सम प्राप्त करने के बाद लड़के को छोड़ दिया गया।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस स्थान से डाकू लोग जुग्गीलाल को पकड़ ले गये वहां पर क्या कोई पी० ए० सी० पोस्टेड है और आर्म्ड गार्ड वहां से कितने फासले पर था?

श्री चरणसिंह—कहा यह जाता है कि सौ सवा सौ गज के फासले पर आर्म्ड गार्ड था।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—जब सौ सवा सौ गज के फासले पर आर्म्ड गार्ड था तो उसने कितनी देर तक डाकुओं का पीछा किया? इस बीच में कोई फायरिंग हुई या नहीं?

श्री चरणसिंह—मैंने कहा उन्होंने पीछा किया और कुछ दूर जाकर डाकुओं ने एक फायरिंग की और इस पर आर्म्ड गार्ड ने भी फायरिंग की, लेकिन उसके बाद वे लौट आये क्योंकि वे पकड़ नहीं पाये क्योंकि वह मध्य प्रदेश में जा चुके थ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—जब डाकुओं में और पुलिस वालों में इतना कम फासला था और आमने-सामने फायरिंग होने लगी और एक दूसरे को वह देख सकते थे तो उनको परसू क्यों नहीं किया गया और आर्म्ड गार्ड जो वहां से लौट आया तो उसने कोई डिरेलिक्शन आफ ड्यूटी (dereliction of duty) माननीय मंत्री की नजर में की या नहीं ?

श्री चरणसिंह—मैं यह तो नहीं कह सकता कि आर्म्ड गार्ड ने उन डाकुओं को देखा जिस पर उन्होंने फायरिंग की। दूसरे रात का समय भी हो चुका था। लेकिन फिर भी मैं बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं आर्म्ड गार्ड ने जिस तरह से ऐक्विट वहां किया। हैड कांस्टेबिल जो वहां का इंचार्ज था वह सस्पेंड हो चुका है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी के पास इस आशय की शिकायत आई है कि जो आदमी पुलिस की वर्दी में बन्दूक लिये था वह या तो पुलिस फोर्स का आदमी था या पुलिस से मिला हुआ था ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं आई है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि इस तरह से किडनैपिंग करके और रुपया लेकर छोड़े जाने की घटनाओं का जो आ रेशनल एरिया है वह आगरा, मैनपुरी तथा इटावा तक ही सीमित था, अब वह बढ़कर आगे फैल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या विशेष काम करना चाहती है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस हद तक तो माननीय मित्र की बात सही है कि पहले की हमारी सूचना के अनुसार जहां ऐसे अपराध होते थे उनकी संख्या को देखते हुये आगरा, इटावा और मैनपुरी का बार्डर एरिया ही आपरेशनल एरिया था और वहां पी० ए० सी० बहुत बड़ी तादाद में डाली हुई थी। तो अब यह एरिया थाना रामपुरा और रेंढ़र, जिला जालौन जो इटावा से मिला हुआ है, उसमें भी जुर्म शदीद हुये हैं तो इस नाते वह बढ़े हुये कहे जा सकते हैं लेकिन आगरा, इटावा तथा मैनपुरी में जहां पी० ए० सी० थीं, वहां जुर्म बहुत कम हो गये हैं और करीब करीब नहीं होते हैं। पुलिस ने वहां क्या इंतजाम किया वह मैं आपकी इजाजत से बता देना चाहता हूं। पी० ए० सी० की एक कम्पनी और इन दोनों थानों पर जो मध्य प्रदेश से मिले हुये हैं वहां १२ आर्म्ड पुलिस गार्ड लगा दिये गये हैं। इसके अलावा तीन सब-इंस्पेक्टर पुलिस खुफिया काम करने के लिये छोड़ दिये गये हैं। वायरलेस सेट्स भी पुलिस स्टेशन रामपुरा और रेंढर में इंसटाल कर दिये गये हैं। जीप भी वहां भेजने का हुक्म हो गया है। मुमकिन है कल पहुंच गई हो या आज पहुंच जाय। एक सर्किल इंसपेक्टर इसी एरिया में और दे दिया गया है। इन दोनों थानों का जो सिविल पुलिस एलोकेशन था वह भी बढ़ा दिया गया है। वहां एक-एक हेड कांस्टेबिल और पांच-पांच कांस्टेबिल बढ़ा दिये गये हैं। उस एरिया में ७५ गन लाइसेंस तकसीम हो चुके हैं और वहां के लोगों से कहा है कि जो बन्दूक का लाइसेंस लेना चाहें उनको दिया जा सकता है, अगर वह रिलायेबिल हों। इसके अलाव डी० आई० जी० ने २६ मार्च को आसपास के पुलिस अफसरान और सब-इंस्पेक्टर्स की एक कांफ्रेन्स की कि कैसे कार्यवाही की जाय और १४ मार्च को इटावा, जालौन और भिंड (यह मध्य प्रदेश का जिला है) इन तीनों जिलों के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की भी एक कान्फ्रेंस हो चुकी है। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसमें गांव वाले ज्यादा शरीक हो सकते हैं। एक ऐसी स्कीम वहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने बनाई है लेकिन उसकी तफसील इस समय मेरे पास पूरी नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन डाकुओं के पास, जैसा कि सुना जाता है कि प्रोहिबिटेड बोर की बन्दूकें हैं, चाहे वह पुलिस की हों या फौज की हों और वह कारतूस हैं जो बाजार में नहीं मिलते हैं तो यह कहां से उनके पास आ रहे हैं, इसका कुछ पता माननीय मंत्री जी को लगा है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस का खयाल कुछ-कुछ यह है कि जो बहुत से फौज के लोग छुट्टी पर आते हैं, या किसी और जरिये से, मसलन जहां फौज का आपरेशन होता है, किसी बार्डर एरिया में, चाहे पाकिस्तान का बार्डर हो या चीन का हो, वहां से यह अम्युनीशंस और आर्म्स शायद हासिल हो जाते हों और यह फौज के लिये नामुमकिन है कि जहां उनका आपरेशनल एरिया है वह इस तरह की चेकिंग कर सकें। उनसे यहां से कुछ पत्र-व्यवहार हुआ।

दूसरा पुलिस का खयाल यह है कि जो राजस्थान में पुरानी रियासतें थीं उनके पास हथियार बहुत ज्यादा थे। यह हथियार उन राजाओं से जो बहुत बड़े-बड़े राजा थे, उनसे हासिल होने में उनको मदद मिलती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में पुलिस की कमी के साथ-साथ मार्गों की कमी के कारण भी पुलिस नहीं जा पाती है मौके पर और डकैतियां हो जाती हैं ?

श्री चरणसिंह---यह बात भी कुछ हद तक सही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि स्थानीय राज परिवार से, उड़ाये गये लड़के के परिवार से कोई रंजिश थी वह भी कारण उड़ाये जाने में हैं ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस मसले पर खामोश रहना पसन्द करूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय गृह मंत्री जी ने बतलाया कि जहां अपहरण किया गया, जुग्गीलाल का, वहां से पुलिस सौ, डेढ़ सौ गज के फासले पर थी, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह पुलिस वहां पर इसलिये कैम्प कर रही थी कि बदमाशों से शान्ति-रक्षा करे अथवा अपने आराम के लिये कैम्प कर रही थी जब कि सौ, सवा सौ गज के फासले पर पुलिस की वर्दी पहने, अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स लिये हुये लोग अपराध कर रहे थे, उस समय पुलिस क्या कर रही थी, इस पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं माननीय मित्र के जजमेंट पर छोड़ता हूं कि पुलिस गवर्नमेंट ने आराम करने के लिये भेजी थी या जनता की रक्षा की भावना (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय,मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह मैं माननीय मित्र की अक्ल पर छोड़ता हूं कि पुलिस गवर्नमेंट ने आराम करने के लिये भेजी थी या लोगों की सुरक्षा की भावना को दृढ़ करने के लिये भेजी थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आपकी नाकाब्लियत पर (शोर)।

श्री चरणसिंह---मेरी तो नाकाब्लियत पर छोड़ दें, लेकिन मैं दोस्तों की लियाकत पर छोड़ता हूं कि पुलिस किस लिये भेजी गई थी। दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं (शोर) खामोशी से सुनिये दूसरों की नीयत पर हमला करना आसान है। मैंने जैसा पहले सवालों के जवाब में कहा, आर्म्ड गार्ड ने जिस तरह से अपने को कंडक्ट किया है मैं उससे अत्यन्त असंतुष्ट हूं और "असंतुष्ट" से ज्यादा सख्त लफ्ज सुनने से अगर माननीय मित्रों को संतुष्टि हो जाय तो मैं उसके लिये गिल्टी प्लीड करता हूं।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के चम्बल घाटी से संबंधित हिस्से की रक्षा के लिये कितनी पी० ए० सी० किन-किन स्थानों पर रखी है ? दूसरे यह कि चम्बल नदी स्वतः इतनी गहरी है कि यदि मंत्री जी चाहे तों उस नदी पर जितने घाट बने हुए हैं, नावें जहां पड़ती हैं, अगर वहां पी० ए० सी०

[श्री भजनलाल]

लगा दें तो इटावे पर मध्य प्रदेश से होने वाले हमले कतई न हों, इस पर मंत्री जी क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---देखिये, मैं इसकी तो इजाजत नहीं दूंगा कि कहां-कहां पी० ए० सी० इटावा जिले में रखी गई है। सुझाव के बारे में माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर देना चाहते हैं घाटों पर इन्तजाम करने के बारे में तो वह जवाब दे सकते हैं।

श्री चरणसिंह---अब मेरे पास यहां इस समय यह इत्तिला नहीं है कि इटावा, मैनपुरी और आगरे में पी० ए० सी० कहां-कहां पर पड़ी हुई है....

श्री अध्यक्ष---मैंने उसके लिये इजाजत नहीं दी है।

श्री चरणसिंह---जहां-जहां अफसरान ने आवश्यक समझा होगा वहां-वहां रखी होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय गृह मंत्री महोदय ने यह माननीय सदस्यों की अक्ल पर छोड़ा है कि सरकार ने पुलिस वहां सुरक्षा के लिये भेजी या आराम करने के लिये, मैं यह माननीय मंत्री महोदय की अक्ल पर छोड़ता हूं कि क्या यह सम्भव ीं है कि जो पुलिस सुरक्षा के लिये भेजी गई हो वह आराम कर रही हो ?

श्री अध्यक्ष---अक्ल पर छोड़ दिया तो प्रश्न कहां रहा ?

श्री ऊदल---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति को डाकुओं ने उड़ा लिया है क्या उसके परिवार के लोगों से और जगम्मनपुर रियासत के लोगों से गांव सभा के चुनाव में झगड़ा हुआ था और इसी वजह से उसको उन लोगों ने डाकुओं से मिलकर के उड़वा दिया ?

श्री चरणसिंह---अब उन्होंने तो नाम ले लिया। मैं पहले ही समझ गया था उनकी मंशा और मैंने यह अर्ज किया था कि मैं इस समय इस मसले पर चुप रहना पसन्द करूंगा।

विधान भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब, जो कहा जाता है कि विधान भवन के शिखर पर का जो झंडा फाड़ा गया था, उस संबंध में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि पूरी सूचना वह आज देंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, कल थोड़ी बहुत सूचना मैंने दे दी थी। उसके उपरान्त जो सूचना मुझे मिली है वह इस प्रकार से है....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आवाज बहुत आ रही है।

श्री अध्यक्ष---आप लोग जरा खामोश हो जांय। महत्वपूर्ण प्रश्न है झंडे के बारे में।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कल २९ मार्च, १९६१ को सचिवालय के एक चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारी ने पूर्वाह्न लगभग साढ़े नौ बजे विधान भवन की छत पर चढ़कर ध्वज-दंड पर फहराते हुये राष्ट्रीय झंडे को नीचे उतारने की चेष्टा की।

तत्पश्चात् वह कर्मचारी नीचे उतरा और अनियंत्रित रूप से व्यवहार करता रहा। उसे पागल समझ कर जब एक व्यक्ति उसे पकड़ने गया तो उसके कन्धे पर उस कर्मचारी ने जोर से

दांत से काटा। यह देखकर आसपास में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे पागल की भांति व्यवहार करते हुए देखकर घेर लिया।

इस शोरगुल के बीच एक सज्जन ने उस कर्मचारी को घेर लेने पर घोर आपत्ति की तथा कड़े शब्दों में उस कर्मचारी को छोड़ देने को कहा। इस पर उपस्थित लोग ज्यों ही उस कर्मचारी से कुछ अलग हुये वह विधान भवन से भागता हुआ सड़क पर निकल गया। जिन सज्जन के बीच-बचाव के कारण वह कर्मचारी उस समय भाग गया उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया पर घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्ति उन्हें फिर देखने पर सम्भवतः पहचान सकेंगे।

कल अपराह्न ही वह कर्मचारी गिरफ्तार हो गया और अब जिला कर्मचारियों द्वारा नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी तथा यदि आवश्यक हो तो संबंधित कर्मचारी को मेडिकल आब्जर्वेशन में रखा जायगा।

इस कर्मचारी के अनियंत्रित व्यवहार के कारण इसकी डाक्टरी जांच के लिये कुछ दिन पूर्व ही भेज दिया गया था परन्तु कर्मचारी ने अपनी डाक्टरी जांच नहीं करवाई।

घटना के कुछ देर बाद ही वहीं राष्ट्रीय झंडा ध्वज दंड पर फिर फहराया गया। भविष्य में विधान भवन पर फहराते हुये राष्ट्रीय झंडे की किसी प्रकार की अवहेलना न होने पावे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को छोड़वा दिया या जिसके बीच-बचाव करने से वह आदमी भाग गया था वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी था या विधान सभा का कोई सदस्य था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह एक खादी पहने हुये व्यक्ति थे और उनका नाम तो कोई जाब्ते से यहां आया नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति पहचाना जा सकता है, ऐसा बताया जाता है। अभी उसकी जांच-पड़ताल के बाद उस व्यक्ति के नाम का पता चलेगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ९।। बजे जिस समय वह आदमी विधान भवन में घुसा उस समय विधान भवन में कौंसिल हाउस ग्रार्ड्स की ड्यूटी थी, या पुलिस की ड्यूटी थी या सी० आई० डी० की ड्यूटी थी ? उनके रहते हुये वह आदमी अन्दर कैसे चला गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो यहां का चपरासी था और उसके पास चपरासी होने का शायद कार्ड इत्यादि रहता है। १० बजे सी० आई० डी० की ड्यूटी लगती है। जिस समय वह घुसा उस समय सी० आई० डी० की ड्यूटी नहीं थी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बतलायेगी कि जिसने इस राष्ट्रीय झंडे को फाड़ा है उसने इरादतन फाड़ा है या पागलपन में फाड़ा है इसकी डाक्टरी जांच सरकार करायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो, जो बयान मैंने पढ़ा, उसमें स्वतः कहा है कि अधिकारी जांच कर रहे हैं और यदि वह मुनासिब समझेंगे तो उस व्यक्ति को जांच के लिये डाक्टरों के पास भेजा जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि वह इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये उचित कार्यवाही करने जा रहे हैं तो मैं यह निश्चित जानना चाहता हूं कि वह उचित कार्यवाही क्या करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस सम्बन्ध में एक घटना बतलाना चाहता हूं कि जिन दिनों मैं सेन्ट्रल असेम्बली का मेम्बर था तो वहां पर यूनियन जैक फहराया करता था। मेरे मित्र श्री मोहनलाल सक्सेना,

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

एम० पी० और मैंने, दोनों ने उस यूनियन जैक को उतार लिया था। जब हमसे पूछा गया कि किसने उतारा तो हमने कह दिया कि हमने उतारा। फिर उसके पश्चात् तत्काल सरकार ने वहां पर आर्म्ड गार्ड हमेशा के लिये बैठा दिया था जिससे कोई झंडा उतार न सके और वहां पहुंच न सके।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब उचित कार्यवाही के सिलसिले में मैं इतनी ही बात कह सकता हूं कि अधिकारियों से और पुलिस के अधिकारियों से जब मैं बात कर लूंगा कि किस तरह से व्यवस्था उसकी रक्षा की की जाय तब एक अधिकारपूर्ण बात कह सकूंगा कि सरकार क्या उचित कार्यवाही करना चाहती है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या मुख्य मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उस व्यक्ति को जिन लोगों ने घेर रखा था उनको जिन सदस्य ने डांटा और उसके छुड़ाने में सहायता दी वह हमारे प्रदेश के विधान मंडल के कोई सदस्य हैं? इस प्रकार की उनको कोई जानकारी है?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जैसा कि आज स्वतन्त्र भारत में लिखा है कि जिस कर्मचारी ने झंडा फाड़ने की कोशिश की, उसने इससे पहले भी ऐसी हरकत की थी? तो क्या पहले भी उसकी डाक्टरी जांच हो चुकी है?

श्री अध्यक्ष--वह जवाब दे चुके हैं कि डाक्टरी जांच के लिये भेजा गया लेकिन उसने कराई नहीं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--श्रीमान् जी, यह राष्ट्र के झंडे का सवाल है, मुल्क के झंडे का सवाल है और उसकी इज्जत का सवाल है तो मैं सीधा यह सवाल करना चाहता हूं कि जैसा सुनने में आया कि जिस व्यक्ति ने उस झंडे की बेइज्जती की उसको छुड़ाने वाला कोई सोशलिस्ट सदस्य था?

श्री अध्यक्ष--जब उनको मालूम नहीं तो वह क्या बतला सकते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इसके पहले उसकी कुछ कार्यवाही ऐसी हो चुकी थी जिससे कि उसके पागल होने का शुबहा था और माननीय मंत्री जी के कथनानुसार डाक्टरी जांच के लिये उसको भेजा गया और उसने डाक्टरी नहीं कराई तो फिर उसको सर्विस में रखने की कैसे इजाजत मिल गई और वह काम पर कैसे लगा रहा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सब सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। यह सब सवाल उठेंगे तो जांच में पता लगेगा।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब विधान सभा में जनसंघ के सदस्य द्वारा उस व्यक्ति का नाम लिया गया था जिस ने उसे भागने में मदद की तो उसका आइडेंटिफिकेशन कर उस पर क्या उचित कार्यवाही करने की वह कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब वह कौन व्यक्ति था और कौन नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। जब स्थानीय अधिकारीगण इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो उनके उस जानकारी के मुझे देने के बाद जो कार्यवाही मैं उचित समझूंगा, उसे करने का आदेश दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जो सवाल, श्रीमन्, उधर से हुए उन के संबंध में मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि जब सरकार की ओर से बार-बार यह स्पष्टीकरण हो गया कि सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है, तब भी प्रचारार्थ इस सदन में बार-बार सोशलिस्ट सदस्य, सोशलिस्ट सदस्य कह कर नाम लेना, मैं समझता हूं कि अनुचित बात है। इस प्रकार के सवाल मैं भी पूछ सकता हूं कि जिसने झंडा फाड़ा था [.....] यह लज्जा की बात है कि इतने दिनों से वह सरकारी कर्मचारी है फिर भी यह नहीं जाना गया कि वह पागल है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---मैंने उस के लिये उन्हें रोक दिया था।

श्री एस० जी० दत्त---वह शफीक अहमद तातारी थे, जिन्होंने यह किया है।

श्री राजनारायण---[.....]

श्री एस० जी० दत्त---[.....]

(इस समय सदन में कई ओर से 'शेम शेम' की आवाजें उठने लगीं और कई सदस्य जोर जोर से चिल्ला कर आपस में बात करने लगे।)

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। इस जिक्र के उपरान्त मेरी बातचीत शफीक अहमद तातारी साहब से हुई थी और उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने उसको छुड़ाया है। जब मैंने उन से यह पूछा कि आपने झंडे का अपमान क्यों किया तो उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में भी झंडे का अपमान हुआ है तो आपने क्या कर लिया? मैं समझता हूं कि यह उन्होंने जानबूझ कर किया है.....

('शेम शेम' की ध्वनि और शोर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा से अत्यन्त नम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरह का दृश्य इस समय सदन में दिखायी दे रहा था और कई सदस्य आपस में खड़े हो कर एक दूसरे के बारे में तू-तड़ाक कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे, क्या यह सदन के लिये शोभनीय है और क्या ऐसी सूरत में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और इसमें इतनी गरमा-गरमी करने का कोई सवाल नहीं है। हर एक कोई यह चाहता है कि झण्डे का महत्व कायम रहे। कोई आदमी इस सदन में ऐसा नहीं है कि जो झंडे की इज्जत को बिगाड़ने के लिये तैयार हो।

अब यह बात जो है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कर दी है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय यह सरकार का काम है और सरकार ने, मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। तो जिस को सूचना देनी है इस संबंध में, या किसी को अगर कोई जानकारी है तो वह मुख्य मंत्री जी को दे दें तो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि सदन में इसके बारे में कोई शोरगुल हो।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं स्वतंत्र भारत यहां ले आया हूं, यह सोच कर लाया कि यह चर्चा तो यहां चलेगी ही। यह स्पष्ट बात है कि अगर यहां झंडे का सम्मान करने वाला कोई है, तो हम उस से कम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---यह तो ठीक है।

नोट---[.....] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री राजनारायण---और न तातारी साहब ही किसी से कम हैं। हम बराबर गीत गाया करते थे "इसकी शान न जाने पाये, चाहे जान भले ही जाये"। हम जान दे कर भी इसकी शान की रक्षा करेंगे। अखबार में यह लिखा है कि शफीक अहमद तातारी साहब की भर्त्सना सदन के बाहर और अन्दर दोनों जगह हुई और आप कहें तो मैं इस अखबार को पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---इस सब की यहां जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण---जो भर्त्सना की गलत बात निकल रही है उस के लिये या तो आप शफीक अहमद तातारी साहब का पूरा बयान लें और उन से पूछें कि बात क्या है और फिर यह व्यवस्था करें कि समाचार-पत्रों में इस प्रकार की बातें न निकाली जांय।

श्री अध्यक्ष---समाचार-पत्र अगर इस विषय में कोई चीज छापते हैं तो इसके लिये दो ही रास्ते हैं। जो बातचीत सदन में हुई है अगर उसे उन्होंने गलत छाप दिया है तो आप विशेषाधिकार का प्रश्न या सदन की अवहेलना का प्रश्न यहां उठा सकते हैं। लेकिन और भी बातें हो सकती हैं। अगर कोई गलत बात वह जानकारी हासिल कर के छाप देते हैं तो उस के लिये डिफेमेशन का सूट वह ला सकते हैं अदालत में जा कर कि हमारे बारे में यह गलत बात छापी गयी है, या प्रतिवाद में अपनी बात भेज सकते हैं। लेकिन यह चीजें न कर के अगर सदन ही एक ऐसा स्थान बनाया जाय कि जहां सब तरह की बातें आप बहस में ले आयें, तो मैं इस के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक सम्मानित सदस्य कह रहे हैं विधान मंडल के सदस्य का नाम लेकर और.....

श्री अध्यक्ष---वह सूचना दे सकते हैं। इस समय मैं यही कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री इन्क्वायरी कर रहे हैं तो इस प्रकार की सूचना यहां न देकर उनको माननीय मुख्य मंत्री को ही देना चाहिये। यही उचित है। यहां पर किसी का नाम लेना और गर्मागर्मी बढ़ाना ठीक नहीं होगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वह सरकारी नौकर था, इसको स्वीकार किया गया है। वह आदमी कहीं भाग कर थोड़े ही जा सकता है?

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बहस न कीजिये, बैठिये।

(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं आपकी रूलिंग से सहमत हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी करा रहे हैं तो उसके पहले यहां इस तरह की तू-तड़ाप, गर्मा-गर्मी अच्छी नहीं। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री अपनी इन्क्वायरी कराते वक्त यह भी इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति का यहां पर नाम लिया गया है और जो आरोप लगाया गया है वह सही था या नहीं। इस समय उस पर अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिये और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये यह अशोभनीय हैं। इस संबंध में आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं इस बात से सहमत हूं कि इस तरह की बातें यहां नहीं होनी चाहिये और माननीय पालीवाल जी ने, जो यहां के पुराने अनुभवी व्यक्तियों में से हैं, सदन में क्या प्रथा रहनी चाहिये उसको ध्यान में रखते हुये, यह बताया है कि इस तरह की गर्मा-गर्मी करना ठीक नहीं है। जब एक इन्क्वायरी हो रही है तो हमें उस पर निर्भर रहना चाहिये। जिसके पास जो सूचना हो वह लिख कर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचा दें। यहां उस पर बहस उस वक्त हो सकती है जब उसकी पूरी इन्क्वायरी होने के बाद सही बात सदन के सामने आ जाये। इस समय कोई और बहस नहीं होना चाहिये।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---आप इस तरह की व्यवस्था करें कि इस तरह की जो बातें यहां सदन में हो गयी हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---मैं उसको देखूंगा और जो अनुचित बात होगी उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा, किन्तु जो सूचना किसी माननीय सदस्य ने दी है, उसको हटाने का प्रश्न नहीं उठता जब तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी इन्क्वायरी करने क बाद अपनी सूचना सदन को न दे दें। उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि उसमें कोई बात अनुचित है तो मैं उसे भी निकाल दूंगा।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य यहां पर किसी को "तुम" कह सकता है और उस शब्द का यहां प्रयोग कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष---मैंने तो 'तुम' शब्द को सुना नहीं। अगर उसका प्रयोग किया है तो वह गलत है। पालीवाल जी ने इस विषय में पहले ही कह दिया कि जो तू-तड़ाप हुई वह अनुचित है।

भूमि संरक्षण मण्डल के निर्वाचनार्थ सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। भूमि संरक्षण मण्डल के लिये तीन व्यक्तियों का निर्वाचन होना था। इसके लिये जो नामजदगी के पर्चे मेरे पास आये हैं वह यह हैं---

१---श्री जगन्नाथ प्रसाद (खीरी)
२---श्री रामदुलारे मिश्र (कानपुर)
३---श्री मुक्तिनाथ राय (आजमगढ़)
४---श्री मलखानसिंह (अलीगढ़)
५---श्री चन्द्रिकाप्रसाद (रायबरेली)
६---श्री हरीदत्त काण्डपाल (अल्मोड़ा)।

नामों के वापस लेने की तारीख पहली अप्रैल, १९६१ है। अगर नाम वापस नहीं लिये जाते हैं तो चुनाव ८ अप्रैल, १९६१ को होगा।

†उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (क्रमागत) *

खण्ड २ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३---आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में--- यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६

(१) धारा ४ के खंड (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "consent of the" तथा शब्द "University concerned" के बीच में शब्द का संशोधन "Chancellor of the" रख दिये जांय ;

(२) धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"9. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (4). The Vice-Chancellor

* १७ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से।
† ९ मार्च, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

(2) The Vice-Chancellor shall, except as otherwise provided, hold office for a period of three years but may relinquish office by resignation in writing addressed to the Chancellor. The resignation shall ordinarily be delivered to the Chancellor sixty days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are, or may be, prescribed by Statutes.

(4) (i) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of three persons, namely—

(*a*) one person, not being a person who is connected with the University, an Affiliated College, or a Hostel, to be elected by the Executive Council ;

(*b*) another person, who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad, to be nominated by the Chief Justice of that High Court ; and

(*c*) a third person, to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convener of the Committee.

(ii) The Committee shall, as for as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (2), and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons, but shall not indicate any order of preference.

(5) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave, or any cause, other than resignation or expiry of term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacancy is or is likely to last for a period exceeding six months, take steps for the appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4) ;

(ii) in case the vacancy is for a period of six months or less, appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the Chancellor may, in any case of emergency, of which the Chancellor shall be the sole judge, and in any case where the vacancy cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4), appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor ;

Provided that no appointment under this sub-section shall be made for a period of more than six months :

Provided further that the appointment so made shall determine on appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

Explanation—A vacancy in the office of Vice-Chancellor caused under section 8 of the U. P. Universities Act, 1961, shall also be deemed to be an emergency for the purposes of this section. U. P. Act of 1961.

(7) Where an appointment is made under sub-section (6), the Chancellor shall, as soon as may be, take steps for the appointment of a Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

(8) Till such time as an appointment is made by the Chancellor under sub-section (5) or sub-section (6), the Registrar shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor but he shall not preside at any meeting of the University Authorities."

(३) धारा ९ के पश्चात् नई धारा ९-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"9-A. Notwithstanding anything contained in section 9, the Chancellor may, at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds : Removal of Vice-Chancellor.

(*a*) that he has become insane ;

(*b*) that he is an undischarged insolvent ; or

(*c*) that he has been convicted of any offence involving moral turpitude ;

and his term of office shall thereupon determine."

(४) धारा १७ में—

(१) उपधारा (१) की मद (ii) के पश्चात् नई मद (ii-ए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(ii-*a*) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh", और

(२) उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय ; और

(५) धारा ३० की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"Provided further that a holder of the B. M. S. Diploma or the G. H. M. S. Degree of the State Board of Homeopathic Medicine, Uttar Pradesh, may be admitted to a course of study for the G. H. M. S. (Agra) Degree in the Faculty of Homeopathic Medicine, even though he has not passed the examinations referred to in this section."

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उप-खंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (१) क स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय.... (शोर)।

श्री अध्यक्ष--कृपया शान्त रहें। यहां पर जोर से हंसना और बात करना अनुचित है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--"The Vice-Chancellor shall be a wholetime officer of the University and shall be the senior most professor to be appointed by the Chancellor ;

Provided that in case the Senior most professor is not agreeable to such appointment the person next on the list shall be so appointed."

मान्यवर, जो प्रस्तावित धारा है वाइस-चांसलर के चयन की, उसकी जगह पर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। जब इस विधेयक पर आम वाद-विवाद हो रहा था, उस समय थोड़ा-सा इशारा मैंने उस ओर किया था कि विश्वविद्यालयों में उपकुलपति किनको होना चाहिए और जो आज का वातावरण है विश्वविद्यालयों में, चाहे शिक्षा संबंधी, अनुशासन संबंधी या अन्य किसी किस्म के प्रबन्ध का सवाल हो या यूनिवर्सिटी का संचालक किसको होना चाहिए, वाइस-चांसलर किसको होना चाहिए, यह एक मूल प्रश्न है जिसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। मैंने निवेदन किया था कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित नहीं रहती हैं। आज कोई व्यक्ति है, कल कोई अन्य हो सकते हैं लेकिन शिक्षा संस्थाएं हमेशा रहेंगी और इस मुल्क की भलाई और बहबूदी के लिए रहेंगी। आज कोई भी तरमीम मौजूदा कानून में हम करें, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरा यह मत है कि जब तक बाहर के व्यक्तियों का प्रवेश विश्वविद्यालयों में आप करेंगे, चाहे वाइस-चांसलर की हैसियत से, चाहे किसी कमेटी में प्रतिनिधि की हैसियत से, तो विश्वविद्यालयों में यही स्थिति रहेगी और वहां जो राजनीति या गुटबन्दी होगी उसको हमारी मौजूदा सरकार नहीं खत्म कर पायेगी और उसके बाद कोई सरकार आयेगी वह भी नहीं कर सकेगी। उप-कुलपति उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो, जिसको अध्यापन कार्य का भी अनुभव हो।

मान्यवर, मैंने यह भी निवेदन किया था कि दुनियां के जो बहुत ही ख्याति-प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि जहां की शिक्षा उच्च-कोटि की मानी जाती है, जहां का अनुशासन, अनुसंधान हर दृष्टि से देखा जाय तो वह उच्च कोटि का विश्वविद्यालय है। वहां क्या व्यवस्था है? आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो डीन होते हैं वे रोटेशन में उपकुलपति का स्थान ग्रहण करते हैं, वह रोटेशन ३ साल का होता है। इस तरह से देखा जाय तो वहां का प्रबन्ध बहुत सुचारु रूप से चलता है। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध और शिक्षण कार्य में किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं आती है। दुनियां के और भी विश्वविद्यालय हैं जहां इस तरह की पद्धति है। मेरा यह निवेदन है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है उसको यूनिवर्सिटी में शिक्षण का अनुभव होता है, वह जानता है कि विद्यार्थियों की क्या समस्यायें हैं, वह विद्यार्थियों की रुचि को समझता है, शिक्षक ही यह जानता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार काबू में लाया जाता है। राजनीतिज्ञ, वह चाहे कैसा ही व्यक्ति हो, उसको विश्वविद्यालय में शिक्षण का कोई अनुभव नहीं है, विश्वविद्यालय की समस्याओं को वह नहीं समझ सकता। इसलिये जरूरी है कि जो विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहा है, जो वहां प्रोफेसर है उसको ही वाइस-चांसलर बनाया जाय। इसके लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो वही विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर बनाया जाय। तीन नाम विश्वविद्यालय से आयें या एक नाम वहां से भेजा जाय अथवा और भी जो तरीके हैं उनमें कोई न कोई गड़बड़ी की गुंजायश है लेकिन जो संशोधन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके द्वारा इतनी गारंटी तो अवश्य हो जायगी कि भविष्य में कोई भी गड़बड़ी वाइस-चांसलर के चयन में नहीं होगी।

सीनियरिटी लिस्ट तो विश्वविद्यालय में रखी ही जाती है। ३०-४० साल तक कोई प्रोफेसर अध्यापन का कार्य करने के पश्चात् अगर वाइस-चांसलर हो तो वह सही ढंग से विश्वविद्यालय का संचालन कर सकता है। सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इस पद पर नियुक्ति मंजूर नहीं

करता तो उसके लिये भी व्यवस्था इस संशोधन में की गयी है, वह यह कि उसके बाद जो दूसरा सीनियर मोस्ट होगा, उसको नियुक्त कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि आप संक्षेप में ही बोलें क्योंकि इसको ५ बजे तक खत्म होना है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--बहुत अच्छा, श्रीमन् । यूनिवर्सिटी में अच्छी परम्परा कायम करने के लिये, विश्वविद्यालय के वातावरण को शिक्षण के अनुकूल बनाने के लिये, अनुशासन कायम करने के हेतु तथा विश्वविद्यालय से राजनीति को निकाल फेंकने के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर वहां के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को बनाया जाय ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--श्रीमन्, संशोधनों की संख्या को देखते हुए और थोड़े समय को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलने वाले को ५ मिनट से ज्यादा समय न दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं संशोधन के कारणों को बताने के लिये ५ मिनट का समय काफी होगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--श्रीमन्, जो एप्वाइन्टमेंट वाले संशोधन हैं उन सब को एक साथ ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--उनको मैं एक साथ ले लूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, प्रस्तावक के लिये ६ मिनट रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, प्रस्तावक को ६ मिनट और शेष बोलने वालों को ५ मिनट दिये जायेंगे ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है--

खंड ३ के उपखंड (२) के मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Vice-Chancellor shall be a wholetime officer of the University and be appointed by the Chancellor in the manner provided in this section."

दूसरा संशोधन इस प्रकार है--

खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (३) के पश्चात् एक नयी उपधारा (३-ए) निम्नलिखित रूप से रख दी जाय--

"the Executive Committee shall as far as may be, at least thirty days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be recommended to the Chancellor who shall appoint him and if it fails to decide unanimously the name of any person, the Chancellor shall appoint from amongst the persons whose names shall be submitted to him by the Committee constituted in sub-section (4)."

मान्यवर, पुराने ऐक्ट में जो संशोधन सरकार की ओर से रखा गया है, उससे अधिक मेरे संशोधन में केवल यह है कि बाद में एक्जीक्यूटिव को एक मौका इस बात का देना चाहता हूं

[श्री नवलकिशोर]

कि वह यदि सर्वसम्मति से किसी एक नाम की सिफारिश चांसलर को करे तो चांसलर उसको एप्वाइन्ट कर देगा। उसकी मंशा सिर्फ यह है कि हमारे सामने जितनी भी रिपोर्टस् कमीशन्स की आयीं, सब ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि यह एक प्रमुख ड्यूटी है यूनिवर्सिटी की कि वह किस तरीके से अक्लमंदी, होशियारी और दयानतदारी के साथ अपने उपकुलपति का चुनाव करे। इसलिये अगर हम यह मामला उससे हटा लें तो यह एक मायूसी की सी बात होती है। इस मामले में जो वर्तमान नियम है उसमें एक बड़ी भारी आपत्ति हमारे सामने की जाती है और मैं भी समझता हूं कि इससे गुटबन्दी और इन्ट्रीग आदि की बातें भी होती हैं। उसकी भी दवा यही है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल जो अपनी यूनिवर्सिटी की सुप्रीम बाडी है, अगर यह इत्तिफाक राय से किसी एक आदमी का नाम सिफारिश करके भेज दे तो चांसलर उसी को एप्वाइंट करे और अगर एक्जीक्यूटिव कमेटी किसी एक नाम पर इत्तफाक न कर सके तो फिर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आती। उसके बाद के लिये तो आलरेडी प्रस्तुत यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक में प्राविजन दिया हुआ है कि तीन आदमियों की एक कमेटी बनेगी जिसमें एक आदमी तो एक्जीक्यूटिव का होगा, एक चीफ जस्टिस का नामिनी होगा और मैं समझता हूं कि एक चांसलर का नामिनी होगा। तो मैं तो यह समझता हूं कि मेरे इस संशोधन को मान लेने से कई समस्याओं का हल हो जाता है।

जहां तक यूनिवर्सिटी के आटोनामी की बात है उसका भी निभाव हो जाता है क्योंकि उसको मानने से कार्यकारिणी की मर्यादा रहती है और एक्जीक्यूटिव कमेटी बिलकुल बाईपास नहीं होती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह है कि एक एक्सपर्टस् की कमेटी होगी जो तीन नामों की सिफारिश एक्जीक्यूटिव कमेटी के पास भेजेगी और एक्जीक्यूटिव कमेटी उन तीन नामों को चांसलर के पास भेजेगी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक्जीक्यूटिव कमेटी को बिलकुल ही छोड़ दिया गया था, अलग कर दिया गया था। जहां तक मंशा का प्रश्न है, यह बात सही है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी के अन्दर दलबन्दी बढ़ती जाती है, इन्ट्रीग बढ़ती जाती है लेकिन यह कि एक्जीक्यूटिव कमेटी जिसके हाथ में यूनिवर्सिटी का सारा प्रबन्ध है, उसको कहीं भी, किसी स्टेज पर उपकुलपति के बनाने के कार्य में शामिल न करें तो मैं समझता हूं कि यह एक किस्म से उसकी अवहेलना भी हो जायगी।

जहां तक माननीय पद्माकरलाल जी ने अपना संशोधन पेश किया है, वे चाहते हैं कि जो सीनियर प्रोफेसर हो वही रोटेशन के हिसाब से वाइस-चांसलर हो जाया करे। उन्होंने आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पद्धति को हमारे सामने रखा है और उसके जरिये यह बतलाने की कोशिश की कि वहां की पद्धति बड़ी अच्छी है। लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिये कि आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलरों को वह अधिकार नहीं है, जो हिन्दुस्तान के वाइस चांसलरों को है। उनके पद की उतनी मान्यता और महत्ता नहीं है जो हिन्दुस्तान के वाइस-चांसलरों के पद की है। इसलिये उनका यह कहना कि यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन पावर कम नहीं है सही नहीं है। आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पद्धति पर चलना यहां के लिये ठीक नहीं होगा। उस पद्धति को मूथम कमेटी या राधाकृष्णनन् कमीशन किसी ने भी नहीं माना है और कहीं भी इस को कोट नहीं किया है कि यह होना चाहिए। वे बातें जो उन्होंने कहीं कि सीनियर प्रोफेसर को वाइस-चांसलर बना दिया जाय, चाहे उसके अन्दर कैपेसिटी हो या न हो, मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा उचित बात नहीं है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनको तो स्वयं का भी अनुभव है, क्योंकि वे तो वाइस-चांसलर रह भी चुके हैं और मेरे संशोधन से बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और जिस सिद्धान्त को वे चाहते हैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी सिवा इसके कि थोड़ा सा टाइम बढ़ जायगा और एक्जीक्यूटिव कमेटी को चांस मिल जायगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ३ के उप-खंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (१) की दूसरी पंक्ति के शब्द 'appointed' से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द तथा अंक 'sub-section (4)' तक निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द 'elected by the majority of the Court' रख दिये जायं।

श्रीमन्, मैंने माननीय नवलकिशोर जी तथा श्री पद्माकरलाल जी के विचारों को बड़े गौर से सुना। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब से गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी की पिछली प्रथा को बदलकर अपने नामिनी वहां भेजना शुरू किया और चुनावों की प्रथा हटाई तभी से ऐसा हुआ है कि गड़बड़ी होने लगी। मुझे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ४ साल तक रहने का सौभाग्य मिला है। मैंने देखा कि उन दिनों जब कोर्ट के द्वारा चुनाव वाइस-चांसलर का होता था हमेशा योग्य आदमी उस पद पर पहुंचते थे और कोई गड़बड़ी नहीं होती थी और उस जमाने में शिक्षा में हर प्रकार की तरक्की हुई और स्तर भी विश्वविद्यालयों का ऊंचा रहा है। उसका एक कारण ही यह था कि उस समय चुन कर योग्य आदमी वहां पहुंचते थे जो विश्वविद्यालय की आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिये जो लोग रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें जजेज, अध्यापक, वकील, व्यापारी आदि सभी प्रकार के लोग होते हैं और अध्यापक होते ही हैं जिन का विश्वविद्यालय में स्वार्थ में योग रहता है। यह विश्वविद्यालय के दो स्वार्थ ही वहां रहते हैं। जो लोग वहां से पढ़ कर निकलते हैं वह यूनिवर्सिटी की हमेशा उन्नति चाहते हैं। इस तरह से आप मूल पर न जाकर पत्तों पर जा रहे हैं, वह अधिकार उन बड़े-बड़े नेताओं, वकील, जजेज और व्यापारियों को जोकि वहां के ग्रेजुएट रह चुके हैं उनको आप नहीं देना चाहते। इस तरह से सभी पक्ष के लोग वहां शामिल रहते हैं। इन तमाम विचार धाराओं के प्रतिनिधित्व से जो कोर्ट बनता है उसके द्वारा चुना हुआ वाइस-चांसलर हमेशा अच्छा ही होगा और वह विश्वविद्यालय के और शिक्षा के हित में ही होगा और-हमारा स्तर भी ऊंचा उठेगा। शिक्षण संस्थाओं में ही जब हम चुनाव प्रणाली को नष्ट कर देंगे तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दुनिया के अन्य सभी देशों में भी शिक्षा संस्थाओं में इस तरह के चुनाव की प्रणाली है। इस दृष्टि से भी यह प्रणाली चुनाव की रहना चाहिये क्योंकि इसी के द्वारा योग्य और अच्छे आदमी मिल सकते हैं। मैं आप को बता दूं कि एक विद्वान् ने कहा है :

"for the forms of the Government let the fools contest, but the Government which is administered best is the best."

मेरी समझ में नहीं आता कि अब इस चुनाव के स्थान की क्या जरूरत पड़ गई। जो कांग्रेस सरकार पहले थी वह अब भी है। एक प्रणाली जो अच्छी तरह से एडमिनिस्टर्ड थी और सफल थी उसको क्यों बदला जा रहा है? क्या कारण है कि यह मुसीबत मोल ली जा रही है? यह तो सरकार की नादानी है कि इस तरह की तब्दीली ला दी है और ला रही है। पहला जो चुनाव का तरीका है, उसमें कौन-सी खराबी है? जब से सरकार ने पहली प्रणाली में संशोधन करके एक्जीक्यूटिव में अपने आदमी भेजना आरम्भ कर दिये और चुनाव को समाप्त कर चयन को अपनाया तभी से यह तमाम गड़बड़ी यूनिवर्सिटीज में फैली हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यही एक मात्र सुझाव है जिस से तमाम सूबे के लोगों में एक आशा उत्पन्न होगी और वहां की यूनिवर्सिटीज में अच्छे वाइस-चांसलर पहुंच सकेंगे क्योंकि कोर्ट में हमेशा अच्छे अनुभवी और सब हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं। उन पर विश्वास न करना तो एक विडम्बना की बात होगी। वह तो सदा ही शिक्षा के हित में सोचेंगे और ईमानदार होंगे। जो उन संस्थाओं के पढ़े लोग होंगे उनकी दिलचस्पी उन विश्वविद्यालयों के हित में होगी और वह उसकी तरक्की के लिये ही कार्य करेंगे उन पर किसी को शक न करना चाहिये। इस दृष्टि से यह प्रणाली बहुत अच्छी प्रणाली है। जो प्रणाली आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की है वह मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है क्योंकि सीनियर प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुआ था और सभी

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

को विदित है कि उनके सम्बन्ध में कितनी परेशानियां लोगों को हुईं। इसी तरह से इलाहाबाद के बारे में भी है। तो वह प्रणाली अच्छी नहीं है। भले ही बाहर वह प्रणाली अच्छी हो, लेकिन हमें अपने देश को देख कर ही काम करना है। अतः मुझे आशा है मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे कि जो प्रणाली चल रही थी और जो निर्दोष थी, उसमें कोई खराबी नहीं थी, उसको अपनायेंगे और उससे प्रजातंत्र की भी रक्षा करें तथा शिक्षा का प्रसार, उन्नति और स्तर भी कायम रखें।

श्री अध्यक्ष—शिक्षा मंत्री जी, आप बोलेंगे ?

*** शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)**—जी हां।

श्री गौरीशंकर राय—क्या हम लोग नहीं बोल सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—बोल सकेंगे। वह तो इन्टरवीन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई उनकी राय की बात जाननी हो तो जान जायं।

आचार्य जुगलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले खंड के सम्बन्ध में रामस्वरूप वर्मा जी ने यह सवाल पूछा कि क्या आवश्यकता पड़ गई जो मौजूदा तरीका है वाइस-चांसलर को नियुक्त करने का उसको बदला जाय ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह नहीं, जो कोर्ट द्वारा वाइस-चांसलर इलेक्ट होता था।

आचार्य जुगल किशोर—उसे विधान सभा ने बदलना मुनासिब समझा। तो मौजूदा सिस्टम में क्यों परिवर्तन किया जा रहा है उसके बारे में ही मैं कह सकता हूं और उसके बारे में भी यद्यपि हमारी ख्वाहिश थी और कोशिश थी, जब मौजूदा सिस्टम चलाया गया तो उस वक्त यह खयाल था कि सम्भव है इस सिस्टम के द्वारा अच्छे वाइस-चांसलर, जो निष्पक्ष हों, किसी गुटबन्दी से संबंधित न हों, यूनिवर्सिटी के काम में दिलचस्पी ले सकें और निष्पक्ष रूप से व्यवस्था कर सकें, चुन कर आयें। इस दृष्टि से पिछले ऐक्ट में परिवर्तन किया गया था। इस बार हमने यह देखा, यद्यपि इस बात की कोशिश की गई कि वाइस-चांसलर के एप्वाइंटमेंट में चांसलर को पूरा अख्तियार होना चाहिये और उनके पास कुछ नाम भेज दिये जायं ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल की तरफ से जिनके ऊपर वह विचार करके जिसको उपयुक्त समझें नियुक्त करें।

लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां इस बात की कोशिश थी कि तीन नाम ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल भेजे इस बात का विचार न करते हुए कि किसका ज्यादा बहुमत है, किसके ज्यादा वोट हैं। परन्तु इस खयाल से तीन नाम ऐसे भेजे जो समझती हो कि अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छा काम कर सकेंगे और वाइस-चांसलर के पद के लिये उपयुक्त होगा, आगरा में भी, इलाहाबाद में भी और लखनऊ में भी यह देखा गया बजाय इसके कि तीन नाम भेजें उन्होंने ४, ४ नाम सामने रख कर वोटिंग करायी और उसके बाद फिर वोटों को भी जाहिर कर दिया और चांसलर के पास वे नाम भेज दिये गये। चांसलर के लिये बड़ा मुश्किल हो गया कि जो तीन नाम भेजे गये उनमें से वह स्वतंत्र रूप से उसका निर्णय कर सकें। उनके सामने वोट्स भी थे और वे जाहिर भी हो चुके थे इसलिये उन्हें परेशानी बढ़ गई और उसके कारण केवल उसी व्यक्ति को अप्वाइंट करने में बाध्य हो गये जिसको कि मेजारिटी वोट मिले। जो चीज नहीं चाहते थे कि मेजारिटी से वाइस-चांसलर चुना जाय वही खराबी इस मौजूदा व्यवस्था में आ गई। इसलिये इस बात की आवश्यकता समझी गयी कि वाइस-चांसलर के चुनने में जहां तक हो सके कोई वोट की नौबत न आये, इलेक्शन न हो बल्कि सेलेक्शन के जरिये से, उन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्तियों के द्वारा जिनका जिक्र आगे किया गया है इस संशोधन में सिफारिश की जाय और चांसलर उनमें से किसी व्यक्ति को चुन लें। हमारा खयाल है इस व्यवस्था से अच्छे वाइस-चांसलर चुने जा सकते हैं।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायणबंसल, पीठासीन हुये।)

इसका अर्थ यह नहीं है कि एजूकेशनिस्ट्स नहीं चुने जायेंगे। पद्माकरलाल जी ने जो यह सुझाव दिया कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर या डीन होना चाहिये, मैं समझता हूं कि चांसलर को पूरा अख्तियार होगा कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर या डीन हो या कोई अन्य व्यक्ति हो तीन व्यक्ति जिस नाम को भेजेंगे उसमें चांसलर के लिये कोई रुकावट नहीं है कि जो अच्छे से अच्छा अध्यापक हो उसे वह न चुन सके।

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कही गयी, तो उसका अपना तरीका भिन्न है। उनकी परम्परायें बहुत पुरानी हैं। फिर वहां कांस्टीट्युएंट कालेजेज हैं उनके हेड्स तथा अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं में से रोटेशन होता है और वहां वाइस-चांसलर को पावर्स नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वाइस-चांसलर के पास कम हैं। वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल और एकेडेमिक कौंसिल में प्रेसाइड करते हैं। वहां की मिसाल लखनऊ में नहीं लागू कर सकते। वहां की परम्परायें और परिस्थिति हमसे भिन्न हैं।

दूसरा संशोधन जो श्री नवलकिशोर जी ने रखा है वह यह कि जहां तक हो सके एक्जिक्यूटिव कौंसिल वाइस-चांसलर को यूनानिमसली चुन सके तो अच्छा होगा। ५,६ साल से इस बात की कोशिश की गयी। मौजूदा जो ऐक्ट है उसमें यह प्राविजन था कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल किसी व्यक्ति का नाम सर्वसम्मति से भेजती है तो चांसलर बाध्य हो जायगा उसको एप्वाइन्ट करने के लिये लेकिन बावजूद इस प्राविजन के अभी तक यह चीज नहीं हो सकी और न हमें उम्मीद है कि आगे हो सकेगी। अगर दोबारा हम इसी प्रथा को अख्तियार करें तो फिर वही बदमगजी, ग्रूपिज्म और कन्वेसिंग शुरू हो जायगी। इसलिये हमने तीन व्यक्तियों को यह अधिकार दिये हैं कि वे अच्छे से अच्छे आदमी चुन कर तीन व्यक्तियों के नाम भेजें। तो फिर उनका एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सामने जाना या पहले एक्जिक्यूटिव कौंसिल की राय ली जाय, इसकी कोई जरूरत नहीं है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिसाल नवल किशोर जी ने दी। जहां तक मुझे मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्शन कमेटी नाम चुनती है, उनको एक्जिक्यूटिव कौंसिल में नहीं भेजती है। चांसलर या प्रेसीडेंट महोदय उनको चुन लेते हैं। इन बातों को देखते हुये मैं यह आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण जिन्होंने संशोधन रखे हैं वे उन्हें वापस लेंगे और जो संशोधन हमारी तरफ से पेश किये गये हैं उनको वे स्वीकार करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, जो संशोधन हमारे समक्ष उपस्थित है विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति का वह यह जो मौजूदा विधेयक है उसका सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र विशेष संशोधन है जिस पर यह बहस हो रही है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जो एक प्रकार के संशोधन हों उनको एक के बाद दीगरे प्रस्तावित करने के बाद उन पर विवाद हो। उनके पक्ष या विरोध की बात नहीं कह रहा हूं। आपसे मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस विषय में जितने प्रस्ताव हैं उनको पेश करने के बाद क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन पर राय जाहिर की जाय ?

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि माननीय गौरीशंकर राय इस पर बोल लें और बाद में जो अमेंडमेंट और हैं उनको भी ले लूंगा।

श्री नवलकिशोर—मैं निवेदन करूं कि अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ तीन अमेंडमेंट्स लिये जायेंगे। एक मेरा, एक पद्माकरलाल जी का और एक सोशलिस्ट पार्टी का। तो यह बात तो पहले ही साफ हो गयी थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें थोड़ा-सा यह संशय मालूम पड़ रहा है कि खंड ३ के उपखंड (२) की प्रस्तावित धारा ९ (१) के सम्बन्ध में जो २–३ संशोधन पेश हुये हैं उसी में माननीय नवलकिशोर जी का जो आगे आने वाला है उसकी भी चर्चा बारबार आती है। तो या तो आगे वाले भी ले लिये जायं नहीं तो माननीय नवलकिशोर जी ने जो प्रस्तावित किया है उसके लिये बगैर काम नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता—इस वक्त चार अमेंडमेंट्स हाउस के सामने हैं, माननीय त्रिलोकी सिंह जी का, माननीय नवलकिशोर जी का, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का और फिर दूसरा माननीय नवलकिशोर जी का। ये चूंकि एक से अमेंडमेंट्स हैं जिनमें वाइस-चांसलर की नियुक्ति का जिक्र है इसलिये इन पर बहस जारी रहेगी। इसके बाद और जो आगे के अमेंडमेंट्स हैं वे लिये जायेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, बड़ा अच्छा हुआ कि मंत्री जी ने बीच में अपना मत व्यक्त किया। मैं बड़े गौर से सुनता रहा क्योंकि उस दिन सब सुनने के बाद भी यह मालूम नहीं हो सका कि नियुक्ति के तरीके को बदलने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी। उद्देश्य और कारण में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि पार्टीबाजी खत्म करने के लिये। मैं उन लोगों में से हूं जो इस मत के हैं कि प्रदेश में कुछ वाइस-चांसलर जो आज हैं उनको हटना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद भी यह हमको नहीं मालूम हो सका कि क्या परिवर्तन किया है और जो वाइस-चांसलर रखे गये थे, जिन तरीकों को उन्होंने गलत बताया है वह गलती किसने की है।

श्रीमन्, आप आगरा के बारे में मुझसे अधिक जानते हैं क्योंकि आप वहां के रहने वाले हैं। आगरा विश्वविद्यालय में पिछली बार किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर बनाना था और जिस व्यक्ति को उस समय की सरकार चाहती थी उसका बहुमत भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में था। इसलिये वोट की नीति अपनायी गयी ताकि उस व्यक्ति के बनाने में कोई सरकार के किसी मंत्री या उच्चाधिकारी पर हमला न कर सके। इस सम्बन्ध में अगर मैं किसी को पहला गवाह रखना चाहता हूं तो स्वयं मंत्री जी को क्योंकि उस समय वह उसमें थे। मेरा खयाल यह है कि पहले भी सरकार जिसको चाहती थी उसको बना लेती थी और अब भी जिसको चाहेगी बना लेगी। तो परिवर्तन वाली बात समझ में नहीं आती कि कहां दिक्कत पड़ती है। बात सिर्फ यह है कि पहले १२ आने हाथ में था और अब १८ आने है।

श्रीमन्, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के चुनाव के समय एक भी चुने हुये आदमी ने वोट नहीं दिया, केवल सरकारी आदमियों ने वोट दिया। आज के मुख्य मंत्री और उस समय के एक मंत्री वहां गये और सरकारी नामिनीज से वोट दिलवा दिये। आखिर यह पार्टीबाजी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में शुरू कैसे हुई? लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल किसी में मुख्य मंत्री या उप-मंत्री को जाने की क्या आवश्यकता थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर बनाने के लिये अपने आदमियों को वहां भेजने की क्या जरूरत थी? मैं कहता हूं कि इस कानून में अनावश्यक रूप से दोष दिखाई देता है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर उनकी मंशा पूरी हुई होती तो उनको इस कानून को बदलने की जरूरत न पड़ती। लेकिन वह मंशा क्या है? पहले संयोग से दूसरे के हाथ में शासन था, उसको अपने आदमी की आवश्यकता पड़ी अब दूसरे के हाथ में आया तो अब दूसरों की बात है। यद्यपि तब भी ये, शासन में थे लेकिन उस वक्त इनकी दिलचस्पी दूसरे प्रकार की थी। मान्यतायें नहीं बदली हैं लेकिन हमदर्दियां बदल गयीं। वह हमदर्दियां दर्द कर रही हैं और वही दर्द परेशान कर रहा है।

यह विभाग दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है सिर्फ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में है लेकिन अभी वहां भी प्रयोग में नहीं आया है ।

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ।

श्री गौरीशंकर राय—दिल्ली में नहीं है । मंत्री जी उसको फिर से देख लें । आक्सफोर्ड की बात आपने कही थी । हमारे पद्माकर जी रोटेशन की बात लाये थे उस पर हमारे मित्र रामस्वरूप जी ने यह कहा था कि यह तो विदेश की बात है । विदेश की बात से भड़कना भी कोई काबलियत की बात नहीं है । अगर कोई बात विदेश की भी अच्छी है तो उसे मानना चाहिये ।

मैंने सुझाव दिया था कि वाइस-चांसलर के राइट्स कम किये जायं और वाइस-चांसलर के पावर का विकन्द्रीकरण होना चाहिये । आज का वाइस-चांसलर महाराजा है इसलिये उसकी गद्दी के लिये यह युद्ध हुआ करते हैं अगर मंत्री जी के —— मन का आदमी जो उनके दरबार में आकर सलामी झुकावे ऐसा आदमी नहीं है तो वे उसे नहीं चाहेंगे । इसीलिये मैं कहता हूं कि अगर आप उसके पावर्स को कम कर दें तभी कल्याण होने वाला है ।

माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि सर्वसम्मति से हो जाय । बात बहुत अच्छी है लेकिन मैं तो समझता हूं कि यह एक पायस विश है । हर भले आदमी को ऐसी बात कहनी चाहिये लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है । अगर एक स्वर से वाइस-चांसलर का नाम आ जाय तो गवर्नर को चुनने की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी ? कुछ अच्छी बातें होती हैं लेकिन वे निरर्थक हुआ करती हैं । मैं मानता हूं कि उनका अमेंडमेंट पायस होते हुये भी अनावश्यक है, व्यावहारिक नहीं है ।

उस दिन मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त के भाषण का उद्धरण दिया था कि यह बात यूनिवर्सिटी की अटानामी के विरुद्ध है कि यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल या अन्य लोगोंसे जो यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं उनसे वाइस-चांसलर के चुनाव में राय न ली जाय; यह उनकी स्वतंत्रता के लिये घातक है । लेकिन उनकी यह राय उस वक्त की है जब वह भी कैबिनेट में थे और आज की राय दूसरी है । लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी वह पहले वाली राय ज्यादा सही थी । मैं कहता हूं कि यह जो नया तरीका अब रखा जा रहा है वह उचित नहीं है । वह कहीं दुनिया में नहीं है, न यहां, न बाहर, वह अप्रजातांत्रिक है और उससे कोई स्वस्थ परम्परा भी बनने वाली नहीं है ।

***श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, जिन अमेंडमेंट्स पर दलीलें दी गई हैं और इशारा किया गया है मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्यों ने सत्यता को उसमें दिखाने की कोशिश नहीं की । हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से एलेक्शन का प्रोसेस हटा दिया जाय । एलेक्शन डिमोक्रेसी में मीडियाकर्स के लिये हुआ करते हैं । जहां सरकारें डेमोक्रेसी द्वारा बनाई जाती हैं वह मीडियाकर्स के लिये अधिकतर हुआ करती हैं । जब एलेक्शन होता है तो जो टापर्स होते हैं, जो स्कालरली अटेनमेंट के लोग होते हैं उनका नाम एलेक्शन में नहीं जा पाता । हम चाहते हैं कि एलेक्शन की परिधि से इसलिये इस स्थान को बाहर निकालकर ज्यादा से ज्यादा विद्वान यूनिवर्सिटीज में वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्त हों । जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमें इसके लिये दूसरा तरीका यही दिखलाई देता है । माननीय नवलकिशोर जी का अमेंडमेंट है वह देखने में तो बहुत सुन्दर है लेकिन उसकी जो मान्यता है और अमेंडमेंट हैं दोनों कंट्रेडिक्टरी हैं । हम तीन आदमियों को वह ताकत देना चाहते हैं । जो तीन आदमियों की लिस्ट बनेगी उसको चांसलर के पास भेज दिया जायगा । लेकिन वह चाहते हैं कि इलेक्शन के ऊपर छोड़ दिया जाय ताकि वह एकमत से या बहुमत से हो सके । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इलेक्शन के ऊपर छोड़ेंगे तो जिसके ज्यादा मेम्बर्स होंगे वही जीतेगा । हम नहीं चाहते हैं कि हाथों से ही किसी आदमी को बुद्धिमान बना दिया जाय । यही बुद्धि का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

पैमाना बना दिया जाय। १०० आदमी अगर किसी गधे को बुद्धिमान कह दें तो मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। १०० आदमी अगर किसी बुद्धू को होशियार बनाने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं मानना चाहते हैं। दुनिया के अनुभव ने इसको साबित किया है, दुनिया के तजुर्बे ने इसको साबित किया है। हो सकता है कि आने वाले जमाने में चन्द दिनों के बाद अगर यूनिवर्सिटीज की यही व्यवस्था रही तो हमें वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ेगा। मेरठ कालेज में जो साहब प्रिंसिपल थे उनका जैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उसके सारे प्रदेश के लोग कायल हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था। हम यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही व्यक्ति को वाइस-चांसलर के पद पर लाना चाहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हों, जो इंसान की तबीयत समझते हों और जिन्होंने अपने व्यवहार में अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करके दुनिया के मसलों को हल किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक कुयें के मेंढक की तरह उसी संस्था के लोगों को नियुक्त कर दें। केवल इसलिये कि वह हिस्ट्री अच्छी जानते हैं, फिलासफी अच्छी जानते हैं या मैथमेटिक्स अच्छी जानते हैं, इसलिये उनको बना दिया जाय। मैं इसको नहीं मानता हूं। आज जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का आदमी वहां मुकर्रर होना चाहिये। अगर आई० सी० एस० कोई काबिल हो तो उसे बना दिया जाना चहिये। श्रीमन्, आई० सी० एस० के लोग बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के रहे हैं जिन्होंने बरतानिया हुकूमत को सम्हाला है। इसलिये उनका मजाक नहीं बनाना चाहिये। अगर आप अपनी नाजानकारी पर नाज करें तो यह आपको शोभा नहीं देता है इसलिये नवलकिशोर जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

मुझे भी यूनिवर्सिटीज का तजुर्बा है। जब इलेक्शन होता था तो वाइस-चांसलर के पद के लिये जो काबिल आदमी मुहैया हो सकते थे उनकी छाया भी वहां नहीं पड़ने दी जाती थी। यहां तक कि जो लोग हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स हो सकते थे उनको यूनिवर्सिटी के फाटक में भी घुसने नहीं दिया गया, यूनिवर्सिटी पोलिटिक्स के कारण। इसलिये हम चाहते हैं कि इस पद पर योग्य आदमी ही आने चाहिये। इन शब्दों के साथ जो सदन में हमारे बिल के द्वारा अमेंडमेंट पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन नवलकिशोर जी तथा विरोधी दल के द्वारा पेश किये गये हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पद्माकरलाल जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि वाइस-चांसलर कौन हो बल्कि इस संशोधन के जरिये आज हम यह फैसला कर लेंगे कि भविष्य में विश्वविद्यालय आटोनोमस बन सकेंगे या नहीं। आज ट्रेजरी बेंचेज से भी संशोधन आया है और सरकार ने भी मूल अधिनियम में संशोधन लाने का प्रयास किया है। लेकिन जब कोई प्रश्न आता है तो उसका कोई न कोई आधार होना चाहिये। जिस तरह से बाडी का सजेश्चन दिया गया है मैं शिक्षा मंत्री जी को यकीन दिलाता हूं कि अगर यही होता तो नरेन्द्रदेव जी जैसे योग्य आदमी के बाद उनको मौका नहीं मिलता कि वह वाइस-चांसलर बन सकते लेकिन आज तीन आदमियों की एक एक्सटर्नल कमेटी बना रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने इसकी सिपारिश की थी? कोई आथारिटी गवर्नमेन्ट ले कर आये कि यह बात कहां से आयी। महज रात को दिमाग में एक स्वप्न हुआ और प्रातःकाल संशोधन पेश कर दिया। क्या जरूरत थी इस वक्त कि इस विधेयक को लाया जाय? मैं पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी कमीशन जिसके अध्यक्ष राधाकृष्णन् जैसे महान् विद्वान् थे क्या उसने यह जो तीन आदमियों की एक्सटर्नल कमेटी सरकार ला रही है, उसका विरोध नहीं किया है? जो लोग यह कहते हैं कि वाइस-चांसलर का एलेक्शन होने से गड़बड़ी हो जायगी, उसको उन्होंने गलत साबित करते हुये जो कहा है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं:

"feeling in the first place, that Vice-Chancellor for whose appointment the University is responsible will find it easier to gain the respect and con-

fidence of his colleagues ; and secondly, that it is really a part of a university's duty to learn how to choose its own Vice Chancellor wisely and that therefore to deprive it of this duty would be counsel of despair."

यूनिवर्सिटी कमीशन ने साफ कहा है कि वाइस-चांसलर का बनाना, उसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय पर होनी चाहिये। मूथम कमेटी ने भी कहा है कि विश्वविद्यालय के डिस्पिलिन को कायम रखना और विश्वविद्यालय का संचालन वाइस-चांसलर करता है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वहन करने के लिये वाइस-चांसलर को हम प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं, तो क्या उसकी नियुक्ति एक एक्सटर्नल कमेटी के हाथ में छोड़ देनी चाहिये ? नवल किशोर जी जैसे उधर के विद्वान् सदस्य ने कहा है कि विश्वविद्यालय में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। लेकिन इसी विधेयक में तीन आदमियों की जो कमेटी बनेगी, उसमें "सी" कौन होगा उसको सुनिये :

"(*c*) a third person, to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convener of the Committee."

चांसलर द्वारा मनोनीत व्यक्ति इस समिति का संयोजक होगा। वह कमेटी का सेक्रेटरी होगा। इस कमेटी में भी सरकार अपना अधिकार रखना चाहती है। गवर्नर कौन होता है ? गवर्नर सरकार का नामिनल हेड होता है। गवर्नर जिसको चाहेगा वह संयोजक होगा और संयोजक जो चाहेगा वह काम होगा। हम संशोधन इस लिये पेश कर रहे हैं कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल का तरीका ठीक चल रहा था। चुनाव से डरने वाले लोग हम नहीं हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि हम चुनाव से डरते हैं। यह बात नहीं है, चुनाव की प्रणाली बदली गई है अपने-अपने गुट के आदमियों को वाइस-चांसलर बनाने के लिये। हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री, चाहे वह डीन हों या प्रोफेसर हों, वह वाइस-चांसलर बन सकें। उससे वाइस-चांसलर अपने साथियों का विश्वास और आदर प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। इसलिये आवश्यकता है कि जिस तरह से चुनाव की प्रणाली हमारे संशोधन में रखी गई है वह अपनाई जाय। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह यहां का वाइस-चांसलर नहीं है। हां, यह जरूर है कि वहां की तरह यहां का वाइस-चांसलर गोरा नहीं है, लेकिन वहां की यूनिवर्सिटी में जो अच्छी प्रणाली है उसको स्वीकार करने में क्या एतराज है ? मुझे अफसोस यह है कि यहां समझ-बूझ कर दलील नहीं दी जाती है। मैं यहां यह देख रहा हूं कि एक बात चूंकि माननीय पद्माकरलाल जी ने या प्रतापसिंह जी ने कही है इसलिये उसका जरूर विरोध करना चाहिये और चूंकि एक बात माननीय नवलकिशोर जी ने कही है, इसलिये उसका समर्थन करना चाहिये। मैं तो यह अनुभव कर रहा हूं इस असेम्बली में जो कुछ हम सीख कर आये थे वह भी भूलते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को स्वतन्त्र बाडी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को वाइस-चांसलर रक्खा जाय। हमारे दोस्त कहते हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूदा वाइस-चांसलर हैं वह खराब हैं। वह तो खराब हैं मान्यवर, लेकिन खराब वाइस-चांसलर को या जो अनैतिक लोग हैं उनको निकालने के तरीके और हैं। यह नहीं कि एक वाइस-चांसलर खराब है तो हमारा संशोधन ही खराब हो गया। हम तो चाहते हैं कि जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ और अनैतिक लोग चाहे जहां भी हों, चाहे इस सदन के सदस्य ही क्यों न हों, उनको कोई मौका नहीं होना चाहिये। लेकिन किसी एक व्यक्ति के खराब होने से अगर यह समझें कि हमारा संशोधन ही गलत है तो यह मुनासिब नहीं है। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वाइस-चांसलर, जो सीनियर प्रोफेसर हो, वही होना चाहिये।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—मैं श्री पद्माकरलाल जी के संशोधन के विरोध में खड़ी हुई हूं। लेकिन मैं माननीय प्रतापसिंह जी को पहले विश्वास दिलाना चाहती हूं कि किसी भी पार्टी पालिटिक्स को सामने न रखकर केवल शिक्षा के ही स्तर को सामने रखकर मैं अपना सुझाव आपके सामने रखना चाहती हूं। बात यह है कि यह जो सीनियर

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

मोस्ट प्रोफेसर वाइस-चांसलर हो, का संशोधन विचारणीय है, यह ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बात स्पष्ट मान ली गई है कि जो मौजूदा तरीका चुनाव का है वह गलत है। इस सुझाव के देने का मतलब ही यह है कि मौजूदा तरीका गलत है। लेकिन दो चीजें अपने सामने अगर माननीय सदस्य और रख लें तो शायद स्पष्ट हो जायगा कि हमारा क्या विचार है? एक यह कि जो चीज इस धारा में हम ला रहे हैं उसके आधार पर सीनियर मोस्ट को कहीं रोका नहीं गया है और न ही कहीं ऐसा है कि वह जो तीन आदमियों की कमेटी बनेगी वह सीनियर-मोस्ट को नहीं लेगी। उनकी च्वाइस पर है कि जब वह चाहें उसको रख लें, जब चाहें न रखें, जैसी भी परिस्थिति हो, उसके अनुसार वह करेंगे। दूसरी चीज यह है कि वाइस-चांसलर का एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव जाब है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर बहुत ही योग्य आदमी मिलता हो, जैसे कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी, वे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर रहे, श्री राधाकृष्णन् जी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के रहे, तो कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वहां के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर से बहुत ही उच्च स्तर का व्यक्ति बाहर मिल सकता हो, और यह सौभाग्य होता है उस समय के विद्यार्थियों का, उनको यह गौरव होता है कि वह ऐसे व्यक्ति के नीचे रहकर अपनी शिक्षा-दीक्षा पायें। अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो उस समय के विद्यार्थियों को ऐसे उच्च स्तर के व्यक्ति की संरक्षता में शिक्षा दीक्षा पाने से तथा उस शिक्षा से जो लाभ देश को आगे ले जाने में हो सकता है उससे देश को वंचित करते हैं।

एक तो चीज यह है और दूसरी यह है कि ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि कभी-कभी जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है वह बड़ा ही काबिल और योग्य व्यक्ति है। पढ़ाता भी अच्छा है, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं है। दूसरी ओर वह ऐसा भी हो सकता है कि Senior most professor से केवल दो चार घन्टे बाद join किया हुआ professer, प्रध्यापक भी अच्छा हो और administrator भी अच्छा हो। तो उस परिस्थिति को भी सामने रखते हुये हम ऐसा करें कि ऐसे व्यक्तियों को भी चांस मिल सके। मौजूदा सिस्टम में जो भी व्यावहारिक स आये उन्हीं के कारण यह बिल यहां लाना पड़ा।

माननीय नवलकिशोर जी के प्रस्ताव को भी मैंने बड़े गौर से देखा और चूंकि मैं भी बहुत हद् तक उससे सहमत थी, फिर भी उसके ऊपर सोचने के बाद एक चीज समझ में यह नहीं आई कि अगर यह परिस्थिति हो जाय किसी वक्त कि एग्जीक्यूटिव इसका फैसला न कर पाये कि यूनानिमस हो या न हो तो उस समय क्या परिस्थिति होगी और कितने समय तक वाइस-चांसलर का चुनाव रोका जा सकेगा? इसलिये मैं यह अवश्य सोचती हूं कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये जो यह उपस्थित संशोधन हैं उनको हम स्वीकार न करते हुये और गम्भीरता से देखते हुये अपने प्रस्तावित संशोधन को जिसमें एक बोर्ड स्थापित की गई है जिसमें एग्जिक्यूटिव कमेटी का सदस्य भी, चान्सलर का नुमायन्दा भी और जज की तरफ से भी रखा गया, उसको इस्तेमाल करके देखें। अगर इसमें हम लोग सफल हों तो आगे के लिये सड़क साफ है। और अगर सफल नहीं हों तो फिर यह सदन है ही।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय वर्मा जी का जो संशोधन सदन के समक्ष उपस्थित है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वर्मा जी का संशोधन बहुत मौलिक है। उसके मुकाबिले में दो संशोधन और हैं। एक नवलकिशोर जी का है और दूसरा पद्माकर लाल जी का है। माननीय पद्माकरलाल जी का संशोधन यह है कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो उसको ही मौका दिया जाय और नवलकिशोर जी यह कहते हैं कि उसी तरह से चुनाव हो जिस तरह से दिया हुआ है धारा ९ में, एक्जिक्यूटिव उसको चुने। दोनों सुझाव ऐक्शन रिएक्शन पर आधारित हैं। यह कार्य के पश्चात प्रतिक्रिया के सुझाव हैं। इनके अन्दर मौलिकता नहीं है। किन्तु वर्मा जी का जो सुझाव है

वह मौलिक है। उसको कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। हमारे मित्र गौरीशंकर राय जी यहां पर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों की चीजों से भड़कने की जरूरत नहीं है। अगर विदेशी प्रयोग हिन्दुस्तान की आबोहवा में असफल हो जाय तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। वह प्रयोग यहां पर असफल हो चुका है। बात यह है कि इंग्लैंड में स्टेट और यूनिवर्सिटी में सीधा संबंध नहीं है। वहां तो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी होती है जिसका जिक्र मूथम कमेटी की रिपोर्ट में भी आया है। यहां की तरह से उनको अनुदान नहीं दिया जाता है। जो भी उनको अनुदान मिलता है वह सब उस कमेटी से ही मिलता है और वह कमेटी ही यहां तक करती है कि अगले ५ साल के लिये भी नियोजन कर देती है कि उनको इतना-इतना धन मिलेगा। फिर सरकार उनको वह धन देती है। सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। यहां पर नवलकिशोर जी का सुझाव यदि मान लिया जाय तो एग्जिक्यूटिव में सरकार का बहुमत होता ही है जिसको वह चाहेंगे, बना देंगे। जो काबिल लोग होंगे और जिनको वहां पर रखा जा सकता है वह सब पीछे रह जायेंगे।

अभी क्या हुआ ? इलाहाबाद में जिसको एग्जिक्यूटिव ने चाहा उसको रखा। लखनऊ में भी यह हुआ जिनको सरकार चाहती थी वह उस एक्जिक्यूटिव के द्वारा हो गये। वह दोनों प्रोफेसर सीनियर ही थे। हमारा सुझाव यह हैं कि कोर्ट के जरिये से चुनाव हो। कोर्ट के अन्दर सभी लोग रहते हैं। अध्यापकों के प्रतिनिधि वहां पर रहते हैं। जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं उनके प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे। इनमें ऐसे प्रतिनिधि आ सकते हैं जो नेता भी हों। उनमें जज भी हो सकते हैं और वकील भी हो सकते हैं। उनमें बड़े बड़े विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी उसमें आ सकता है जोकि विश्वविद्यालय को चन्दा दिया करते हैं। सभी स्वार्थों के प्रतिनिधि उसमें पूरे हो जायेंगे और सब से बड़ी बात यह है जोकि कोर्ट के जरिये से वाइस-चांसलर की नियुक्ति होगी, उसमें विश्वविद्यालय की आटोनोमी, उसकी जो आन्तरिक स्वतन्त्रता है जिसको दम यह सरकार भरती है उस स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये कोर्ट को अधिकार दिया जाय कि वह उसको चुने। इससे सब से अधिक उस स्वतन्त्रता की रक्षा होगी जिसकी रक्षा यह सरकार करना चाहती है। वहां पर न तो आई० जी० जायेंगे और न डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ जायेंगे। वहां सीधे वही लोग चुने जायेंगे जो जनता के, हर वर्ग के लोग चुनकर आते हैं. . . .और जिनको दिलचस्पी है शिक्षा के बारे में, जो विद्वान हैं वही जायेंगे। उसमें चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं जायंगे। तो अगर कोर्ट के सुझाव को माननीय मंत्री जी मान लें तो जो पुराना और अच्छा तरीका रहा है, उससे सारे प्रदेश का कल्याण होगा और यह सीनियारिटी और बोर्ड के नाम पर जो जुल्म हो रहे हैं उनसे प्रदेश का शिक्षा विभाग और प्रदेश की जनता बच जायगी। यह मामला हेरिडेटरी होता चला जा रहा है, इसीलिये भ्रष्टाचार और अनियमिततायें हैं, यह अवैधानिक गतिविधि है। यह सब दूर हो जायगी अगर माननीय वर्मा जी का सुझाव मान लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैं अपने प्रस्ताव को रखूं जो पृष्ठ १९ पर २२-ग है अथवा इसी संशोधन पर बोलूं ? उसके लिये आप बाद में समय देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—यह चार संशोधन हैं। इन्हीं पर आप बोलियें। उसे आप बाद में उपस्थित कर लीजियेगा।

श्री सुरथबहादरशाह—माननीय सदस्य अतरौलिया, जिला आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत संशोधन के बारे में मुझे दो बातें अर्ज करनी हैं। मैंने माननीय सदस्य आंवला, जिला बरेली, और भोगनीपुर, जिला कानपुर और माननीया सदस्या करछना, जिला इलाहाबाद के भाषण गौर से सुने। अलावा इसके मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का तथा उपमंत्री जी का भाषण भी सुना। मैं इस बारें में यह निश्चित विचार रखता हूं कि यदि यह केवल एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आदमी को वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्त करना चाहेंगे तो इनको कोई रिटायर्ड आई० जी० या रिटायर्ड डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन शायद मिल जायगा, लेकिन अर्ज यह है कि वाइस-चांसलर का काम केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव ही नहीं होता। उसका एकेडेमिक काम भी होता है।

[श्री सुरथबहादुरशाह]

मुझे बड़ा अफसोस हुआ माननीय मंत्री जी से यह सुन कर कि वहां गुटबाजी भी होती है। वह मुझ से उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बा भी उनका ज्यादा है। गुटबन्दी शुरू हुई १९४६ से, यानी उस समय से जब से कि कांग्रेस के अखाड़िये और गुटबाज वहां पहुंचे। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि इस प्रदेश के माने हुए गुटबाज और विश्वविद्यालय में गुटबाजी के महान् अखाड़िये के नाम से पूरा प्रदेश वाकिफ है। मैं इस बात को अब भी कहता हूं कि गुटबाजी उसी समय से शुरू हुई जब से कांग्रेस ने राज्य की बागडोर सम्भाली और उनके मंत्री वहां घुसे। माननीय सदस्यों ने आचार्य नरेन्द्र देव जैसे व्यक्तियों का यहां नाम लिया। श्रीमन्, यह बात नहीं भुलायी जा सकती कि पूज्य आचार्य नरेन्द्र देव कांग्रेसी की हैसियत से विश्वविद्यालय में गये और समाजवादी की हैसियत से उनको विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा यहां लखनऊ में।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि कैंब्रिज और आक्सफोर्ड आदि की जो परम्परा रही है उसके अनुसार सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को वाइस चांसलर होना चाहिये। इससे तमाम बातें पूरी हो जाती हैं और सरकार की बात भी पूरी हो जाती है। यह हो सकता है कि कोई उनका चिलम-बरदार हो और कोई न हो, लेकिन रोटेशन से वह सब आ जायंगे और उससे सब बातें पूरी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आक्सफोर्ड और कैंब्रिज की परम्परा पुरानी है, लेकिन क्या वही हम यहां स्थापित नहीं कर सकते? अगर किसी काम को शुरू ही नहीं किया जायगा तो उसकी परम्परा का सवाल कहां उठता है। वह परम्परा पुरानी होगी कैसे? जब तक परम्परा स्थापित नहीं करेंगे जब तक वह बनेंगी नहीं और जब तक बनेंगी नहीं तब तक वे पुरानी कैसे होंगीं? मैं आपको राधाकृष्णन् जी के कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं—

"We must resist in the interest of our own democracy, the trend towards governmental domination in the educational process."

यानी हमको अपना जनतंत्र कायम रखने के लिये, आजादी को कायम रखने के लिये, इसकी चेष्टा करनी पड़ेगी, कि सरकार का हस्तक्षेप कम हो। श्रीमन्, महज इस बात से कि सरकार रुपया देती है, लिहाजा उसका पूर्ण कन्ट्रोल होना चाहिये, कोई खास दलील नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक सरकार को रुपया देती है तो क्या वह इनकी पालिसी पर अपना नियंत्रण रखती है? और क्या यह सरकार उनसे नियंत्रण चाहती है?

श्रीमन्, माननीय सदस्य आंवला, जिला बरेली ने यह भी फरमाया कि एक्जीक्यूटिव काउन्सिलों को बिलकुल बाईपास नहीं किया जा रहा है। मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया। यह तो एक अजीब दलील है। अगर माननीय सदस्य आंवला इस पर गौर फरमायेंगे तो उनको मालूम होगा कि यह 'बिलकुल' शब्द से असलियत को छिपाने की चेष्टा की गयी है।

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी स्पीच के दौरान में यह फरमाया कि गुटबन्दी से संबंधित हम वाइस-चांसलर नहीं चाहते। मैं यह कह नहीं सकता कि उनको हर बात में गुट-बन्दी की आशंका क्यों होने लगती है। उनकी हर बात में इसी की झलक मिलेगी। मैं श्रीमन्, अगर मुसाहबीन शब्द का इस्तेमाल करूं तो वह उन्हें पसन्द नहीं आयेगा, उनको बुरा लगेगा, किन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि इसके पीछे यह चीज है कि किसी न किसी तरह उनके लोगों की संख्या बढ़े। जो लोग २० और २५ वर्ष तक वहां रहें, उनके ऊपर जो नियंत्रण या रेस्ट्रिक्शन थे, उनको हटाने की तरकीब की गयी है। एक तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिये, दूसरी तरफ यही गुटबाजी को बढ़ाते हैं। इसलिये जब तक रोटेशन से वाइस-चांसलर की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक अच्छा वाइस-चांसलर कभी नियुक्त नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, माननीय सदस्य, सलेमपुर, जिला देवरिया ने कई उदाहरण भी दिये। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के उदाहरण देता हूं। यहां पर डाक्टर प्रांजपे, पं० जगतनारायण मुल्ला, राजा सर महाराजसिंह, आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे व्यक्ति वाइस-चांसलर रहे हैं जो इस तरह की चुनाव-बाजी से नहीं हुये हैं। आचार्य नरेन्द्र देव गुटबाजी से अलग थे और जब हमें आजादी मिली, तो उन्होंने कांग्रेसी गुटबाजी से हट कर, लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़ा और बनारस विश्वविद्यालय तशरीफ ले गये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री पद्माकरलाल जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में मेरा खयाल है कि दो राय नहीं हो सकतीं कि आज विश्वविद्यालय गुटबाजी तथा दूसरी खराबियों के केन्द्र बने हुये हैं और वहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है। श्रीमन्, मुझे ऐसे भी केसेज मालूम हैं कि जहां कि थीसिस कोई लिखता और डाक्टरेट किसी को मिलती है और एक्जामिनेशंस के सिल सिले में, और उनकी योग्यता के सिलसिले में जो कुछ भी कहा जाय वह कम है। ज्यादा कहना, मैं समझता हूं, गंदगी को उछालना है।

आज विश्वविद्यालयों से जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका जो स्तर हम देखते हैं वह ठीक नहीं है, तो उसके कारण हैं। यह वाइस चांसलर की नियुक्ति, क्षमता, उसकी योग्यता और निष्पक्षता पर विश्वविद्यालयों का संचालन बहुत कुछ निर्भर रहता है। पद्माकरलाल जी चाहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो वह वाइस-चांसलर कर दिया जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि यही योग्यता एक वाइस-चांसलर के लिए काफी नहीं है कि उसने कितने काल और कितनी अवस्था तक सर्विस की है। वाइस-चांसलर को केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों की नीतियों का बहुत कुछ संचालन करना, व्यवस्था करना और उसमें से योग्यतम छात्रों को निकालना है। तो केवल यह योग्यता कि वह सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, काफी नहीं है।

विश्वविद्यालय में जनतंत्र की रक्षा हो, इस पर जोर दिया गया है। इस सम्बन्ध में, मान्यवर मैं एक घटना जो मुझसे संबंध रखती है, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। जो लोग यह समझते हैं कि वाइस चांसलरों का निर्वाचन जनतंत्र पद्धति पर सब जगह सही-सही होता रहा है, तो वह समझ लें कि कहां तक जनतंत्र की पद्धति का काम होता है। आगरा यूनिवर्सिटी बिल जब इस सदन में रखा गया था तो उस समय के शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि हम इस बिल को इस हाउस में इसलिए पेश कर रहे हैं कि जो आगरा यूनिवर्सिटी में काकस बन गये हैं उनको तोड़ा जाय। मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि उस ऐक्ट से वह काकस, वह वेस्टेड इंटेरेस्ट जो क्रिएट हो गये हैं, जो जातिवाद और अन्य चीजों के आधार पर पैदा हुए हैं, आज भी सबल होते गये हैं और टूटे नहीं हैं।

तो वह घटना जिसका मैं जिक्र करने जा रहा था, वह यह थी कि आगरा विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव पर, अखबारों में यह प्रकाशित हुआ था कि मेरा नाम भी सरकार के द्वारा नामजद किया गया। समाचार प्रकाशित होते ही जो दो उम्मीदवार थे आगरा विश्वविद्यालय के, वह प्रकाशन के एक घंटे के भीतर दोनों सज्जन मेरे पास तशरीफ लाये, अलग-अलग। मैंने उनसे कहा कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि मेरी नामजदगी आगरा यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव में हुई है। इसलिये मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं इसकी चर्चा करना भी नामुनासिब समझता हूं जब तक कि गवर्नर के यहां से मेरे पास नामीनेशन न आ जाय। उसके बाद मुझसे इनडाइरेक्टली एक उम्मीदवार ने यह कहला कर भेजा कि यदि मैं उनके पक्ष में वायदा नहीं करता हूं तो वह यह देखेंगे कि मेरी नामजदगी होकर आती ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरे नाम की जगह एक ऐसे आदमी का नामीनेशन हुआ जो सीनेट में हारा हुआ था। इसलिये जो लोग जनतंत्र की बात कहते हैं वह गलत है। वे तो ऐसी पार्टी और गुटबन्दी बनाये हुये हैं जिसका विस्तार लखनऊ तक है और जो वेस्टेड इंटेरेस्ट्स एक काकस के अन्दर काम करते हैं।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मैं श्री नवलकिशोर जी के संशोधन का समर्थन करते हुये यह महसूस करता हूं कि जो संशोधन माननीय पद्माकरलाल और गौरी शंकर राय जी और अन्य माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है उसमें और इस संशोधन में कोई मौलिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

विरोध नहीं है। नवलकिशोर जी ने अपने संशोधन में यह कहा है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि यदि वह एक नाम की सिफारिश करे तो वह वाइस चांसलर तैनात कर दिया जाय। यदि सर्वसम्मति से वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे बहुमत से किसी अन्य व्यक्ति को नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी ओर, पद्माकरलाल जी का और अन्य सज्जनों का कहना है कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को ही वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया जाय। यह परम्परा जो इंग्लैन्ड की रही और उसका संबंध जोड़ा जाय एक्जीक्यूटिव कमेटी के निर्णय के साथ तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा उचित होगा। एक्जीक्यूटिव कमेटी यदि इतना अधिकार नहीं रखती कि वाइस-चांसलर उसकी रजामन्दी से तैनात हो तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा कट जाती हैं, और विश्वविद्यालयों का संचालन जनतांत्रिक पद्धति के आधार पर ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। अलावा इसके, यदि एक्जीक्यूटिव कमेटी के हाथ में यह ताकत नहीं जाती है तो उस स्थिति में जैसा कि अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो, व्यावहारिक रूप से बिलकुल यही अर्थ होगा कि ऐग्जीक्यूटिव कमेटी की विश्वविद्यालय के संचालन में जो उपादेयता है वह क्षीण होती जायगी और सम्पूर्ण शक्ति शासन के हाथ में चली जायगी। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि विश्वविद्यालय में वह सरकारी हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते हैं और बार बार यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये, राजनीति को इतना तुच्छ और हेय समझना कि विश्वविद्यालयों में यह छूत की बीमारी न लगे, इसे मैं उचित नहीं समझता हूं। हालत तो यह है कि जो राजनीति को विश्वविद्यालयों में ले जाने का विरोध करते हैं वही उसे वहां ले भी जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के हाथ में ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जानी चाहिये और विश्वविद्यालयों के संचालन में वाइस-चांसलर की नियुक्ति से लेकर छोटे से छोटे कार्य में एक्जीक्यूटिव कमेटी की राय को सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आज सदन के सामने वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में कई संशोधन उपस्थित हैं। उनके बारे में सरकार की ओर से जो स्थिति समझाई गई उसे सुनने के बाद मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ा। जो संशोधन माननीय नवलकिशोर ने पेश किया उसके लिये मैं समझता था कि शायद यह सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और सरकार अपने मन्तव्य में बदलने जा रही है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री जी की ओर से स्पष्टीकरण हुआ तो मालूम हुआ कि वह अपनी जगह से टस-से-मस नहीं होना चाहते हैं। वह कहते हैं कि वह विश्वविद्यालयों में एक नया प्रकाश लावेंगे। विरोधी पक्षों की ओर से भी भिन्न-भिन्न उपाय बताये गये। उन्हें सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अपने को इतनी बुद्धिमान क्यों समझने लगी है। विश्वविद्यालयों के बारे में मूल प्रश्न हमारे सामने यह है कि हम उनकी आटोनामी को अक्षुण्य रखना चाहते हैं या नहीं। यदि हम उन्हें सरकार का एक डिपार्टमेन्ट बनाना चाहें तो बात दूसरी है। मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये कहते समय इस बात पर जोर डाला था कि यदि सरकार का जैसा रुख इस विधेयक में प्रदर्शित है उसे मान लिया जाय तो अंततोगत्वा परिणाम यह होगा कि जिस प्रकार से सरकार बनती है, मंत्री, उप मंत्री, सचिव, आदि बनाये जाते हैं, ठीक उसी प्रकर से उपकुलपतियों को भी बनाया और बिगाड़ा करेंगे। एक प्रकार से अमरीकन पैटर्न सरीखा ही यह होगा कि प्रेसीडेन्ट की इच्छा के अनुसार सारा शासन बदलता रहे। नवलकिशोर जी के प्रस्ताव से विश्वविद्यालय का भी मान रहता है, लेकिन जब सरकार उसे भी मानने के लिये तैयार नहीं है तो हम उससे कहेंगे कि अपने किये हुये कारनामों को वह जरा ध्यान से देखें। आज विश्वविद्यालयों में यह भयानक परिस्थिति सरकारी पक्ष की ही पैदा की हुई है। जो बातें या घटनायें इसके उद्देश्य और कारण में बताई गई हैं उनका भी मूल कारण सरकार ही है। उन्होंने ही ऐसे उपकुलपति चुने जाने का मार्ग

प्रशस्त किया जिनके शासनकाल में विद्यार्थियों पर कुत्सित प्रहार हुये, प्रीवेन्शन, डिटेंन्शन में विद्यार्थियों को पकड़ा गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई । यह सब उन्हीं उपकुलपतियों के कार्यकाल में हुआ जिनको बनाना इस सरकार के हाथ में रहा । यह बात दूसरी है कि दूसरी सरकार के लोगों को वे पंसन्द न हों और दूसरे प्रकार से उनको बदलना चाहते हों । यह मैं मानता हूं कि जिन लोगों के कारनामे अच्छे नहीं रहे उनको हटाया जाय । लेकिन इसके द्वारा तो एक नई प्रणाली को जन्म दिया जा रहा है, इसलिये उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि वह उचित प्रणाली होगी या नहीं ।

विश्वविद्यालय के अन्दर कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसमें निर्वाचित लोगों का बहुमत होता है और जिसमें १०० के करीब सदस्य होते हैं तथा हर दल के लोग भी उसमें होते हैं । वहां चुना हुआ आदमी सबसे अधिक प्रजातांत्रिक होगा और देश के छंटे हुये लोगों में से होगा । जिन लोगों ने सरकारी प्रस्ताव का समर्थन किया उनमें माननीया गोईन्दी जी ने आलोचना में कहा कि हम लोग सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जिस प्रकार आंख मींचकर सरकारी पक्ष का समर्थन नहीं करती उसी प्रकार से हम लोग इस पक्ष में भी नहीं हैं कि सीनियर मोस्ट को ही वाइस-चांसलर बनाया जाय । हम तो उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि वाइस चांसलर सबसे योग्य आदमी हो और जनतांत्रिक प्रणाली से चुनकर आये ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—श्रीमन्, मैं प्रार्थना करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, जब बोलने के लिये समय बांटा गया था तब तो यह बात नहीं रखी गई थी । अभी बहुत थोड़े लोगों ने ही इस बहस में हिस्सा लिया है ।

श्री अधिष्ठाता—इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है । प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन पर अपने मत व्यक्त किये, चाहे वे विरोध में व्यक्त किये हों या समर्थन में । कोई विशेष महत्वपूर्ण दलील मेरे संशोधन के विरोध में नहीं दी गई, इससे मुझे दुःख हुआ माननीय शिक्षा मंत्री ने जो इसके विरोध में अपना मत व्यक्त किया उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बात की जाती है, लेकिन वहां तो बहुत पुरानी परम्परा चली आती है तथा बहुत पुरानी परम्परा और अनुभव के बाद वहां की यह स्थिति हुई है ।

(इस समय २ बजकर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि परम्परायें किसी न किसी स्थिति में नवीन होती हैं और समय बीतने के बाद वे पुरानी होती है । अच्छी बातें जहां कहीं भी हों, उनको हमें अपनाना चाहिये और अपने यहां लागू करना चाहिये और यही बाद में चल कर हमारे यहां की परम्परा बन जायगी और दूसरे लोग कहेंगे कि भारतवर्ष की परम्परा बहुत पुरानी तथा आदर्शपूर्ण है । अगर कोई भी अच्छी बात कही जाय तो वह चाहे जहां की हो, उसे विदेशी कह कर हम टाल नहीं सकते । कांग्रेस पार्टी के लोग, सोशलिस्ट पार्टी के लोग या प्रजा समाजवादी पार्टी के लोग जो समाजवाद का नाम लेकर उसका नक्शा हमारे सामने रखते हैं क्या वह समाजवाद विदेशी नहीं है ? प्रजातांत्रिक व्यवस्था हिन्दुस्तान में व्यावहारिक रूप में कब रही ? यह तो हमारे हिन्दुस्तान के लिये नया तजुर्बा और नई परम्परा है । तो दुनिया में जहां कहीं भी अच्छी चीजें मिल सकें उनका हमें अनुसरण करना पड़ेगा । ब्रिटेन जो विदेशी मुल्क ही है, जरूरत

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

पड़ने पर माननीय सदस्य वहां की मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को सामने रख कर ही प्रजातंत्र की बातें किया करते हैं, तथा ब्रिटेन की परम्पराओं की दुहाई दिया करते हैं, तो यह कह कर आप हमारे इस संशोधन को रूल आउट नहीं कर सकते हैं । इसमें तथ्य है ।

करीब-करीब सभी माननीय सदस्य इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि विश्वविद्यालय में गुटबन्दी है, वहां का वातावरण शिक्षा के अनुकूल नहीं है । मैं इस बात को बार बार कह चुका हूं कि आज लखनऊ, इलाहाबाद तथा और विश्वविद्यालयों की हालत क्या है । कोई भी व्यक्ति जिसे शिक्षा से प्रेम होगा और अपने देश तथा प्रदेश से प्रेम होगा, वह इस वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता है । यह कहां की उत्पत्ति है, किसकी उत्पत्ति है, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संक्षेप में ही बोलें, क्योंकि पेश करने के लिये ६ मिनट समय था तो जवाब के लिये तीन मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मान्यवर, आज जो वातावरण विश्वविद्यालयों में है वह नहीं रहना चाहिये, उसको समाप्त होना चाहिये तथा राजनीतिक गुटबन्दी खत्म होनी चाहिये । प्रजातंत्र के नाम पर यूनिवर्सिटीज में चुनाव प्रणाली पर हमें कहीं फुल स्टाप लगाना चाहिये जिससे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति में किसी तरह की गड़बड़ी न हो । अगर वाइस चांसलर के लिये चयन की पद्धति को रखा जायगा तो चांसलर उसी आदमी को रखेगा जिसे मुख्य मंत्री या शिक्षा मंत्री चाहेंगे, क्योंकि वह तो उनकी मर्जी पर ही चलेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एलेक्शन की कोई भी पद्धति वाइस-चांसलर के चयन के लिये नहीं रहनी चाहिये । मेरा यह संशोधन जो बहुत ही इन्नोसेंट और सीरियस है, इसको मान लेने से हमेशा के लिय एक परम्परा कायम हो जायगी और बाद में चल कर दुनिया के लोग कहेंगे कि यह बहुत पुरानी और अच्छी तथा स्वस्थ्य परम्परा है जो भारतवर्ष ने कायम की है कि जो विश्वविद्यालय का सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो उसकी नियुक्ति चांसलर द्वारा वाइस-चांसलर के पद पर की जाय ।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन तो उससे विशेष भिन्न नहीं था जिस सिद्धान्त को माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने विधेयक द्वारा प्रतिपादित किया है । वे इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अगर सर्वसम्मत्ति से हो जाय तो एक अच्छी चीज है और इसलिये पिछले बिलों में भी यह बात मानी गई थी और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को मौका दिया गया था कि वह एक नाम को सर्वसम्मति से चुनले, लेकिन दुर्भाग्य से अनुभव यह हुआ कि चुनाव यूनानिमस न हो सका और उस में यह भी आगे प्राविजन था कि अगर चुनाव यूनानिमस न हो सके तो कौंसिल ३ नाम चुनकर भेज दे और चांसलर उन में से किसी एक को नियुक्ति कर दें । उस में इस बात की गुंजायश थी कि एक्जीक्यूटिव किन्हीं ३ नामों को चुनकर भेजे । अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल अपने अधिकार का ठीक से प्रयोग न करे तो जिम्मेदारी किस को है ? अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी महसूस करते हैं कि उस में कुछ कठिनाई होगी तो मेरा कोई आग्रह नहीं है, वह भी वाइस-चांसलर की हैसियत से अनुभव रखते हैं । मुझे कोई जिद्द नहीं है कि मैं इस को मानने के लिये जोर दूं लेकिन मेरा खयाल था कि यह संशोधन हर दृष्टि से अच्छा था । बहरहाल, जैसा वह चाहे वह करें, उनकी मर्जी है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक ही है कि आप ने समय की सीमा बांध दी । मेरे सामने जवाब देने का कोई प्रश्न नहीं है । हमारे संशोधन के विषय में तो वही बात है कि "मौन सम्मत्ति लक्षणं", उन के मौन रहने का मतलब यही है कि यह उन को स्वीकार है और इस का उन्हें कोई विरोध नहीं है । सदन में जो अन्य संशोधनों पर चर्चा हुई उस से भी जाहिर है कि सदन उनसे सहमत नहीं है । केवल एक हमारा ही संशोधन रह जाता है कि जिस के विरोध में कोई नहीं है और सब ने अपनी मौन स्वीकृति उस को दी है । जो प्रथा पहले से चली

आती है उसके अकारण विरुद्ध जाने की क्या आवश्यकता है ? उससे तो कठिनाई ही होगी। जब सदन के माननीय सदस्य इस राय के हैं कि सरकार के हस्तक्षेप यूनिवर्सिटी के मामले में कम से कम हो या न के बराबर हो तो इसके माने हैं कि उनकी दृष्टि से यह संशोधन बहुत ही सुन्दर है और सन्तोषप्रद है । इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय के कोर्ट में तमाम विद्वान लोग और अध्यापक वर्ग के लोग आयेंगे और उन्हीं के द्वारा वाइस चांसलर का चुनाव होगा । इस तरह से विश्वविद्यालय के हित में काम करने वाले जितने वर्ग होंगे वे सब संगठित हो कर काम करेंगे। एक दूसरा पक्ष यह भी था कि सरकार हस्तक्षेप न करे। यह ठीक है, लेकिन वह चुनाव से डरते हैं । मैं उन से कहूंगा कि अगर वह जनतंत्र प्रणाली में विश्वास करते हैं तो उन्हें चुनावों से न डरना चाहिये । हमारा पहले का यूनिवर्सिटी का तजुर्बा है कि जितने भी उपकुलपति वहां चुनकर पहुंचते थे वे विद्वान, योग्य और अनुभवी लोग ही होते थे और उन्होंने बराबर विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा किया है । उस जमाने में किसी तरह की गड़बड़ी या आन्दोलन विश्वविद्यालयों में नहीं चले इस से भी सिद्ध है कि वह प्रणाली अच्छी थी । मैं इतना ही उनसे कहूंगा कि जो लोग "आटोनामी" शब्द का प्रयोग कर के भी यह कहना चाहते हैं कि परम्परागत चीजें रहें तो इससे परम्परा यानी उत्तराधिकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । हमें जो कोर्ट के अनुभवी, विश्वविद्यालय का भला चाहने वाले जजेज, वकील, राजनीतिज्ञ, व्यापारी सभी वर्गों के लोग और प्रतिनिधि हैं उन पर भरोसा करना चाहिये । वह उस विश्वविद्यालय के स्नातक होने के नाते सदा ही संस्था के हित में कार्य करेंगे और वे कभी ऐसे आदमी को न भेजेंगे जो कि योग्य न हो ।

वास्तव में ऐसी चुनाव प्रणाली अपनाने से विश्वविद्यालयों में जीवनी शक्ति भी रहेगी और कार्य भी सुचारुरूप से चलेगा और प्रजातंत्र से तो हम डरते नहीं हैं । यहां कोई नहीं कह सकता है कि प्रजातंत्र में उसकी आस्था नहीं है, या चुनाव से घबड़ाता है, या यह समझता है कि चुनाव से खराबी हो जाती है । अगर ऐसा कोई सोचने लगे कि चुनाव होना बुरी चीज है तो हम लोगों का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, लोक सभा और विधान सभा समाप्त हो जायंगी । अतः इन हमारे तमाम तर्कों से मंत्री जी सहमत होंगे और जो हमारा संशोधन है उसको स्वीकार करेंगे । मंत्री जी से कहूंगा, यद्यपि उनका ध्यान इस समय इस ओर नहीं है, पहले उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं तो मेरी समझ में शायद हमारे संशोधन से सहमत हैं और चाहते हैं कि पुराना तरीका जिसमें कोर्ट के द्वारा वाइस-चांसलर चुना जाता था उसको मान लिया जाय क्योंकि उसमें उन तमाम स्नातकों की दिलचस्पी रहती है जो विभिन्न पदों या स्थानों पर काम करते हैं और यूनिवर्सिटी की भलाई चाहते हैं । आशा है ऐसे हमारे निर्दोष प्रस्ताव को मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

शिक्षा उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी संशोधनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खेद है कि मैं अपने को इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूं । मुझे सुनकर यह तो संतोष हुआ कि पद्माकर लाल जी ने यह महसूस किया कि जैसी विश्वविद्यालय में अव्यवस्था है उसमें आवश्यकता है कि वाइस-चांसलर के चयन के सम्बन्ध में कुछ तबदीली की जाय। यही मैं कह रहा था कि चयन के सम्बन्ध में तब्दीली करना आवश्यक था और कोई सरकार आंख, कान बन्द करके सो नहीं सकती ।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है जो रामस्वरूप वर्मा ने उठाया, वैसे तो सरकार की ओर से अपना एक विधेयक है, दो मुख्य पार्टियां हैं विरोधी दल की, समाजवादी और प्रजा समाजवादी, इन दोनों में ही इस विषय में मतभेद है । प्रजा समाजवादी इस बात को मानते हैं कि चुनाव द्वारा वाइस-चांसलर को नियुक्त करना उचित न होगा और समाजवादी पार्टी पुरानी प्रथा पर जाना चाहती है, जिसके प्रयोग के बाद यह आवश्यक समझा गया कि चुनाव जो कोर्ट द्वारा हुआ करता था, जिसको पहले बदला गया उन परिस्थितियों को देख कर, उसी को फिर लाया जाय।

[श्री रामस्वरूप यादव]

तो मैं कह रहा था पद्माकरलाल जी को कुछ भ्रम है जब उन्होंने संकेत किया कि बाहर के आदमी को लाने का तरीका किया जा रहा है। मैं चाहूंगा वह इस बात को सुन लें कि इस विधेयक में हमने खास तौर से यह लिखा है जो कमेटी तीन नाम भेजेगी वह उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं को लिख कर भेजेगी। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि शिक्षा विशारदों को ही हमें लाना है, यानी चांसलर उन्हीं को लेंगे जो शिक्षा से सम्बन्धित होंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कहां लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं उसको पढ़े दे रहा हूं, अंग्रेजी में—

"The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons, but shall not indicate any order of preference."

(श्री मोतीलाल अवस्थी के बीच में टोकने पर)

श्री उपाध्यक्ष—अब आप बीच में हस्तक्षेप न करें।

श्री रामस्वरूप यादव—यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने भी एक सब कमेटी बनायी थी जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारणों की जांच करने के सम्बन्ध में थी। उन्होंने वी० सी० के बारे में लिखा है—

"One of the offices in a University to which a political element too frequently enters is the appointment of the Vice-Chancellor. We are quite convinced that in the long run it is harmful for the life of a University to make the appointment of its highest academic and executive officer a matter of politics. The Vice-Chancellor should be selected for his eminence in the academic or educational world. He should be a man of learning who understands the needs and problems of the scholar's life, and has experience and ability in administration. He should not be a party-man in any sense of that phrase. We feel that of the various methods of appointing a Vice-Chancellor now obtaining in our Universities the method used in selecting the Vice-Chancellor of Delhi Univesrity is the best and this or a very similar method should be adopted by all our Universities."

मौजूदा विधेयक भी इसी पर आधारित है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथा है वह सबसे अच्छी है। उसमें हमने थोड़ा सा सुधार कर दिया है। एजिक्यूटिव कौंसिल के दो सज्जन थे लेकिन इसमें एक एक्जिक्यूटिव कौंसिल से और एक माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश नामिनेट करेंगे।

माननीय नवल किशोर जी को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐक्ट दिखा दिया है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल को नाम नहीं भेजे जाते हैं, चांसलर को भेजे जाते हैं। ऐसी सूरत में ये संशोधन वापस ले लिये जायं अन्यथा अस्वीकार किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be the senior-most Professor to be appointed by the Chancellor:

"Provided that in case the senior-most Professor is not agreeable to such appointment the person next on the list shall be so appointed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं श्री नवलकिशोर जी का संशोधन लेता हूं ।

श्री नवलकिशोर--मैंने तो वापस ले लिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (१) की दूसरी पंक्ति के शब्द "appointed" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द तथा अंक "Sub-section (4)" तक निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "elected by the majority of the Court" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में--१६,

विपक्ष में--४६ ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, जब आप काउंटिंग करा रहे थे तो दरवाजा खोल दिया गया था । जरा उनको समझा दिया जाय कि काउंटिंग होते वक्त दरवाजा न खोला करें ।

श्री उपाध्यक्ष--काउंटिंग होते वक्त कहां दरवाजा खोला गया ।

माननीय नवलकिशोर जी आपका जो नम्बर २-ख पर अमेंडमेंट हैं उसको आप वापस ले रहे हैं?

श्री नवल किशोर--जी हां मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि निम्न संशोधन वापस लिया जाय:

खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (३) के पश्चात एक नई उपधारा (३-ए) निम्नलिखित रूप से रख दी जाय--

"The Executive Committee shall as far as may be, at least thirty days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be recommended to the Chancellor who shall appoint him and if it fails to decide unanimously the name of any person whose names shall be submitted to him by the Committee constituted in sub-section (4)"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५३,

विपक्ष में--१४ ।)

श्री सुरथ बहादुरशाह--उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अशोभनीय है कि माननीय सहकारी मंत्री जी यहां फाइलें खोलें फिर दूसरे आयें फिर देखें और फिर उसे पढ़ावें । यह सदन की परम्परा के, मर्यादा के और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--सदन के कार्यों से सम्बन्धित कोई कार्य हो तो वह सदन में किया जा सकता है । आप साबित करें कि वह कार्य सदन के कार्य से सम्बन्धित नहीं है तो वह अनुचित होगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह—यह तो अब यहां की परम्परा सी बनती जा रही है, लेकिन लोग कुल्हड़ में पेय ले आते हैं। अब पता नहीं पेय जल है, लेमनड है या शराब है या भंग है। इस तरह से जो भी कार्य होते हैं वे सब अशोभनीय हैं। मैं चाहता हूं कि यह अशोभनीय कार्य बन्द हो जायं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ति के शब्द "years" तथा "but" के बीच में शब्द "and shall not continue as a Vice-Chancellor for more than two terms continuously" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह जो संशोधन मैंने रखा है उससे स्पष्ट है कि हमारे आदरणीय मित्रों ने यह एक आशंका जो व्यक्त की कि कहीं गुटबन्दी न बढ़ जाय, कहीं कोई आदमी अपनी शक्ति से तमाम यूनिवर्सिटी के अधिकारों पर न छा जाय आशंका इस संशोधन से निर्मूल हो जायगी। क्योंकि २ टर्म्स से ज्यादा, वह टर्म ३ वर्ष का हो या जो भी हो, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो एक सीमा बंध जायगी और इससे अन्य योग्य व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त होती रहेंगी और छाजाने की बात खत्म हो जायगी। इस संशोधन के द्वारा हमने रोक और रक्षण दोनों को प्रस्तुत कर दिया है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस बात के मानने में कोई कठिनाई नहीं है। जो भावनायें जो आपने सरकारी पक्ष की ओर से व्यक्त की गई है कि वे विश्वविद्यालयों में ऐसा कोई प्रभाव नहीं चाहते या किसी का छा जाना पसन्द नहीं करते, उसकी पूर्ति भी इस रोक और रक्षण से हो जाती है इन दोनों बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से काम करें और उनमें कम से कम हस्तक्षेप हों और साथ ही साथ योग्य आदमियों की सेवायें उनको बराबर मिलती रहें। तो पहला तर्क तो मेरा यह है।

दूसरा तर्क मेरा यह है कि जो खंड ३ अभी पास हो गया है उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि जो वाइस-चांसलर बनेगा उसमें सरकार का ही व्यक्ति होगा। तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति लगातार न हो सके और उससे ज्यादा योग्य अनुभवी विद्वान शासकों को मौका मिले कि वे आकर के अपनी सेवायें विश्वविद्यालयों के लिये समर्पित करें इसका भी प्राविधान विधेयक में होना चाहिये। इसका विधेयक में प्राविधान न हीं है दूसरे इस विधेयक के लाने में भी माननीय मंत्री जी ने एक धारा उपकुलपतियों को हटाने के लिये प्रस्तुत की भी है। माननीय मंत्री जी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा उपकुलपति की नियुक्ति के विरोध में कहा था कि यह कहते हैं कि खराब आदमियों को हटा दिया जाय पर हमारे पास कोई धारा नहीं है जिससे हम उन्हें हटायें। इस वजह से एक धारा जो विधेयक में आगे चल कर एक खंड में प्रस्तुत की गई है एसी रख दी जो उपकुलपतियों को हटाने के लिये सारहीन है। जो कारण उन्होंने रखे, सामान्य विवाद के अवसर पर रखे, उससे भी स्पष्ट हो गया है कि वह खंड दिवालियापन आदि का उतना अच्छा नहीं है। परन्तु इस संशोधन से इससे तो हम सरकार को एक शक्ति और दे देते हैं। यह सदन उसके द्वारा सरकार को और भी शक्ति से ओतप्रोत कर देगा कि जिससे सरकार २ टर्म के बाद किसी भी व्यक्ति को न रखे। किसी को हटाने का प्रश्न नहीं उठता है। पर हां, सरकार के दिल में यह आशंका हो कि हमारा अच्छा आदमी वहां पहुंच जायगा और उनके मन के अनुरूप काम करेगा तो दो टर्म्स के बाद उसके हटाने में उन्हें कठिनाई होगी। ऐसी बात नहीं हो सकेगी हमने एक शब्द रख दिया है "continuously" यानी लगातार नहीं रह सकता है। दो टर्म से ज्यादा एक विश्वविद्यालय में नहीं रह सकता है। दूसरी जगह हो सकता है। सरकार की इस प्रकार की आशंका भी निर्मूल हो जाती है। सम्पूर्ण रूप से देखा जाय तो यह संशोधन सर्वथा निर्दोष और हितकारी होगा।

मेरी जो मंशा है जिससे प्रेरित होकर मैंने इसको रखा है, वह यह है कि हमारे यहां विश्वविद्यालयों को अच्छे, योग्य अनुभवी, उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अच्छे प्रशासक, ऐसे लोगों की सेवायें मिलती रहेंगी तो कम से कम प्रदेश में नये-नये लोग आते रहेंगे और उनमें एक स्पर्द्धा उत्पन्न होगी कि एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने यह काम किया तो दूसरा चाहेगा कि वह भी अच्छे काम करे, जैसे विश्वविद्यालय का स्तर ऊंचा करे, विद्यार्थियों में अनुशासन लाये, योग्य तथा अच्छे विद्यार्थी निकाले और अच्छे अच्छे विषय पठन पाठन के लिये रखे; इस तरह की स्पर्द्धा उत्पन्न होगी जिससे प्रदेश का कल्याण ही होगा ।

अब अगर किसी का दुबारा नाम पहुंच जाता है तो उसको रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी और दो बार के बाद चुने जाने में रोक होगी। इसलिये वह पहले टर्म के बाद यह प्रयत्न करेगा कि ऐसे काम करे जिससे दुबारा चुन लिया जाय। इस प्रकार से रोक और रक्षण दोनों का इसमें विधान है। इसमें संतुलन भी है और रोक भी है। यदि हम ऐसा कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रख कर मुझे आशा है कि मंत्री जी जरूर इसको स्वीकार करेंगे और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको जरूर स्वीकार करें। जो हमारे यहां योग्य आदमियों का तांता लगा हुआ है उसको आने से न रोकें बल्कि उनके लिये विश्वविद्यालयों का द्वार उन्मुक्त रखें ताकि उनकी उचित सेवा प्राप्त हो सकें और हमारे यहां शिक्षा भलीभांति प्रस्फुटित, पल्लवित एवं प्रतिष्ठित हो।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुझे खेद है कि मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। यदि चयन के बाद प्रथा तब्दील होती तो सोचा जा सकता था कि कोई आदमी दो टर्म से ज्यादा न हो। चुनाव में तो यह हो सकता था कि वह कुछ ऐसे काम करें जो अच्छे न हों, लेकिन जब प्रथा ही बदल रही है और चुनाव के बजाय चयन की प्रथा हो रही है और इसमें सिलेक्शन होगा तो इसके रखने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा सिलेक्शन उसी समय होगा जब वह अच्छा कार्य करेगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो १०, १५ साल से लगातार वाइस-चांसलर रहे हैं, यह साबित करता है कि वे योग्य व्यक्ति थे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इसी सदन में इसके पहले जो इसी पार्टी की दूसरी सरकार थी उस समय इस मामले पर काफी बहस हो चुकी थी और यह समझा गया कि वाइस-चांसलर को बार-बार अवसर दिया जाय, यह अच्छा नहीं है।

मंत्री जी ने एक तर्क दिया कि सिलेक्शन से चुना जाता है, इसलिये गड़बड़ी का मौका नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसीलिये और भी दो टर्म से ज्यादा किसी को वाइस-चांसलर के पद पर किसी विश्वविद्यालय में एलाऊ नहीं करना चाहिये। एलेक्शन से जिसको होना है उसको यह जरूर है कि अपने नीचे काम करने वालों और एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्टीबाजों के घर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सरकार को प्रसन्न रखने की मजबूरी उसके सामने बराबर होगी। वह शासन में पदस्थ लोगों को बराबर प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा। जिस पार्टी बाजी की बात कही गयी है अगर इस तरफ भी कोई पार्टीबाजी हो तो क्या जो व्यक्ति शासन में होगा वह पार्टी बाजी से अलग होगा। यहां पर पार्टीबाजी का जनक स्थान वही रहा है जिसके हाथ में शासन रहा है। ऐसी स्थिति में वाइस-चांसलर को इस तरह से बनाना कि वह बराबर गवर्नमेन्ट का मुखापेक्षी बना रहे, ठीक नहीं है। हां, मैं यह जरूर कहूंगा कि तीन साल के टर्म को भले ही पांच साल कर दिया जाय। मैं इसको पसन्द करता हूं, क्योंकि एक साल आये हुए शुरू हुआ और तीसरे साल चला जाय यह कुछ ठीक नहीं है। मेरी यह भी राय है, लेकिन इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं है, नहीं तो मैं उसका समर्थन करता कि एक ही बार एक आदमी वाइस-चांसलर हो ताकि पांच साल तक स्वतन्त्रता के साथ

[श्री गौरीशंकर राय]

वह काम कर सके बिना इसकी चिन्ता किये हुए कि मंत्री जी कहीं नाराज न हो जायं । हां अगर जैसा पहले सुझाव दिया गया था कि सारे देश का पब्लिक सर्विस कमीशन होता या कोई दूसरे प्रकार की सेलेक्शन की विधि होती, नामिनेशन की विधि न होती तो दो-तीन बार उस आदमी को रखा जा सकता था ।

आज मान्यवर, अगर कोई ऐसा विद्वान है जिसकी योग्यता की आवश्यकता है तो आचार्य नरेन्द्रदेव लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर थे, फिर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर हो गये ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसी यूनिवर्सिटी में एक आदमी की योग्यता का प्रयोग होना चाहिये । अगर किसी भी वाइस-चांसलर के सरकार के भीतर के दलादल से सम्बन्ध पैदा हो जायं तो वाइस-चांसलर इतनी बड़ी शक्ति है कि विश्वविद्यालय के पूरे संचालन की शक्ति उसके हाथ में है । जो आज का विधेयक है उसमें वह भगवान है । ऐसे शक्तिमान आदमी को अनन्त काल तक कुर्सी पर बैठाये रखना यह सारी मान्यताओं के विपरीत है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी सरकार के हाथ में इस प्रकार की पावर्स न लेंगे । मुझे ताज्जुब होता है कि जिन चीजों के पक्ष में आज वह तर्क दे रहे हैं, इसी कुर्सी पर बैठे हुए इसी दल के मंत्रियों ने एक साल पहले इसके बिलकुल विपरीत तर्क दिये थे । आज वह तर्क कुतर्क हो गये और कुतर्क आज तर्क हो गये । तर्कों की मान्यताएं हर स्टेज पर इतनी जल्दी नहीं बदलने चाहिये । अगर वह समझते हैं कि किसी की योग्यता का बीस साल तक इस्तेमाल होना चाहिये तो दूसरे विश्वविद्यालय में उनकी योग्यता का प्रयोग हो सकता है । आज आगरा यूनिवर्सिटी में वाइस-चांलसर है तो कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर हो सकता है । यहां तक कि पांच विश्वविद्यालय हैं । इस प्रदेश की बदकिस्मती से पांचों विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों के नामांकन का अधिकार सरकार के हाथ में है । जहां सरकार के हाथ में इतना बड़ा अधिकार है वहां पर इतना छोटा सा प्रतिबन्ध सरकार के ऊपर जरूर रहना चाहिये । इसलिये मैं माननीय मित्र के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामस्वरूप जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं । मैं मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं । मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कह दिया कि मैं वर्तमान संशोधन को नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो वाइस-चांसलर मनोनीत होंगे वह १०, १५ साल एक जगह रह सकते हैं । सरकार यह साफ चाहती है और मेरा उस पर यह अभियोग है कि सरकार चाहती है कि अपने लोगों को अनन्त काल तक जमाये रखें । इसकी तो माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से सफाई हो गई कि उनको जमाये रखना चाहते हैं । राधाकृष्णन् कमेटी की रपट में वाइस-चांसलर की अवधि ६ वर्ष रखी गयी है । उनकी सिपारिश है कि ६ वर्ष तक वह रहे तो यह भी ३ वर्ष का उनका है जैसा कि विधेयक में दिया हुआ है और माननीय वर्मा चाहते हैं कि दो टर्म से ज्यादा कान्टीन्युअसली साथ साथ वह न रहें । अगर रखना चाहें आप तो उनके पद को ब्रेक कर दें । एक साल के बाद दूसरी जगह उनको रख दें । श्रीमन्, हम लोगों का तो जो जोर है वह इस बात पर है कि ६ वर्ष से ज्यादा लगातार वह किसी भी एक विश्वविद्यालय में न रहे । लगातार रहने से क्या हो जाता है कि वही हेरेडिटरी हो जाता है । डिवाइन राइट आफ किंगशिप की तरह बादशाह का बेटा बादशाह बना रहे, इसी बात का हमारा विरोध है ।

दूसरी बात क्या हो जाती है ? सरकार यह समझती है कि हमारा पंजा जो है वह विश्व-विद्यालय से दूर हो जायगा । तो वह दूर तो आपको रखना ही पड़ेगा । आप अनुदान देंगे, उसके लिये अपना हिसाब-किताब रखिये । श्रीमन्, जब पहले कोर्ट द्वारा चुनाव होता था तो महज एक अधिकारी होता था जो यह देखता था कि किस तरह के अनुदान का उपयोग हो रहा है । तो उसी तरह से आप भी अपना रखिये । दूसरी बात यह है कि जैसा कि माननीय

गौरीशंकर राय ने कहा कि अगर बहुत अच्छा वाइस-चांसलर है, उसके द्वारा विद्यालय को लाभान्वित होना है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वह एक ही विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के पद को सुशोभित करें। क्यों न उसका लाभ प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय उठावें? इसमें माननीय मन्त्री जी को क्या विरोध है? लेकिन माननीय मन्त्री जी तो एक-तन्त्रीय वासना से प्रेरित हैं और वह चाहते हैं कि सब की नकेल हमारे हाथ में रहे उसी तरह जिस तरह से एक कठपुतली का नाटक करने वाला सूत्रधार सामने परदे पर तो नहीं होता है, लेकिन सारे नाटक की डोर उसके हाथ में रहती है। तो मैं उनसे यह कहता हूं कि वह उस कठपुतली के नाटक का सूत्रधार न बनें। विश्वविद्यालय की आटोनामी को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये यह बहुत जरूरी है कि वाइस-चांसलर दो टर्म से ज्यादा वहां न रहे। अगर फिर रखना चाहते हों तो उसके टर्म को तोड़ दें और फिर रख दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम स्वरूप वर्मा के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं देख रहा हूं कि इस संशोधन पर भी काफी माननीय सदस्य बोलने के लिये उत्सुक हैं। आपको मालूम है कि पांच बजे तक यह सारा विधेयक समाप्त होना है। तो उसमें ऐसा मालूम होता है कि कुछ समय पहले गिलोटिन करना पड़ेगा। उसके लिये मैं यह रखता हूं कि सवा चार बजे तक जो वादविवाद हो जायगा उसके बाद .....

श्री रामस्वरूप वर्मा--आप जो कह रहे हैं वह तो सही है, लेकिन इसमें जो संशोधन किये जा रहे हैं, आगे की धाराओं में भी वही संशोधन हैं, इसलिये इस पर अच्छी तरह से वाद-विवाद हो जायगा तो आगे इतने विवाद की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष--तब भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कुछ आत्मसंयम का प्रयोग करें और यह भी मैं घोषित कर देना चाहता हूं कि सवा चार बजे जो संशोधन रह जायेंगे उन पर बिना किसी बहस के मत ले लिया जायगा।

श्री गौरीशंकर राय--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--कोई और खड़ा ही नहीं है, तो उसकी क्या आवश्यकता है?

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात से प्रसन्नता यह हुई कि माननीय मन्त्री जी ने अपने दिल की बात कह कर सदन में जो तमाम आरोप विरोधी पक्ष के लोग लगा रहे थे उनको स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह जो आशंका है कि दो बार से ज्यादा कोई आदमी रहेगा यह निर्मूल है। क्यों? क्योंकि जब वह सेलेक्शन के द्वारा आयेगा, उसका चयन होगा और चयन सरकार के हाथ में है वह चाहेगी तो वैसा न करेगी। तो यह एक उन्होंने आश्वासन अप्रत्यक्ष रूप से दिया कि सरकार इस बात के लिये बिलकुल निश्चित है कि वह दो से ज्यादा नहीं रखेगी। मैं उसका यही मतलब समझा कि यही उनकी मंशा है कि चूंकि सरकार के हाथ में उसका चयन है इसलिये दो बार से ज्यादा वह नहीं आयेगा।

श्रीमन्, अब मैं कहना सिर्फ यह चाहता हूं कि जहां तक विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्वतन्त्रता का प्रश्न है, वह तो स्पष्ट हो गया कि आन्तरिक स्वतन्त्रता कुछ नहीं रही है। अब तो सरकारी स्वतन्त्रता का प्रश्न रह गया है। लेकिन जो दूसरा आश्वासन निकला कि हम इस प्रकार की रोक रखेंगे कि वह दो बार से ज्यादा नहीं हो पायेगा, क्योंकि सरकार के हाथ में चयन की शक्ति है तो अब उसमें मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि यहां सरकार तो यह सालाना बदलती है, अगर छमाहीं बदलने लगी तो फिर यह रोक और आश्वासन किसका रहेगा? तो इस विधेयक में हम चाहते हैं कि इस तरह से रोक रक्खें कि योग्य व्यक्ति जो मिले तो उसके लिये अवसर रहे....

श्री उपाध्यक्ष--सन् १९६२ में विरोधीदल की सरकार होने वाली है तो आप क्यों घबराते हैं!

(हंसी)

श्री रामस्वरूप वर्मा---इसलिये कि फिर हमको इस धारा को बदलने के लिये बिल लाना पड़ेगा। इसलिये हम अपना काम हलका करने के लिये उनसे निवेदन करते हैं। इस दृष्टि से हमने अपने तर्क को आपके सामने रखा और उस पर जो मन्त्री जी ने हमको आश्वासन दिया उसमें हम जानते हैं कि कोई दम नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि एक साल के बाद कौन सरकार यहां पर बैठेगी, इसलिये इस प्रकार का आश्वासन देने में वह असमर्थ हैं। हम चाहते हैं कि इस विधेयक में एक निश्चित व्यवस्था रहे। इसलिये हम चाहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति हमको विश्वविद्यालय के लिये मिले उसको वहां पर ले आवें न कि एक वाइस-चांसलर की मियाद को बढ़ाते चले जायें। इससे वहां की दक्षता और शासन में किसी प्रकार से कमी नहीं आयेगी। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें और यदि वह अपनी दुर्योधनी हठ पर अड़े रहते हैं तो माननीय सदन के सदस्य मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें ताकि विश्वविद्यालय की जो आन्तरिक स्वतन्त्रता है वह स्थिर रहे और उस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये इस प्रकार का बन्धन रहे।

श्री रामस्वरूप यादव---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। उग्रसेन जी की बात मेरी समझ में नहीं आई कि किस तरह से विश्वविद्यालय के शासन को, सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। यदि देखा जाय तो जो भी शासन रहता है उसके हाथ में वहां का काम रहता ही है। इस तरह से वहां का कोई काम हो नहीं सकता जिसको बगैर शासन के चलाया जाय, चाहे सत्ता किसी के हाथ में भी रहे। वहां का काम चलाना ही होता है। यदि विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर की नियुक्ति शासन के हाथ में हो जाती है तो उससे विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्वतन्त्रता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वहां सारा प्रबन्ध तो उनके ही हाथ में रहता है। वहां की एकेडेमिक लाइफ का प्रबन्ध वही करते हैं। लड़कों की तैयारी या सिलेबस सबका इन्तजाम उनके ही ही हाथ में होता है। सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। केवल यदि वाइस-चांसलर की नियुक्ति का सम्बन्ध शासन के हाथ में हो जाय तो कोई असर उसकी स्वतन्त्रता पर नहीं पड़ सकता है। यह बात तो साफ है कि १९६२ के बाद जो पार्टी यहां पर पावर में रहेगी वह ६७ तक रहेगी। उसके बाद फिर प्रश्न उठ सकता है कि जो आदमी तब तक रहा उसको फिर दोबारा बनाया जाय या नहीं। अगर इस बात को सरकार के ऊपर छोड़ा जाता है तो अच्छे आदमी को रखना ही उचित समझा जायगा। भविष्य में समय और स्थिति को देख कर ही उस तरह किया जायगा। अच्छे आदमी जब भी रहे हैं तो उनके लिये समय दिया जाता रहा है। आचार्य नरेन्द्रदेव यदि जीवित होते तो उनके लिये इस तरह का अवसर दिया जाता। केवल योग्य आदमी के लिये ऐसा अवसर रहना चाहिये, उसमें किसी बन्धन की जरूरत नहीं है। अगर लड़कों में अनुशासन या पढ़ाई का प्रबन्ध उनके काल में अच्छा रहा तो उनके लिये आगे रहने का अवसर न रहे अगर हम इसका विरोध करते हैं तो उसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हर व्यक्ति के टर्म को दो से बढ़ाकर तीन किया जायगा, लेकिन यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो उसको दिया जा सकता है यदि उसके बारे में परिस्थिति अनुकूल और उपयुक्त हो। अगर ऐसी परिस्थिति आई कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा तो उस वक्त विचार किया जा सकता है। आज हम यह समझते हैं कि किसी योग्य व्यक्ति के लिये तीसरी टर्म की रोक लगा दें तो यह उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ति के शब्द "Years" तथा शब्द "but" के बीच में शब्द "and shall not continue as a Vice-Chancellor for more than two terms continuously." रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided that the salary to be paid to the Vice-Chancellor shall not exceed rupees five hundred per mensum."

इसमें सरकार ने अपने हाथ में अधिकार ले रखा है कि एमालूमेन्ट्स और सर्विसेज की शर्तों के नियम उसी प्रकार होंगे जैसे कि स्टैट्यूट्स बन कर तैयार होंगे। मैं इसमें यह बाध्यता लाना चाहता हूं कि सैलरीज की उच्चतम सीमा निर्धारित हो जाय। श्रीमन्, इसका कारण संक्षेप में यह है कि मन्त्रियों की तनख्वाहों के लिये भी मैंने इसी प्रकार का संशोधन रखा था और आज भी उसी प्रकार का संशोधन लाने का साहस कर रहा हूं। माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा तथा वित्त मन्त्री द्वारा भी इस बात को उनके भाषणों में बतलाया गया कि वे कमी करके तनख्वाहों में एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं और उस कमी का आदर्श वे उच्च स्तर से ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनका यह कथन उसी समय सार्थक होगा कि जब वह मेरा इस प्रकार का संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

इसके खिलाफ यह तर्क दिया जा सकता है कि आज का युग खर्चीला युग है। लोगों का स्तर काफी खर्चीला हो गया है और यह ५०० रुपये की सीमा उनके लिये मुसीबत पैदा कर देगी। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जब इस देश के लोगों की औसत आमदनी १९१ रुपया सालाना, यानी सवा आठ आना रोज है, तो उस हालत में अगर किसी किसान का बालक वहां पढ़ने जायगा तो वह अपने उपकुलपति को देखकर कि यह हजारों रुपये वेतन पा रहा है, सुखी नहीं होगा। उसके मन में भी यह आकांक्षा उत्पन्न होगी कि वह भी इतना उच्च वेतन जिस पद पर मिलता है उस पर पहुंचे। मैं चाहूंगा कि इसके विपरीत उपकुलपति उनके सामने एक आदर्श उपस्थित करे और उसके लिये सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि वह स्वयं सादा जीवन और उच्च विचार वाला जीवन बिताये और उसका आदर्श ही उनके सामने रखें। इसके लिये वेतन में कमी करके वह सादगी अपनाये, अपना स्तर ऐसा बना ले जैसा कि देश के आम आदमी का हो सकता है, औसत आमदनी वाले का हो सकता है। इसके लिये तो मैं ५०० रुपये की मासिक आय को भी ज्यादा समझूंगा क्योंकि इस देश में यह आवश्यक नहीं है कि इतने रुपये की आमदनी वाला व्यक्ति उपकुलपति बने, लेकिन तो भी उपकुलपति के स्थान के लिये हम इतना वेतन देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि वह अपना जीवन आदर्श रूप में बना कर दिखाये। यह ५०० रुपये में भी हो सकता है और इससे कम में भी, लेकिन कुछ सीमा तो होनी ही चाहिये। मैं जानता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी अपने वेतन का अधिकांश भाग गरीब विद्यार्थियों की मदद में दिया करते थे और स्वयं सादा जीवन बिताते थे। हमारे उपकुलपति क्यों नहीं आचार्य जी के जीवन को अपना आदर्श बनावें। मुझे विशेष तौर से विनोबा जी के शब्द याद आते हैं कि उच्च स्तर के जीवन के माने यह नहीं होते कि हर एक आदमी के पास रेडियो, घड़ी जरूर हो और वह बिना उसके जीवन व्यतीत ही न कर सके। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति पौष्टिक भोजन और स्वच्छ वायु ले और इसके लिये खर्चीले जीवन की जरूरत नहीं होती। कम में भी यह हो सकते हैं। अगर सजधज को अनिवार्य न माना जाय तो उनके बिना भी काम चल सकता है।

इसलिये मैं अपना प्रस्ताव उसी आशा में रख रहा हूं जिसमें कि सरकार इकोनामी की तरफ जा रही है। इससे एकोनामी होगी, और एक आदर्श हमारे सामने उपस्थित हो सकेगा। हमारे वाइस-चांसलरों को चाहिये कि वे उसी पुरानी सांस्कृतिक शिक्षा को लाने का प्रयास करें। मुझे एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनसे बात-चीत के दौरान में जो तत्त्व निकला उसका अर्थ यह था उन्होंने एक दफे स्वयं कहा: कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों से भय करता हूं, क्योंकि वह कन्जूस होता है, अपने खर्च

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कम करता है जिससे जीवन स्तर नीचे गिर जाय। तो मैंने उनको बताया कि "ऊसर बरसे तृण नहिं जामा" यानी जो उनका हृदय ऊसर है उसमें इन बातों का कुछ असर नहीं हो सकता। उनके हृदय में तो पाश्चात्य सभ्यता ही भरी हुई थी। उनके हृदय में आदर्शवादिता आ ही नहीं सकती, जहां चारों तरफ से पाश्चात्य सभ्यता की छाप हो। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करे।

श्री गौरीशंकर राय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं श्रीमन्, जो कुछ कह चुका हूं उसको दोहराना नहीं चाहता, वह काफी है।

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी आज एक नई बात कह रहे हैं जो मुझे स्वीकार नहीं है। एक तरफ तो अवस्थी जी कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की तनख्वाह १०० रुपये हो, जिनकी योग्यता आठवें दर्जे तक ही हो तथा जो हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापक हों उनकी २००–५०० रुपये तक हो, और दूसरी तरफ वे यह चाहते हैं कि वाइस-चांसलर की तनख्वाह ५०० रुपये हो। इसलिये मैं उनका यह संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided that the salary to be paid to the Vice-Chancellor shall not exceed rupees five hundred per mensum."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (४) (i) के भाग (सी) में शब्द "a third person" और शब्द "to be" के बीच में शब्द "of good reputation and status" रख दिया जाय।

मान्यवर, यहां पर उपकुलपति के चयन के बारे में एक कमेटी संगठित करने की बात है। इस कमेटी के लिये जो पहला व्यक्ति होगा उसके लिये यह शर्त रखी गई है कि उसे विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमेटी चुनकर भेजेगी और उसमें यह शर्त है कि वह विश्वविद्यालय से भी संबन्धित नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति वह लिया जायगा जो हाई कोर्ट का जज होगा। तीसरे व्यक्ति के लिये कोई शर्त नहीं रखी गई है। उसको वाइस-चान्सलर चुनेगा। तो मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि उसमें यह शर्त रख दी जाय कि वह कम से कम अच्छे स्तर का व्यक्ति तो हो, क्योंकि वह कमेटी का कन्वीनर भी होगा। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्ति अच्छी ख्याति का हो, अच्छे स्तर का हो। इसी भावना से मैंने अपना संशोधन पेश किया है। आशा है कि माननीय मन्त्री जी उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

* **आचार्य जुगलकिशोर**—यह जो संशोधन अभी पेश किया गया है, उसका उद्देश्य प्रस्तावक का यह मालूम पड़ता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति चांसलर का रिप्रेजेंटेटिव हो जिसका रेप्यूटेशन अच्छा हो। अव्वल तो यह स्पष्ट नहीं हुआ कि "गुड रेप्युटेशन" क्या चीज है और अगर यह दावा किया जाय कि यह "गुड रेप्युटेशन" का नहीं है तो झगड़ा पैदा हो जायगा। तो यह स्वाभाविक है कि चांसलर जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वह अच्छे रेप्युटेशन का होगा, यह आशा की जाती है। तो यह कैसे आशा की जा सकती है, यह मैं नहीं समझ पाया, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, मैं माननीय मित्र के संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री से इस बात में तो सहमत हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि कौन तय करे कि किस का रेप्युटेशन कैसा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तय करने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर किसी को है तो हमारे पदासीन जो बड़े नेता हैं, उनको है। सारे लखनऊ ने, सारे प्रदेश ने जिसको कहा कि बुरा है, उसको कल की सरकार ने कहा कि अच्छा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सारे प्रदेश और सारे शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि रद्दी आदमी है जिसको बना रखा है, लेकिन चार साल पहले मन्त्री जी ने कहा कि बड़ा ऊंचा आदमी है। तो जब पैमाना और नापना हजूर के हाथ में है, आप ही साकी और आप ही पीने वाले भी हैं तो आप ही मालिक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात कि किसी व्यक्ति का रेप्युटेशन कैसा है, इसको जानने से कोई वंचित नहीं है। यह बात दूसरी है कि पार्टीबाजी में न कहा जाय। हमारे और मन्त्री जी के विचारों में मत-भेद हो सकता है, लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मुजफ्फर साहब बड़े भले, शरीफ और नैतिक आदमी हैं तो इस मामले में हमारी और मन्त्रीजी की राय एक हो सकती है, इसको वह भी समझ सकते हैं और मैं भी, और उसी तरफ का या हमारी तरफ का कोई गलत आदमी हो तो इधर के लोगों की राय भी हो सकती है और उधर के लोगों की भी यही राय हो सकती है। तो मेरी समझ में गुड रेप्युटेशन का यह अर्थ रखा जाय कि जिन लोगों के विरुद्ध भद्दे और वीभत्स चार्जेज लगाये जायं, जिनका सम्मान इतना हो अध्यापकों को अपनी रक्षा के लिये पुलिस मंगानी पड़े, इस तरह के अध्यापक किसी भी शिक्षा संस्था के लिये अपमान का कारण होंगे। तो रेप्युटेशन, प्रसिद्धि, मनुष्य का चरित्र एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसको सामने रखना चाहिये। या तो ऐसा विश्वास किया जाय कि बिना ऐक्ट में रहे भी यह बात मानी जायगी। इसका ऐक्ट में प्राविजन न भी रखा जाय इस समय, लेकिन जब सरकार वाइस-चांसलर बनायेगी तो सरकार मानेगी कि इस मापदन्ड का रखा जाना निश्चत है। मैंने पहले यह रखा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी बात मानी नहीं गई। रेप्युटेशन के मामले को न इलाहाबाद में माना, न लखनऊ में और न कहीं और मानने को सोचा गया है। इसलिये विधेयक में इसका प्रावीजन अवश्य होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टीबाजी के जरिये से हर प्रकार के लोगों को शिक्षा संस्थाओं में स्थान दिया जाया करेगा। अगल-अलग लोग जब पावर में आयेंगे तो अलग-अलग लोगों के लिये सीमायें बनायेंगे, लेकिन कम से कम आदमी गुड रेप्युटेशन का तो होना चाहिये। इसलिये इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री सुरथबहादुरशाह--मैं समझता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां का तरीका निकल आया कि अमेंडमेंट आता है, मिनिस्टर इंटरवीन करते हैं, एक सदस्य बोलते हैं और उसके बाद फौरन क्लोजर मूव हो जाता है? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना अवश्य दुःख है कि जो माननीय सदस्य मुझसे पहले बोल रहे थे उनको थोड़ा-सा भ्रम चांसलर के संबंध में और उसके नामिनी के संबंध में हो गया। जिन माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी को रेप्यूटेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिये। लखनऊ में जो वाइस-चांसलर हैं उनकी रेप्यूटेशन के बारे में मंत्री जी भी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--इस तरह से किसी व्यक्ति की तरफ मैं इशारा नहीं करने दूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैंने समझा कि आपने जो रिआयत दूसरों के साथ बरती, शायद वह मेरे साथ भी बरतें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

यह तो हो सकता था कि मंत्री जी प्रस्तावक महोदय से पूछते कि वे किस तरह का स्टेटस चाहते हैं---एकोनामिक स्टेटस चाहते हैं या सोशल स्टेटस चाहते हैं । इस पर उनको आपत्ति होती तब तो बात मेरी समझ में आ सकती थी लेकिन रेप्यूटेशन के बारे में बहुत ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है । कुछ व्यक्तियों की रेप्यूटेशन, चाहे वे जीवन के किसी क्षेत्र में जायं, ऐसी होती है जिसे जनमत अच्छी प्रकार से जानता है और लोगों को उनके बारे में संदेह बना ही रहता है । उनके बारे में पब्लिक का यही खयाल रहता है कि वे बैड रेप्यूटेड हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं और यदि आपकी इजाजत होगी तो उनसे पूछ भी लूंगा कि वे कैसा स्टेटस चाहते हैं । मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको वापस न लें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, इस संशोधन पर बोलने के लिये सिर्फ मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इसके पूर्व अभी मंत्री जी ने यह बात दरियाफ्त की थी कि जो नाम कमेटी के द्वारा सिफारिश करके भेजे जायेंगे उन नामों की योग्यता के बारे में क्या गारंटी होगी । उन्होंने जो मुझे पढ़ कर सुनाया वह इस प्रकार है---

"The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons."

इसमें साफ जाहिर है कि एकेडेमिक योग्यता देखी जायगी तथा दूसरे डिस्टिंक्शंस भी देखे जायेंगे । अब एकेडेमिक क्वालीफिकेशन्स तो डिग्रीज हो सकती हैं, अब डिस्टिंक्शन में मैडिल्स भी हो सकते हैं । लेकिन बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि एकेडेमिक योग्यता तो अच्छी हो सकती है, लेकिन मारेलिटी अच्छी न हो, इस तरह की कसौटी पर कसने की मांग भी की गयी । पब्लिक को उस पर शक हो सकता है । इसलिये रामजीलाल सहायक जी ने जो संशोधन रखा है वह उस चीज को साफ करने के लिये रखा है कि उसकी रेप्यूटेशन भी अच्छी हो और अच्छे स्टेटस का आदमी भी रहा हो । बल्कि हम यह कहें कि हो सकता है जो श्री रामजीलाल सहायक की मंशा है वही सरकार की भी मंशा हो ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, सुनाई भी नहीं पड़ता और समझने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य जानते हैं कि मुझे तो सबकी सुननी पड़ती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह कह रहा था कि इसी रेप्यूटेशन और स्टेटस की गारंटी धारा ९ के अन्दर दिलायी गयी है---जो इस प्रकार है---

"Notwithstanding anything contained in section 9, the Chancellor may at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds :

(*a*) that he has become insane ;
(*b*) that he is an undischarged insolvent; or
(*c*) that he has been convicted of any offence involving moral turpitude;"

तो यह मोरेल टर्पिच्यूड की जो बात है, ऐसे आदमी को सरकार भी नहीं चाहती है और जब इसी आधार पर संशोधन की बात की जाती है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किस आधार पर इसका विरोध करती है । अगर सिर्फ एकेडेमिक क्वालिफिकेशन की बात ही रहे तो योग्य आदमी चुनने में सरकार हमेशा असमर्थ रहेगी और सरकार द्वारा चुने हुए आदमी पर बराबर उंगली उठती रहेगी । जब ट्रेजरी बेंच की तरफ से एक संशोधन आया है तो उसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये, लेकिन अगर इसे सरकार स्वीकार नहीं करती तो मालूम होता है कि कहीं लूपहोल जरूर है, जिसकी आड़ में सरकार खड़ा होना चाहती है । सरकार

अनुशासन के नाम पर डंडा लेकर खड़ी हो जाती है जिससे उधर के माननीय सदस्य अपने अच्छे संशोधन को भी वापस लेने के लिये राजी हो जाते हैं । मुझे आशा है कि वे इसके लिये राजी नहीं होंगे और अगर वापस लेना ही था तो फिर सदन का समय इतना बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी ।

श्री रामजीलाल सहायक——मान्यवर, माननीय मंत्री जी के यह विश्वास दिलाने पर कि चांसलर महोदय योग्य व्यक्ति की ही नियुक्ति करेंगे, मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं ।

श्री उग्रसेन——श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई सदस्य बहस के दौरान में किसी मंत्री की राय लेकर और विश्वास प्राप्त करने के लिये सचेष्ट होकर अपने रखे हुए प्रस्ताव को वापस ले सकता है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष——हो सकता है कि माननीय मंत्री जी की बात का आपके ऊपर कोई असर न पड़ा हो, लेकिन उनके भाषण को सुनकर कोई माननीय सदस्य उनका विश्वास प्राप्त कर लेता है और अपने प्रस्ताव को वापस लेता है, तो इसका उसे अधिकार है ।

श्री रामस्वरूप यादव——श्रीमन्, यह मुझे स्वीकार नहीं है और उन्होंने वापस लेने के लिये भी कह दिया है । कारण मैंने पहले ही निवेदन कर दिये थे ।

श्री उपाध्यक्ष——वापस लेने पर किसी को एतराज तो नहीं है ?

(कुछ देर पश्चात्)

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव——उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (४) निकाल दी जाय । मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा ९ की जगह पर नई धारा ९ जो प्रस्तावित की गई है उसकी उपधारा (४) जिसको कि निकालने का यह संशोधन प्रस्तुत है वह इस प्रकार है कि——

"(4) (i) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of three persons, namely —

(*a*) one person, not being a person who is connected with the University, an Affiliated College, or a Hostel, to be elected by the Executive Council ;

(*b*) another person, who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad, to be nominated by the Chief Justice of that High Court ; and

(*c*) a third person, to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convenor of the Committee"

इस उपधारा की एक उपधारा और भी है, लेकिन जो मैंने अभी पढ़ी इसकी मंशा यह है कि विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर की नियुक्ति या चयन करने के लिये एक कमेटी होगी और उसमें ३ व्यक्ति होंगे। एक तो ऐसा व्यक्ति उसमें होगा कि जिसे एक्जीक्यूटिव कौंसिल चुनेगी और जो विश्वविद्यालय से किसी तरह भी संबंधित न होगा और न किसी उसके एफीलियेटेड कालेज या होस्टल से ही संबंधित होगा । एक दूसरा व्यक्ति और होगा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज होगा या जज रहा होगा और वह उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा नामांकित होगा। तो जिस आदमी को विश्वविद्यालय का अनुभव न होगा, जो वहां का अध्यापक न रहा होगा वह क्या जानकारी वहां के मामलों में रख सकता है। वह वहां के प्रबंध में क्या कर सकेगा और क्या तजुर्बा उसको होगा ? जब इस तरह का प्रतिबंध मंत्री जी लगाना चाहते हैं तो मुझे उनकी

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

नियत पर शुबहा होता है। पहले भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल थी, उसमें भी उनके बहुमत के लोग रहते थे और जिसको चाहें वहां सरकार भेजती थी। इसमें कुछ नहीं है कि उसकी क्या योग्यता होगी, किस मुहल्ले का आदमी वह पकड़ कर ले आयेंगे, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी कुछ भी इस में नहीं दिया है। सब चीज खाली सरकार की इच्छा और विल पर रहेगी, जो भी उसके इशारे पर चलेगा वही होगा और जो सरकार की मर्जी के खिलाफ जरा भी जायगा उसका नाम कभी नहीं आयेगा। (लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं मूवर हूं संशोधन का और मुझ पर कोई समय की लिमिट न होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया है कि मूवर को ६ मिनट दिये जायंगे और उसी के हिसाब से मैं लाल बत्ती दे रहा हूं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मान्यवर, इस प्रतिबंध के लगाने से मुझे सरकार की नियत पर शुबहा है कि वह ऐसी परिभाषा क्यों दे रहे हैं। खाली एक आदमी को ही एक्जीक्यूटिव कौंसिल भेजती थी कि जो विश्वविद्यालय की सब बातों में अनुभव रखता था उसको आप खत्म कर रहे हैं हालांकि आपके नामिनी एक्जीक्यूटिव में ज्यादा है। मैंने २ व्यक्तियों के बारे में तो ऊपर बता ही दिया कि वह एक तो वह होगा जिसका विश्वविद्यालय से कोई संबंध ही न होगा और दूसरा हाईकोर्ट का जज होगा या जज रहा होगा जिसको चीफ जस्टिस नामिनेट करेंगे और एक तीसरे व्यक्ति को चांसलर नियुक्त करेगा और वही कमेटी का कनवीनर भी होगा। जिस जज ने जिन्दगी भर इन्साफ किया है और अपना जूडीशस माइन्ड इस्तेमाल किया है वह उस कमेटी में रहेगा उसको कनवीनर होने का अधिकार सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि उम्मीद यह की जाती है कि हाई कोर्ट का जज, या भूतपूर्व जज अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और जब कोई इन्साफ करने का तरीका अख्तियार करेगा तो वह मंत्री की मंशा के खिलाफ जायगा, इसलिये उसको संयोजक नहीं बना रही है सरकार।

श्री उपाध्यक्ष—मीटिंग कनवीन करने में सरकार की आज्ञा नहीं पालन करेगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मान्यवर, मतलब यह है कि कनवीनर का क्या असर होता है, उसका तजुर्बा हमको और आपको और सबको है। उसके बारे में मैं अधिक नहीं कह सकता कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है।

माननीय रामजीलाल सहायक रेप्यूटेशन की बात और संशोधन लाने की बात कह रहे थे। रेप्यूटेशन का भी कोई मापदंड निश्चित हो जाना चाहिये कि कौन से व्यक्ति होंगे, क्या क्वालीफिकेशन्स होंगी? खाली यह कह देना कि एक व्यक्ति, यह काफी नहीं है। एक व्यक्ति तो हमें इशारा करके ले जाता है कि वह आदमी पानदरीबा में मुख्य मंत्री का पड़ोसी या शिक्षा मंत्री का कोई पड़ोसी होगा उसको उस कमेटी में रखवा देंगे। रेप्यूटेशन की बात करना ठीक है, लेकिन यह बहुत ही व्यापक शब्द है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मंत्रि मंडल के सदस्यों पर भी होता है, माननीय सदस्यों पर भी होता।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जो धारा ४ को निकालने का संशोधन है, श्रीमन्, मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा कि स्पष्ट है चयन की प्रणाली ही जब मूल रूप से गलत हो तो हित कैसे होना है, किन्तु जब सदन ने एक धारा पास कर दी और उसमें मेरा संशोधन नहीं रह गया तो अब सवाल यह उठता है कि जो हमारे सामने एक व्यवस्था है उसमें ही सुधार कर दिया जाय। अगर आमूल चूल परिवर्तन न कर सकें तो इतना परिवर्तन तो कर सकें कि जो खराबी होने जा रही है उसमें कुछ रोक लगायी जाय। अतः मैं समझता हूं कि धारा ४ नहीं रहनी चाहिये, लेकिन अब एक कठिनाई है धारा ४ आनुषंगिक हो गई है, अब यह धारा जिस किसी रूप में विराजमान है, यह आनुषंगिक होते हुए भी इसका स्वरूप सर्वथा हानिकारक है, क्योंकि

सरकारी पक्ष के दो आदमी होंगे, एग्जीक्यूटिव कांउसिल में सरकार का बहुमत और जो कुलपति नामीनेट करेगा वह भी सरकार का आदमी होगा । तो दोनों आदमी मिल करके बहुमत में हो गये । अब जज वाली जो बात है, यह कहा जा सकता है कि निष्पक्ष आदमी है, तो भी हो मंशा पूरी नहीं होती, क्योंकि उसका व्यक्ति अल्पमत में होगा तो इस धारा में खामी यही है । कोई नीति होनी चाहिये थी । इस प्रकार तीन आदमियों को क्यों रखा गया ? अगर नीति होती तो विश्वविद्यालय के दो हित हुआ करते है । एक तो इंतजामी और दूसरा शिक्षा का । इंतजामी हित एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है और शिक्षा का हित ऐकेडेमिक काउंसिल के द्वारा प्रतिनिधित्व से होता । यहां यह दोनों हित हैं नहीं । एकेडेमिक कौंसिल के स्थान पर कुलपति महोदय आ गये और एग्जीक्यूटिव में सरकार का बहुमत है । अगर हम मान भी लें तो आपको याद होगा जब ५२–५३ में विश्वविद्यालय विधेयक आया था तो उसके विषय में आपकी भी विमति टिप्पणी है, उसमें आपने भी एकेडेमिक काउंसिल की तरफ से एक आदमी भेजने को लिखा था और दो आदमी कार्य समिति की तरफ से लिखे थे । मैं समझता हूं आपके विचार में यही रहा होगा कि विश्वविद्यालय के जो दोनों हित हैं, दोनों का प्रतिनिधित्व वाइस-चांसलर के चयन में हो सके । यह भी होना चाहिये था । कार्य समिति के द्वारा प्रशासनिक बातों का तो प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन एकेडेमिक मामलों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो मेरी राय यह है कि इस धारा को यदि मंत्री जी न निकाल सकें तो फिर जहां उपकुलपति की तरफ से एक आदमी नामजद हो उसके स्थान पर एकेडेमिक कौंसिल की तरफ से एक आदमी कर दिया जाय तो कुछ हितों की रक्षा हो सकेगी । जो तरीका हम अपनाने जा रहे हैं उसकी बुराइयों का इस तरह से कुछ दूर तक परिहार हो सकेगा और इस दोष का और यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि उपकुलपति जो होगा वह सरकार की कठपुतली होगी और विश्वविद्यालयों के हितों की रक्षा हेतु वाइस-चांसलर आ सकें इसके लिये सरकार चिन्तित है । यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बात हल हो जाती है वर्ना इस धारा का निकल जाना ही अच्छा है और अगर आये, तो एक परिमार्जित रूप में आये ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह—मान्यवर, मैं माननीय पद्माकर लाल जी ने जो संशोधन इस सदन में रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह संशोधन विधेयक की जान है जो सबसे अधिक महत्व का इस विधेयक में है ।

श्रीमन्, सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न था वह बहुत ही अच्छा था । इस कारण गुट्टबन्दी से बचाने के लिये, झगड़ों से बचाने के लिये और एक अच्छा वातावरण उत्पन्न करने के लिये उनको यह विधेयक लाना पड़ा । मैं यह बतलाना चाहूंगा कि गोरखपुर में सिलेक्शन सिस्टम क्यों अपनाया गया । उसकी बहुत ही भिन्न पृष्ठभूमि थी । एक कालेज को जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करना था । उसमें आपसी झगड़े थे । आज भी एक्जिक्यूटिव कौंसिल नहीं बन पाई तो यह सिलेक्शन की पद्धति अपनाई गयी । यदि यह उत्तम मार्ग था तो मैं नहीं समझ पाया कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में थीं उनमें भी उसी समय यह सिटम आफ सिलेक्शन क्यों नहीं अपनाया गया ?

मैं यह मान सकता हूं कि बहुत से वाइस चांसलर इस योग्य नहीं हैं कि उस पद पर आसीन रहें । यह लज्जा की बात है और लज्जा स्वयं लज्जित होती है जब मैं यह देखता हूं कि वे उपकुलपति के स्थान पर सुशोभित हैं, लेकिन एक यूनीवर्सिटी के अधिकार को छीन लेना महज एक दो व्यक्तियों के कारण, मैं इससे कभी सहमत नहीं हो सकता हूं । यह सौभाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री आक्सफोर्ड में पढ़ चुके हैं । उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि रुपया हम देते हैं तो उस पर नियंत्रण रखना हमारे लिये आवश्यक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज में इस प्रकार का हस्तक्षेप कहां है । सरकार की ओर से कहा गया कि इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप वह नहीं करेगी तो क्या सरकार चपरासियों, अर्दलियों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

नियुक्ति में हस्तक्षेप करना चाहती है। उप-कुलपति की नियुक्ति यूनिवर्सिटी के जीवन का सवाल होता है और अगर कोई ऐसा उप-कुलपति बनाया जाता है जो उस जगह के लिये उपयुक्त नहीं है तो वहां का वातावरण शीघ्रातिशीघ्र खराब होगा। आप आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, जर्मन या अमेरिकन किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लें, यह तमाशा वहां नहीं हो सकता कि सरकार उनको रुपया देती है इसलिये ऐसा करती है। इसके मानी ये हैं कि सरकार का रुपया जिस मद में जाता रहे उस पर सरकार स्वयं सम्पूर्ण अधिकारों से सुसज्जित हो कर बैठ जाय। यह सिद्धांत किसी सरकार का नहीं है। अगर यही सिद्धांत है तो इसका मजाक नहीं होना चाहिये। लोकल बाडीज में भी सरकार उनके प्रेसीडेंट्स को निकाला और सस्पेंड किया करती है। मैं आपके द्वारा सदन को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया तो भारतवर्ष में प्रजातन्त्र केवल एक मजाक का विषय रहेगा और वह दिन दूर नहीं होगा कि जब आपके पड़ोसी पाकिस्तान की तरह भारतवर्ष में भी डेमोक्रेसी एक तमाशा बन कर रह जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री सुरथबहादुरशाह—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, जिसके वाइस चांसलरशिप के काल में गोली चली हो उसके मंत्रित्वकाल में जनतन्त्र का हनन हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माननीय सदस्य बीकापुर जिला फैजाबाद के भाषण के बाद मुझको बहुत कम कहने को रह जाता है। यहां आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की परम्पराओं की बात कही गयी। इन्हीं यूनिवर्सिटीज और पब्लिक स्कूल्स से एक शब्द निकला है "ओल्ड स्कूल टाई"। मतलब यह है कि उस स्कूल के टाई पहनने वालों की आदतें और खसलत, या प्रवृत्ति सब एक दूसरे से मिलती हैं। अपने मंत्री महोदय को मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि क्या ओल्ड स्कूल टाई का मतलब यह है कि एक तरफ तो आप इलाहाबाद और लखनऊ को रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटीज की उपाधि प्रदान करते रहें और दूसरी तरफ आप वह परम्परायें स्थापित करने जा रहे हैं जोकि एग्जामिनिंग बाडीज की होती हैं? यह तो उनके दिमाग की हालत है, श्रीमन्, ऐसी हालत में कोई तर्क देना या कोई आशा करना मेरे ख्याल से बेकार है। यह मैं जरूर कहूंगा कि हम लोगों को बुद्धू और उल्लू बनाने की चेष्टा सरकार छोड़ दे। यह तो स्पष्ट है कि चांसलर का नामिनी, चांसलर का रेकमेंडी, या चांसलर द्वारा सेलेक्ट किया हुआ आदमी कौन होगा। क्या हमारे शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चांसलर, शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री की सलाह के विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं? चांसलर तो एक फीगरहेड होता है। उसका नाम आप हमको केवल बेवकूफ बनाने के लिये ले रहे हैं। आज राज्यपाल के नाम से इतनी बातें होती हैं, लेकिन क्या राज्यपाल उन बातों को जानते भी हैं? उसी प्रकार से जो चांसलर के नाम से ये सब बातें होंगी तो क्या इन बातों को कभी वे जानेंगे भी और अगर उन्होंने कुछ जाना भी तो क्या वह जानेंगे जो उनके दिल की बात होगी? क्या चांसलर कभी भी कोई ऐसी बात कर सकता है जो उसके मंत्रिमंडल और विशेष कर उसके मुख्य मंत्री की इच्छा के विरुद्ध हो? तो नामिनी कौन है? नामिनी वह है, गवर्नमेंट नम्बर १ और गवर्नमेंट नम्बर २। एक तरफ तो चांसलर का नामिनी और दूसरी तरफ चांसलर के द्वारा जो ५ मेम्बर्स एग्जीक्यूटिव कौंसिल में नामिनेटेड हैं। उनके अलावा यूनिवर्सिटी कोर्ट में नामिनेटेड मेम्बर हैं और उन टीचर्स की जमात है जो कि अपनी रिटायरमेंट एज के करीब आ रहे हैं, जोकि फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन लोगों की जमात के पीछे जा कर फिर एक आदमी नामिनेट करवा कर वहां से भेजेंगे। आखिर में महज एक नामिनी जोकि सम्भव है इंडिपेंडेंट हो सके, वह आनरेबिल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नामिनी होगा, किन्तु उनके ऊपर भी रोक रखना उन्हें जलील करना है। यह इससे साबित होती है कि वे लोग अपनी प्रेफिरेन्स या प्राथमिकता नहीं बता सके हैं। एक तरफ तो यह राय देते हैं और दूसरी तरफ ऐसी बातें करते हैं। तो इन बातों को देखते हुए हमारे माननीय सदस्य अतरौली जिला आजमगढ़ ने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, जो वर्तमान संशोधन है वह आनुषंगिक इसलिये हो गया है कि जो संशोधन स्वीकार हो गया है वह जैसा सरकार का था विधेयक में वैसा हो गया है कि कमेटी द्वारा चुनाव हो। तो वह कमेटी तो अब होनी ही चाहिये। इस कमेटी के लिये जिस तरह से लिखा गया है उससे तो सरकार का पक्ष ही बहुमत में रहे, सरकार यह चाहती है। सरकार जिसको चाहे कि उसका ही आदमी वाइस-चांसलर हो वही बनेगा। जहां तक इस कमेटी का सवाल है उसमें चांसलर का मनोनीत आदमी होगा। तो हर तरह से तो सरकार बीच में आ जाती है। माननीय रामस्वरूप जी वर्मा ने इसीलिये यह प्रस्ताव रखा है कि ऐकेडेमिक कौंसिल का एक आदमी हो। इसमें माननीय मंत्री जी को इसलिये एतराज नहीं होना चाहिये कि कम से कम एक आदमी तो शिक्षा मन्दिर की राय का प्रतिनिधि हो सके। इतने से ही बहुत बड़ा काम हो जायगा नहीं तो यों तो मूथम कमेटी हो, राधाकृष्ण कमेटी हो, सबकी रपट है। मूथम कमेटी तो यहां तक कहती है, श्रीमन्, वह अंग्रेजी में है, लेकिन उसका मतलब है कि यदि विश्वविद्यालय अपना कार्य ठीक से नहीं करेंगे तो हम उनके कार्यों को ठीक कर देंगे। तो यह डंडे की बात है। जैसे लड़कों को स्कूल में मास्टर गांव का कहता है कि अगर तुम ठीक से नहीं बैठोगे तो हम ठीक कर देंगे। तो अगर आप भी डंडा चलानेवाले हैं तो बात दूसरी है। आपके पास भी सत्ता का डंडा है और कांग्रेस संगठन का डंडा है, अभी तो है चाहे आगे गड़बड़ी हो जाय, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ से तमाम बातें चल रही हैं। तो इन दोनों डंडों को वहां उपयोग में न लावें और इसके लिये कम से कम एक प्रतिनिधि तो शिक्षा मंदिर का हो। इस लिये माननीय रामस्वरूप जी ने जो सुझाव दिया है उसको आप मान लें। जो संशोधन मान लिया गया है कि चुनाव कमेटी द्वारा होगा तो उस कमेटी में थोड़ी शिक्षा मंदिर की भी भावना रखी जाय, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को मान लें।

श्री प्रतापसिंह---प्रश्न यह है श्रीमन्, कि वाइस-चांसलर का चुनाव ऐसा हो जिससे राजनीति यूनिवर्सिटी से चली जाय और किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व न हो। यहां तीन व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति चुना जायगा। उसमें एक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा वाइस-चांसलर नहीं चुना जा रहा है इसलिये कि पार्टीबाजी हो जायगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप चुनाव प्रणाली के खिलाफ हैं। मंत्री जी पुरानी पद्धति के खिलाफ हैं। उसको गलत समझ कर इसको ला रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि इससे किस प्रकार गुट विशेष के हाथ में ताकत नहीं जायगी यह साबित करने की बात है। जहां तक जज की बात है हम उससे सहमत हैं लेकिन ५ आदमी चांसलर के नामजद उस कमेटी में हों तो इससे तो जो सरकारी पार्टी है उसका बहुमत रहेगा। चांसलर अपनी राय से कोई काम नहीं करता। मैं बड़े अदब से कहता हूं कि यह हमारा तजुर्बा है। एक अजीब विडम्बना है कि आप वाइस-चांसलर की चयन प्रणाली को इसलिये समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वह राजनीति है और यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है, लेकिन हम कहना चाहता हूं कि आप सदन को धोखा दे रहे हैं। यहां पर जो मेम्बर्स चुने जायेंगे तो एक तो सरकार द्वारा चांसलर चुनेगा, एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल चुनेगी जिसमें सरकार के लोगों का बहुमत होगा तो मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि किन कारणों से वहां राजनीति नहीं होगी?

इसके अलावा मान्यवर, जो एक्सटर्नल बाडी बनाई गई है उसका यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपोज किया है। यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट पृष्ठ ४२२ में इसका स्पष्ट रूप से विरोध किया गया है और कहा है कि इसके चुनाव की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दी जाय। मैं नहीं समझ पाया कि किस तरह से मंत्री जी राजनीति को वहां से दूर रख सकेंगे? मान्यवर, इन तीन आदमियों में से वही आदमी होगा जो सरकार का होगा और इस तरह से यूनिवर्सिटी की आटोनामी समाप्त हो जायगी।

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, मैं माननीय पद्माकर लाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। इस विषय में मैं कोई तर्क उपस्थित नहीं करना चाहता हूं

[श्री गौरीशंकर राय]

क्योंकि पर्याप्त तर्क उपस्थित किये जा चुके हैं और इस पर काफी वाद विवाद भी हो चुका है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का चुनाव अजनतान्त्रिक होगा इसके सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। उस विश्वविद्यालय का जो ऐक्ट बना है उसके अनुसार वह चल नहीं रहा है, बल्कि सोलह आने शुद्ध रूप से मंत्री जी की इच्छा से वहां काम हो रहा है।

श्रीमन्, जिस प्रकार से वहां पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नामीनेशंस हुए हैं, वह ऐसे हुए हैं कि उनमें किसी भी एजूकेशनिस्टस का नामिनेशन नहीं हुआ है। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य और वह भी एक खास ग्रुप के लोग नामिनेट होते हैं। विश्वविद्यालय में ऐसे लोग हैं जो योग्य तो होंगे, लेकिन उनको स्नातक होने का सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं है। शुद्ध रूप से उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रखा गया है जो पार्टीबाजी के अखाड़े का घनघोर खिलाड़ी न हो और ऐसे लोगों को नामिनेशन के जरिये वहां पहुंचाया है जो सोलह आने यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में रखते हैं। इस विश्वविद्यालय में आजकल जो राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है उसकी जिम्मेदारी आपकी है।

मान्यवर, आशा थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय एक आदर्श विश्वविद्यालय होगा और देश के सामने एक आदर्श उपस्थित करेगा, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि उनमें हयादारी होगी तो जो व्यवस्था गोरखपुर विश्वविद्यालय में है उसके लिये उनको बड़ी शर्मिन्दगी होगी। वहां शुद्ध पार्टी लाइन पर काम होता है। वाइस-चांसलर के सिलेक्शन में जो चांसलर का आदमी होगा वह पूरा पार्टीबाज होगा।

मान्यवर, मैं इस भावना का स्वागत करता हूं कि विश्वविद्यालयों के लिये उपकुलपति के चुनाव के लिये जो कमेटी बन रही है। उसमें बाहर के आदमी रखे जायेंगे। विश्वविद्याशयों से सम्बन्धित लोग नहीं रखे जायेंगे इसका अर्थ यह हुआ कि प्रोफेसर आदि तो नहीं होंगे, लेकिन एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लोग रखे जायेंगे। मान्यवर, आप मुझसे सहमत होंगे कि ऐसे लोग पार्टीबाजी में अधिक दक्ष होते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं होती है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल में एक सीमा के अन्दर बात करेगा, लेकिन यहां पर जो राजनीति के लठैत तैनात किये गये हैं वह जमकर लठैती करते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं होती है। जो लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में रखे गये हैं वह लोग पक्के राजनीति के लठैत और कलाबाज सिपाही हैं। श्रीमन्, वहां पर तांडव नृत्य का सीन सामने आ जाता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टीबाजी हटाने के नाम से पार्टीबाजी को और मजबूत करने का जो शुद्ध तरीका विश्वविद्यालय में रखा गया है, यह बड़ा अनुचित है।

मान्यवर, चांसलर का जो नामिनी होगा वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका पर्सनल डिसक्रीशन तो कुछ काम में आता नहीं है। आपको आश्चर्य होगा मान्यवर, हमें तो नहीं है कि पिछली बार सरकार ने शुद्ध झूठ का बयान दिया था। उस समय के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि सरकार की ओर से वाइस-चांसलर के अप्वाइंटमेंट में कोई सलाह नहीं दी गई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह शुद्ध झूठ था.....

श्री उपाध्यक्ष—झूंठ शब्द आप वापस लीजिये। 'गलत' शब्द कहिये।

श्री गौरीशंकर राय—अच्छा 'गलत' समझ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—पहले झूंठ शब्द वापस लीजिये।

श्री गौरीशंकरराय—अच्छा श्रीमन्, वापस हो गया, लेकिन बड़ा गलत था और शर्मिन्दगी लायक गलत था। अब जो प्रणाली रखी जा रही है उसमें वह वाइस-चांसलर का मनोनीत होगा, मिनिस्टर का मनोनीत होगा, वह पार्टीबाजी में दक्ष होगा। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी पार्टी बाजी को मजबूत करने के लिये विश्वविद्यालयों में षड़यन्त्र न करें और शिक्षा मंदिरों और विश्वविद्यालयों को कलंकित न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन इस लिये भी लाया गया है कि सारे विधेयक की रीढ़ है दफा ७, इसके अन्दर सरकार तीन सयानों को मुकर्रर करती है और यही तीन सयाने आपस में इस तरह से मिले जुले होंगे कि ये सरकार की इच्छा को ही पूरा करेंगे। आप देखें कि एक चयन कमेटी बनायी गयी है जिसका सरकार ने समर्थन किया और बहुत सी बातें उसके समर्थन में कहीं। विरोधी पक्ष से कहा गया कि यह जो नयी चीज ला रहे हैं, यह और कहीं नहीं है, और हमें ग्राह्य नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने प्रवर समिति के प्रस्ताव के समय में कहा था कि बहुत से सुझाव जो सदन की तरफ से बार-बार दिये गये हैं, उनको वह संशोधनों के रूप में मानने को तैयार हैं। उन्होंने इशारा भी किया था कि कुछ हम संशोधन मानेंगे। जैसे उन्होंने डाइरेक्टरआफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज और डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के बारे में कहा था अगर उनको हटानेका संशोधन लाया जाय तो वह स्वीकार कर लेंगे। इस समय संशोधनों पर ज्यादा विवाद न हो सका आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि इसके बाद गिलोटीन हो जायगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस विधेयक को यहां ला कर हम लोगों की राय लेने का क्या मतलब है? क्या मैं यह मानूं कि वह मक्षिका स्थाने मक्षिका, बिल्कुल बिन्दु का बिन्दु, कामा, फुल-स्टाप वैसा का वैसा ही रखना चाहते हैं वैसा कि मूल रूप से विधेयक में है? अगर ऐसा है तो हम लोगों का यह सारा विवाद और इस बार जो तीन चार दिन विवाद हुआ वह सब बेकार गया। चाहे जितनी भी राय हम दें, लेकिन इस सरकार के जूं तक नहीं रेंगती। जो सारे विधेयक की रीढ़ हैं, जिसके बल पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है, जिस संशोधन का इस मंत्रिमंडल ने बड़ा ढोल पीटा था, मंत्रिमंडल ने आते ही कहा कि विश्वविद्यालय में सुधार करेंगे और सबसे बड़ी बात यह करेंगे कि एलेक्शन का तरीका हटा कर नामिनेशन का तरीका रखेंगे। जब हमने विधेयक में भीतर जा कर देखा तो बड़ी पोल दिखायी पड़ी और मालूम पड़ा कि एक नये प्रकार की डिक्टेटरशिप बन रही है। क्या इतना ही सरकार के पास है जिसको लेकर सुधार के रूप में नयी बात वह ला रही है? खैर, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सदन में अनेक राएं दी गईं, क्या किसी भी अंश में सरकार ने उनको स्वीकार किया? विरोधी पक्ष की तरफ से ही नहीं सरकारी पक्ष की तरफ से भी जो बातें कही गयीं उनको भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। इससे मालूम पड़ता है कि सरकार किसी भी अपनी बात पर पुनर्विचार नहीं करना चाहती है। यह जो विधेयक की आधारशिला है चयन कमेटी में इसका दृढ़ता से विरोध करता हूं। सरकार इसके द्वारा एक नयी परिपाटी डालना चाहती है, जो किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। अगर वह कहें कि हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसको अनुभव करके देखा है तो उसका उल्टा परिणाम निकला है। अभी माननीय सदस्य गौरीशंकर राय जी ने बताया कि वहां का कटु अनुभव यह बताता है कि वह रास्ता कोई अच्छा नहीं है। ऐसी हालत में आज चयन प्रणाली पर सरकार क्यों जोर डालना चाहती है और उसमें भी आप देखें कि एक साधारण सा संशोधन जो माननीय नवलकिशोर जी रखना चाहते थे कि जज स्वयं या अपना नामिनी उसमें रखें, तो वह भी उन्हें वापस लेना पड़ा। इससे यह मालूम पड़ता है कि सरकार की इस जिद के ऊपर कोई भी उनकी पार्टी का आदमी भी उनको समझा नहीं सकता। उनकी पार्टी में भी इस बारे में काफी विभेद है, यह मुझे मालूम है। उसमें दो किस्म की रायें हैं, लेकिन वहां भी जो एक थोड़ा बहुमत का दल है वह अल्पमत वाले दल को दबाना चाहता है। तो वहां दल में भी अपने बहुमत से सरकार अल्पमत को दबा रही है और यहां सदन में भी अपने बहुमत से अल्पमत को दबा रही है, यह दोनों बातें साफ जाहिर हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर वह यह काम करते रहे तो यह सब चन्दरोजा रहेंगे। इनका दिन अब आ गया है और यह विश्वविद्यालय बिल कहीं ऐसा न हो कि उनकी श्वास क्रिया की अन्तिम श्वास हो। इसलिये सरकार जरा सोचकर देखेकि यह जो संशोधन है यह एक कटुता

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

लाने की बात है और यह एक निरंकुश शासन लाने की बात है। एक जज बैठाकर आप यह दिखलाना चाहते हैं कि आप न्याय से काम कर रहे हैं, लेकिन जज अकेला क्या करेगा? जबकि एक कुलपति का व्यक्ति होगा और एक दूसरा आउटसाइडर भी वहां होगा। तो इन तीन के बीच में सिवाय इसके कि कुलपति की राय ही प्रिवेल करे और कुछ नहीं हो सकता। उसी को कन्वीनर भी बनाया गया है जो कि कुलपति का नामिनी है। इससे भी वही बात साबित होती है। तो आप कुलपति के द्वारा सारी चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हम आपकी मंशा को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद यह जाहिर हो जायगा कि एक अजब ढंग की सरकार आप चलाना चाहते हैं। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री गौरीशंकर राय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जरा पांच मिनट मुझे दे दिया जाय, मैं अब तक इस पर नहीं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। चार भाषण इस पर हो चुके हैं। और अब आपकी रिक्वेस्ट हो गई, सदन उस पर राय देगा।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को बड़े गौर से सुना। यह खुशी की बात है कि एक भी विरोध में नहीं आया। इससे यह मालूम होता है कि जो व्यवस्था सरकार इस संशोधन के द्वारा करना चाहती है उसका समर्थन इस माननीय सदन के सदस्य किसी भी हालत में करने के लिये तैयार नहीं है। कोई भी तब्दीली ले आये मौजूदा व्यवस्था में उसके पीछे यह उद्देश्य होता है कि उस मौजूदा व्यवस्था में तब्दीली अच्छे के लिये होनी चाहिये, लेकिन मुझे बहुत ही निराशा और दुख होता है कि इस संशोधन के द्वारा विश्वविद्यालयों का भविष्य और शिक्षा का वातावरण माननीय मंत्री जी दूषित करने जा रहे हैं। इस नई पद्धति के द्वारा जितनी शिकायतें हैं उनका निराकरण हो जायगा इसमें मुझे सन्देह है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम पिछले प्रबन्ध और तरीके को बुरा समझते हों तो हमारी कोशिश इस बात के लिये होनी चाहिये कि जो नया तरीका हम अपनायें वह अच्छा हो।

मान्यवर, पिछला तरीका वाइस-चान्सलर के चयन का दोषपूर्ण रहा है और उसमें काफी नुक्स रहे हैं जिसकी वजह से विश्वविद्यालयों की मौजूदा दुर्व्यवस्था है और वहां का वातावरण दूषित है। आज व्यवस्था यह हो रही है कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी के ऊपर बराबर हमले होते हैं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस तरह से नामजद करने से काम चलने वाला नहीं है। माननीय सदस्य फैजाबाद ने ठीक ही कहा था कि आप जो यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट देते हैं उसकी वजह से रोजमर्रा के काम में बराबर उसके अन्दर चाहे चपरासी की नियुक्ति हो, चाहे प्रोफेसर की नियुक्ति हो, चाहे वाइस-चांसलर की नियुक्ति हो, चाहे एक्जीक्यूटिव कौंसिल में प्रतिनिधित्व का सवाल हो, हर चीज में सरकार दिलचस्पी रखे तथा हस्तक्षेप करे, उचित नहीं है। यह विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात है। इस चयन पद्धति द्वारा सरकार बहुत बड़ा हमला उस पर कर रही है इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। पुरानी पद्धति जिस प्रकार से दोषपूर्ण रही है और जिस प्रकार का उससे वातावरण वहां पर पैदा हुआ मैं उसको कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर इतना ही कह सकता हूं कि विश्वविद्यालयों के अन्दर भूत-पूर्व मंत्रिमंडल के लोग और मौजूदा सरकार के लोग जिस कदर दिलचस्पी रखते हैं वहां की राज-नीति के अन्दर उसकी वजह से ही दूषित वातावरण वहां पर उत्पन्न हो गया है। वहां पर शिक्षा का

वातावरण नहीं रह गया है । वहां पर गुंडागिरी का वातावरण पैदा हो गया है । हमारी बहनें जो वहां पर पढ़ती हैं उनके साथ छेड़खानी की जाती है । इस तरह की बातें वहां पर की जाती हैं जिसको कहने में मुझे यहां पर शर्म मालूम होती है । बाहर के आदमी विश्वविद्यालयों में जब भेज दिये जाते हैं तो वे अपने को वहां पर पावरलैस महसूस करते हैं । वहां की स्थिति पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है । सरकार इस तरह से जब वहां पर हस्तक्षेप करती है तो उससे वहां का वातावरण दूषित होता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाती तौर पर वहां की जांच कीजिये कि वहां की क्या दशा है । मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि पिछले एक सप्ताह के अन्दर ऐसी वारदात विश्वविद्यालय के अन्दर हुई हैं जिनको कहने में मुझे शर्म आती है । एक भाई अपनी बहन को छोड़ने जाते हैं । उनकी बहन के साथ छेड़-खानी की जाती है और जब वह कुछ कहते हैं तो पीटे जाते हैं । इस तरह की स्थिति वहां पर है । वाइस-चान्सलर के चयन की जो नई पद्धति विश्वविद्यालय के अन्दर सरकार लाना चाहती है उससे विश्वविद्यालय का कल्याण नहीं हो सकता है और जो दोष वहां पर विद्यमान हैं वह दूर नहीं हो सकते हैं । मैं एक बात निवेदन यह करना चाहता हूं कि पार्टीबन्दी और वहां की दुर्व्यवस्था को खत्म करने के लिये एक उपाय है । कोई संशोधन की जरूरत नहीं, कोई इस तरह से कानून में परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं, केवल कसम खा लें माननीय मंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के लोग और विरोधी दल के लोग कि हम यूनिवर्सिटी के शिक्षण के वातावरण में, यूनिवर्सिटी की राजनीति में जरा भी दलबन्दी और गुटबन्दी नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी पर हावी होने के लिये नापाक कोशिश नहीं करेंगे, तब जाकर यूनिवर्सिटी में सही तरीके का शिक्षण का वातावरण पैदा हो सकेगा ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुझे श्रीवास्तव जी का संशोधन स्वीकार नहीं है । मुझे दुख है कि मैं उनकी कुछ सहायता नहीं कर सका । उनका तर्क मेरी समझ में नहीं आया कि जो उन्होंने चांसलर का जिक्र किया कि उसे पूरा अधिकार होगा और उसका नाता काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स से होता है । इस संबंध में मैं उनसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो संविधान की स्थिति आज है वही साल भर पहले भी थी । पहले भी चांसलर ही चयन करता था जो नाम एक्जीक्यूटिव काउन्सिल भेजती थी उन में से । जैसा नाता उसका उस समय था, वैसा ही आज भी है । आज केवल यह कह दिया गया है कि जो नाम भेजे जायेंगे वह एक दूसरी कमेटी के द्वारा भेजे जायेंगे । मेरी समझ में यह नहीं आया कि अगर चांसलर का नाता काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स से है तो उस से इसमें क्या फर्क पड़ता है । जहां तक इस विषय का संबंध है, कुछ गवर्नमेंट-फोबिया सा मालूम होता है विरोधी दलों के सदस्यों पर । उनको यह मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट का भूत सामने आ गया है । यह मेरी समझ में नहीं आया कि अगर एग्जीक्यू-टिव काउन्सिल नाम भेजती है तो उस में तो सरकार का हाथ नहीं है लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव काउन्सिल एक आदमी उस कमेटी में भेजती है तो उनका सेलेक्शन करेगी, और उस कमेटी में तीन आदमी होंगे, तो उसमें गवर्नमेंट का भूत सामने आ जाता है । उस में एक चांसलर का नामिनी है । मान लिया कि उसमें गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को एग्जी-क्यूटिव चुन कर भेजेगी, उसका गवर्नमेंट से क्या संबंध हो सकता है ? माननीय श्रीवास्तव जी, शाह साहब आदि सभी ने यह बात कही, लेकिन मेरी समझ में यह तर्क नहीं आया ।

मैं स्पष्ट कर दूं, रुपये के अनुदान देने के ही एक कारण से यह बिल यहां नहीं लाया गया है । इसकी जिम्मेदारी विरोधी दल के बहुत से वक्ताओं पर भी है । अगर विधान सभा की पुरानी स्पीचेज देखी जायं और आज की स्पीचेज को देखा जाय, माननीय गौरीशंकर राय, राजा साहब फैजाबाद और माननीय श्रीवास्तव साहब, सभी कहते हैं, कि विश्वविद्यालय का वातावरण शान्ति-मय नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि इस बिल को ला कर हम वहां का वातावरण शान्त कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां एक परेशानी है । अभी एक विषय स्टेटस का भी उठा दिया गया और उस विषय में भी चर्चा हो गई । हमारी आंखें भी खुली हैं । सरकार आंख कान, बन्द करके नहीं बैठ सकती है । जो अव्यवस्था है वहां उसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसकी भी हमारी जिम्मेदारी है कि वहां अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को मिले । इस के लिये

[श्री रामस्वरूप यादव]

ही यह विधेयक लाया गया है और हम विरोधी दल की मांग को मान कर ही यह सुधार वहां कर रहे हैं । हम खास तौर से इसमें शिक्षा विशारदों को लाना चाहते हैं और इसकी पूर्ति समय पर होगी। कुछ इंतजार हर काम के लिये करना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (४) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब सवा चार बज चुके हैं और अब मैं सब संशोधनों पर केवल राय ले लेता हूं ।

श्री सुरथबहादुरशाह---अभी सवा चार नहीं बजे हैं ।

श्री अध्यक्ष---एक मिनट बाकी है ।

श्री राजनारायण---इस एक मिनट में तो मैं बोल लेता ।

श्री सुरथबहादुरशाह---आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना संशोधन पेश कर दूं ।

श्री अध्यक्ष---आपका नाम भी इसमें है । ठीक है, पेश कीजिये ।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (५) के भाग (i) के अंत के शब्द तथा अंक "and (4)" निकाल दिये जायं तथा (ii) में शब्द "any suitable person to the office of Vice-Chancellor" के स्थान पर शब्द "The senior most professor in the list" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (५) के भाग (i) के अंत के शब्द तथा अंक "and (4)" निकाल दिये जायं तथा (ii) में शब्द "any suitable person to the office of Vice Chancellor" के स्थान पर शब्द "the senior most professor in the list" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (६) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (७) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (८) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :
" provided that the term of a Vice-Chancellor shall not be extended after the prescribed period."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(४) धारा १७ में उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय और"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (४) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १७ की उपधारा (१) की मद (ii-a) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (४) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

(४) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ में --

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९ का संशोधन

(१) धारा २ में --

(१) खंड (ए) के पश्चात् नये खंड (एएए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायं :--

"(*aaa*) "Constituent College" means an institution maintained by the University or by the State Government and authorized to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University." ;

(२) खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(*f*) "Principal" means the head of a college, an Associated College or a Constituent College, as the case may be.';'

(३) खंड (जीजी) में शब्द "in the University" तथा शब्द "for taking a course" के बीच में शब्द "or a Constituent College" रख दिये जायं ;

(४) खंड (एच) में शब्द "an Associated College" तथा शब्द "or a hostel" के बीच में कामा तथा शब्द, "a Constituent College" रख दिये जायं; और

(५) खंड (आई) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(i) "Teacher of the University" means a person appointed and paid by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research in the University, or a Constituent College maintained by the University" ;

(२) धारा ५ में —

(१) खंड (२) के उपखंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*a*) shall have pursued a course of study in the University, a Constituent College or an Associated College, or carried on research in the University, an Associated College or a Constituent College under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or" ; और

(२) खंड (११) में शब्द "and manage" तथा शब्द "colleges" के बीच में शब्द तथा कामा "Constituent Colleges" रख दिये जायं ।

(३) धारा ७ में :—

(१) उपधारा (१) में शब्द "by the University" तथा शब्द "or in an Associated College" के बीच में शब्द "or in a Constituent College" रख दिये जायं, और

(२) धारा ७ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"Teaching given by the teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instructions given in the University or under the authority of the University in a College, a Constituent College maintained by the University or a Hostel. Teaching given by the teachers of an Associated College or a Constituent College maintained by the State Government shall be supplemented by tutorial and other supplementary instructions given in the Associated or such Constituent College, or in a residential unit attached to an Associated or such Constituent College, or in the University, under an arrangement between such Associated or Constituent College and the University."

(४) धारा ८ की उपधारा (१) के अंत में आये हुये शब्द " or an Associated College" के स्थान पर कामा तथा शब्द "an Associated College or a Constituent College" रख दिये जायं;

The Vice-Chancellor

(५) धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (4).

(2) The Vice-Chancellor shall, except as otherwise provided, hold office for a period of three years but may relinquish office by resignation in writing addressed to the Chancellor. The resignation shall ordinarily be delivered to the Chancellor sixty days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be such as are, or may be, prescribed by Statutes.

(4) (i) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of three persons namely—

(*a*) one person, not being a person who is connected with the University, a College, an Associated College, a Constituent College or a Hostel, to be elected by the Executive Council ;

(*b*) another person, who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad to be nominated by the Chief Justice of that High Court ; and

(*c*) a third person to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convener of the Committee.

(ii) The Committee shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (2), and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons, but shall not indicate any order of preference.

(5) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reasons of leave, or any cause, other than resignation or expiry of term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacancy is or is likely to last for a period exceeding six months, take steps for the appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4) ;

(ii) in case the vacancy is for a period of six months or less, appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the Chancellor may, in any case of emergency, of which the Chancellor shall be the sole judge, and in any case where the vacancy cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4) ; appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor;

Provided that no appointment under this sub-section shall be made for a period of more than six months ;

Provided further that the appointment so made shall determine on appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

Explanation—A vacancy in the office of Vice-Chancellor caused under section 8 of the U. P. Universities Act, 1961, shall also be deemed to be an emergency for the purposes of this section.

(7) Where an appointment is made under sub-section (6), the Chancellor shall, as soon as may be, take steps for the appointment of a Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

(8) Till such time as an appointment is made by the Chancellor under sub-section (5) or sub-section (6), the Registrar shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor but he shall not preside at any meeting of the University Authorities."

Removal of Vice-Chancellor.

(६) धारा ११ के पश्चात् नई धारा ११–ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"11-A. Notwithstanding anything contained in section 11, the Chancellor may, at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds—

(*a*) that he has become insane ;

(*b*) that he is an undischarged insolvent ; or

(*c*) that he has been convicted of any offence involving moral turpitude ;

and his term of office shall thereupon determine." ;

(७) धारा १३ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

"(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties of the Treasurer shall be such as may be prescribed by Statutes." ;

(८) धारा १७ की उपधारा (१) में

(१) मद (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(viii) all Principals of Colleges, Associated Colleges and Constituent Colleges," ;

(२) मद (ix) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ix) all Heads of Departments of teaching in the University or in a Constituent College and all Professors of the University or a Constituent College who are not Heads of Departments,";

(३) मद (१२) में शब्द "University" तथा तत्पश्चात् आये हुये कामा के बीच में शब्द "or a constituent College" रख दिये जायं;

(४) मद (१४) में शब्द " the University " तथा शब्द "donations" के बीच में शब्द "or a Constituent College" रख दिये जायं;

(५) मद (१७) में शब्द तथा कामा "a College," तथा शब्द "an Associated College" के बीच में शब्द तथा कामा "a Constituent College," रख दिये जायं;

(६) मद (१९) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय :–

"*Explanation*—In this item, the expression 'teachers of the University' shall include teachers of a Constituent College maintained by the State Government." ;

(७) मद (२०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(xx) not more than seven persons to be appointed by the Chancellor, one of whom shall be member of the management of an associated college imparting instruction in Engineering, and another who is member of the managements of any of the other Associated Colleges."

(९) धारा २० की उपधारा (१) में :—

(१) मद (ii) के पश्चात् नई मद (ii-ए) तथा (ii-बी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायं :—

"(ii-*a*) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

"(ii-*b*) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh" ;

(२) मद (iv)के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(iv) two Principals of Colleges or Associated Colleges, one of whom being the Principal of an Engineering College, and the other taking office by rotation according to seniority." ;

(३) मद (iv) के पश्चात् नई मद (iv-ए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(iv-*a*) One Principal of a Constituent College who is not otherwise a member of the Council, to be appointed in such manner, by such authority and for such term, as may be prescribed by Statutes.";

(४) मद (vii) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय:—

"*Explanation*—In this item the expression 'teachers of the University' shall include teachers of a Constituent College maintained by the State Government."

(५) मद (viii) में शब्द तथा कामा "a College," और शब्द "an Associated College" के बीच शब्द तथा कामा "a Constituent College," रख दिये जायं; और

(६) इसका प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण निकाल दिये जायं;

(१०) धारा २३ की उपधारा (१) की मद (iii) में शब्द तथा कामा "a College," तथा शब्द 'an Associated College" के बीच में शब्द तथा कामा "a Constituent College," रख दिये जायं;

(११) धारा ३० के खंड (सी) में शब्द "Colleges" तथा शब्द "and hostels" के बीच में कामा तथा शब्द, "Constituent Colleges" रख दि जायं।

(१२) धारा ३२ की उपधारा (२) के खंड (ए) में शब्द "the University" और शब्द "and their enrolment" के बीच में शब्द "and a Constituent College" रख दिये जायं;

(१३) धारा ३६-ए में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "and shall not exceed four in number' निकाल दिये जायं; और

(२) उपधारा (३) में शब्द "Associated College" और शब्द "shall be authorized" के बीच में शब्द "other than one imparting instruction in engineering, technology or Agriculture" रख दिये जायं;

(१४) धारा ३६–ए के पश्चात् नई धारा ३६–ए ए के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Constituent College

"36-AA (1) Constituent Colleges shall be such as may be named by Statutes.

(2) The Principal of a Constituent College shall be responsible for the maintenance of discipline amongst students enrolled in that College. He shall also have general control over the ministerial and inferior staff of that College, and shall exercise such other powers as may be prescribed by Statutes." ;

(१५) धारा ३७ की उपधारा (४) में शब्द "the University" तथा शब्द "or an Associated College" के बीच में कामा तथा शब्द ", a Constituent College" रख दिये जायं; और

(१६) धारा ३८ की उपधारा (३) में शब्द तथा कामा "in the University," और शब्द "an Associated College" के बीच में कामा तथा शब्द ", a Constituent College" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"The Vice-Chancellor shall be a wholetime Officer of the University and shall be the senior most professor to be appointed by the Chancellor ;

Provided that in case the senior most professor is not agreeable to such appointment the person next on the list shall be so appointed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (४) के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (१) की पंक्ति दो में शब्द "appointed" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द तथा अंक "sub-section (4)" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "elected by the majority of the court" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (२) की द्वितीय पंक्ति के शब्द "three" के स्थान पर शब्द "five" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।)—

पक्ष में—१९,
विपक्ष में—७६ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "years" तथा शब्द "but" के बीच में शब्द "and shall not continue as a Vice-Chancellor for more than two terms continuously." रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (४) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (५) के भाग (i) की अन्तिम पंक्ति के शब्द तथा अंक "and (4)" निकाल दिये जायें तथा भाग (ii) की दूसरी पंक्ति के शब्द "any suitable person" के स्थान पर शब्द "the Senior most professor in the list" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (६) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी जो यह अस्वीकृत किया गया कि दफा ६ निकाल दी जाय, यानी रखी जाय और ठीक इसी प्रकार का सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिये अलग अलग सरकार की नीति है ?

श्री अध्यक्ष—यह अस्वीकृत हुआ है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—१७ नम्बर का संशोधन वही है जो उन्होंने १० नम्बर का स्वीकार अभी किया ।

श्री रामस्वरूप यादव—१० और २० मिलता है । २० को हम स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई गड़बड़ी है तो सरकार जिम्मेदार है । फिर ले आवेंगे ।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (७) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (८) की दूसरी पंक्ति के शब्द तथा अंक "sub-section (5) or sub-section(6)" के स्थान पर "sub-section (1)" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (६) को निकाल दिया जाय ।

श्री रामस्वरूप यादव—यह स्वीकार है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (९) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २० की उपधारा (१) की मद (ii-A) तथा (ii-B) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (९).....

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, नीचे लिखा है कि यह अस्पष्ट है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—नवलकिशोर जी सदन में नहीं हैं और न किसी को कह गये हैं तो यह कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—वह शायद स्वीकार कर रहे हैं, तो हो सकता है।

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। मैं इसे साफ कर दूं। प्रस्तावित विधेयक में यह था कि डाइरेक्टर आफ मेडिकल-हैल्थ और एजूकेशन भी सदस्य होंगे। उसके २ हिस्से हैं। २—क को तो हम स्वीकार करते हैं। दूसरे में यह था कि २ बार का हुआ मेम्बर नहीं हो सकेगा।

तो श्रीमन् उसका वह भाग कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन और डायरेक्टर आफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज उसके मेम्बर रहेंगे, यह हिस्सा निकाल दिया जाय। और उसके बाद जो पुराने अधिनियम में चला आ रहा था कि दो टर्म से ज्यादा एक्जीक्यूटिव का मेम्बर नहीं होगा वह बदस्तूर उसमें कायम रहेगा।

श्री अध्यक्ष—क्या आपका मतलब यह है कि इसमें जो खंड ९ इस प्रकार दिया हुआ कि—

"धारा २० की उपधारा (१) में

(१) मद (ii) के पश्चात नयी मद (ii ए) तथा (ii बी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायं —

"(ii-A) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

(ii-b)—The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh" ;

यानी आप इस पूरे को इसके द्वारा निकाल देना चाहते हैं।...

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तब तो यह स्पष्ट हो गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—हमारा जो स्पष्ट प्रस्ताव इसी के ऊपर है उसको तो सरकार नामंजूर कर रही है, लेकिन जो अस्पष्ट प्रस्ताव नवलकिशोर जी का है उसको मंजूर कर रही है।

दूसरी बात सरकार यह कहती है कि जितने भाग को वह पसंद नहीं करती है उसको तो हटा दिया जाय, लेकिन शेष को वह रखना चाहती है, यह कैसे हो सकता है ? वे दो टर्म वाले प्रतिबंध को किस प्रकार से रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। जो भी चीज निकल जायगी उसके बाद जो धारा रहेगी वह रहेगी।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या दो टर्म वाला प्रतिबंध भी इसके साथ हटाया जायगा या वह कायम रहेगा।

श्री अध्यक्ष---उसका इससे कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (९) में मद (१) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मेरी आपत्ति यह है कि जब प्रस्तावक महोदय उपस्थित ही नहीं हैं तो उनका प्रस्ताव प्रस्तुत कैसे माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष---मेरी इजाजत से उनकी तरफ से खुद प्रस्ताव मूव कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अगर आपने स्पेशल इजाजत दे दी हो तो बात दूसरी है, लेकिन प्रस्तावक महोदय उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने उनको इजाजत दे दी है कि वे मूव कर सकते हैं अगर श्री नवकिशोर जी नहीं हैं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन् संशोधन नं० २१ और २१-क में क्या फर्क है इसे तो बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (९) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २० की उपधारा (६) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५---गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ में--- उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ का संशोधन

(१) धारा २ में खंड (क) के पश्चात् नये खंड (कक) तथा (ककक) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायः-

"(कक) स्वायत्त कालेज (Autonomous College) का तात्पर्य धारा ३४-क की उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में घोषित सम्बद्ध कालेज से है;

(ककक) "कर्मकार कालेज '(Working Men's College)' का तात्पर्य धारा ३४-क की उपधारा (२) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात संबद्ध कालेज से है";

(२) धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः-

उपकुलपति

१३---(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (whole-time) पदाधिकारी होगा और कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति कुलपति को प्रस्तुत करे।

(२) उप-कुलपति, सिवाय उस दशा के जब अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, तीन वर्ष के लिये पदासीन रहेगा किन्तु कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से, जबसे उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में नियत हैं या परिनियमों द्वारा नियत की जायं।

(४) (१) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात् --

(क) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय, घटक कालेज (Constitueut College), सम्बद्ध कालेज, हाल या छात्रावास से संबद्ध (connected) न हो, कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्वाचित किया जायगा।

(ख) दूसरा व्यक्ति, जो उच्च-संन्यायालय (High Court of Judicature) इलाहाबाद,का न्यायाधिपति हो या न्यायाधिपति रहा हो, उक्त उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक (Convener) भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) समिति, उस दिनांक से, जब कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने या उपधारा (२) के अधीन उसके त्याग-पत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासंभव कम से कम तीस दिन पूर्व,और जब कभी कुलपति ऐसी उपेक्षा करे तब भी ,कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उप कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त हों। समिति, नाम प्रस्तुत करते समय, कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दी जायंगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम (Order of preference) प्रकट न करेगी।

(५) यदि उप-कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की सम्भावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुल पति को देगा, जो--

(१) उस दशा में, जब उक्त रिक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये हो या होने की सम्भावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा;

(२) उस दशा में, जब रिक्ति छः मास या उससे कम अवधि के लिये हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति के पद पर नियुक्ति करेगा।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी ,कुलपति, किसी आपात (emergency) की दशा में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा, और किसी भी ऐसे दशा में जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा पूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः मास स अधिक अवधि के लिए न की जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति ,उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति हो जाने पर, समाप्त हो जायगी ।

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उप-कुलपति के पद की रिक्ति इस धारा के प्रयोजन के लिये आपात समझी जायगी । उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या, १९६१

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा ।

(८) उस समय तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उप-धारा (६) के अधीन उप-कुलपति की नियुक्ति न कर दे, रजिस्ट्रार उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय-प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा ।"

(३) धारा १३ के पश्चात् नई धारा १३—क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"१३—क—धारा १३ में किसी बात के होते हुये भी, कुलपति, किसी भी समय, उप-कुलपति को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक से हटा सकता है, अर्थात— उप-कुलपति को हटाना

(क) वह उन्मत्त हो गया है;

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; या

(ग) वह नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया है ;

और तदपुरान्त उसका कार्यकाल समाप्त हो जायगा ;"

(४) धारा १५ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) कोषाध्यक्ष के त्याग-पत्र,उसकी सेवा की शर्तें, उसके पद में अस्थाई रिक्तियों की पूर्ति तथा उसके साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन के प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्थायें वही होंगी जो परिनियमों द्वारा नियत की जायं"

(५) धारा २० में —

(१) उपधारा (१) की मद (२) के पश्चात् नई मद (२-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(२-क) शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश"; और (२) उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय; तथा

(६) धारा ३४ के पश्चात् नई धारा ३४—क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"३४—क(१) विश्वविद्यालय के लिये यह वैध होगा कि वह किसी सम्बद्ध कालेज को, जो परिनियमों द्वारा इस संबंध में नियत शर्तों को पूरा करे, ऐसे कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये, उन पाठ्यक्रमों में जो विश्वविद्यालयों द्वारा नियत किये गये हों परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषा-

धिकार प्रदान करे। ऐसे कालेज द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायगी। ऐसा कालेज परिनियमों द्वारा नियत रीति से "स्वायत्त कालेज" घोषित किया जायगा।

(२) परिनियमों द्वारा नियत शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय, ऐसे व्यक्तियों के लिये उपाधि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, (जो ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये अन्यथा पात्र हों) जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि, या उद्योग में लगे रहने अथवा अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थियों के रूप में अपना नाम लिखाने में असमर्थ हों, किसी सबद्ध कालेज को "कर्मकार कालेज" के रूप में अभिज्ञात कर सकता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम की अवधि, उस पाठ्यक्रम के लिये नियत अवधि की डेढ़ गुनी से कम न होगी। ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन पृथक रूप से किया जायगा।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) की दूसरी पंक्ति के शब्द 'और' से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द "प्रस्तुत करे" तक के शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "और कोर्ट द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "रहेगा" तथा शब्द "किन्तु" के बीच में शब्द "और अपने पद पर २ बार से अधिक लगातार नहीं चुना जावेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (४) (१) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"उच्च संन्यायालय इलाहाबाद (High Court of Judicature at Allahabad.) का मुख्य न्यायाधिपति या उसका ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति हो या रहा हो, और"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (४) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(५) धारा २० में उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय तथा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० में —

यू० पी० ऐक्ट सं० ५, १९२० का संशोधन।

(१) धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

The Vice-Chancellor

"10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (4).

(2) The Vice-Chancellor shall, except as otherwise provided, hold office for a period of three years but may relinquish office by resignatoin in writing addressed to the Chancellor. The resignation shall ordinarily be delivered to the Chancellor sixty days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are, or may be, prescribed by Statutes.

(4) (i) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of three persons, namely—

(*a*) one person, not being a person who is connected with the University, a Constituent College, an Associated College or a Hall, to be elected by the Executive Council ;

(*b*) another person, who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad, to be nominated by the Chief Justice of that High Court ; and

(*c*) a third person, to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convener of the Committee.

(ii) The Committee shall, as far as may be, at least 30 days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (2), and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons, but shall not indicate any order of preference.

(5) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave, or any cause, other than resignation or expiry of term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacancy is or is likely to last for a period exceeding six months, take steps for the appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (1) and (4) ;

(ii) in case the vacancy is for a period of six months or less, appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the Chancellor may, in any case of emergency, of which the Chancellor shall be the sole judge, and in any case where the vacancy cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4), appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor ;

Provided that no appointment under this sub-section shall be made for a period of more than six months.

Provided further that the appointment so made shall determine on appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4) ;

U. P. Act of 1961,

Explanation:—A vacancy in the office of Vice-Chancellor caused under section 8 of the U. P. Universities Act, 1961, shall also be deemed to be an emergency for the purpose of this section.

(7) Where an appointment is made under sub-section (6), the Chancellor shall, as soon as may be, take steps for the appointment of a Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

(8) Till such time as an appointment is made by the Chancellor under sub-section (5) or sub-section (6), the Registrar shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor but he shall not preside at any meeting of the University Authorities." ;

(२) धारा १० के पश्चात् नई धारा १०–ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय––

Removal of Vice-Chancellor

"10-A. Notwithstanding anything contained in section 10, the Chancellor may, at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds :

(*a*) that he has become insane ;

(*b*) that he is an undischarged insolvant ; or

(*c*) that he hs been convicted of any offence involving moral turpitude ;

and his term of office shall thereupon determine" ;

(३) धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties of the Treasurer, shall be such as may be prescribed by Statutes ;" और

(४) धारा १९ की उपधारा (१) में —

(१) मद (ii) के पश्चात् नई मद (ii-ए) तथा (ii-बी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"('ii-a) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

(ii-b) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh" ; और

(२) उसका प्रतिबन्धात्मक खंड और स्पष्टीकरण जो मद (ix) के पश्चात् हैं, निकाल दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"The Vice-Chancellor shall be a wholetime officer of the University and shall be the senior most professor to be appointed by the Chancellor ;

Provided that in case the senior most professor is not agreeable to such an appointment, the person next on the list shall be so appointed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "three" के स्थान पर शबद "five" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (४) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (५) के भाग (i) की अन्तिम पंक्ति के शब्द तथा अंक "and (4)" निकाल दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (५) के भाग (ii) की दूसरी तथा अन्तिम पंक्ति के शब्द "any suitable person to the office of the Vice-Chancellor" के स्थान पर शब्द "the Senior most professor on the list" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (५) के भाग (ii) में शब्द "Vice-Chancellor" के बाद शब्द "for the duration of the vacancy" रख दिय जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (६) की दूसरी, तीसरी, तथा चौथी पंक्ति के शब्द 'in any case of emergency of which the Chancellor shall be the sole Judge, and" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (६) के पहले प्रतिबन्ध की अन्तिम पंक्ति के शब्द "six months" के स्थान पर शब्द "three months" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (६) का explanation निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (६) तथा (७) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(४) धारा १९ की उपधारा (१) में उसका प्रतिबन्धात्मक खंड और स्पष्टीकरण जो मद (ix) के पश्चात् है, निकाल दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (१) की मद (ii-a) तथा (ii-b) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९ की मद (ii) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

७—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६—

१ धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६ का संशोधन

उपकुलपति

"१२-(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (Whole time) पदाधिकारी होगा और कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा । जिनके नाम उपधारा (४) के उपबंन्धों के अनुसार संघटित समिति कुलपति को प्रस्तुत करे ।

(२) उप-कुलपति, सिवाय उस दशा के जब अन्यथा व्यवस्था की गई हो, तीन वर्ष के लिये पदासीन रहेगा, किन्तु कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद-त्याग कर सकता है । सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से, जब से उप-कुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा ।

(३) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में नियत हैं या परिनियमों द्वारा नियत की जायं ।

(४) (१) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय (Affiliated College) या छात्रावास से सम्बद्ध (connected) न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(ख) दूसरा व्यक्ति, जो उच्च संन्यायालय (High Court of Judicature), इलाहाबाद का न्यायाधिपति हो या न्यायाधिपति रहा हो, उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ; और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक (convener) भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा;

(२) समिति, उस दिनांक से, जब उपकुलपति का कार्यकाल समाप्त होने या उपधारा (२) के अधीन उसके त्याग-पत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासम्भव कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे तब भी, कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त हों । समिति, नाम प्रस्तुत करते समय, कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक-अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दी जायंगी, किन्त वह उसमें कोई अधिमान-क्रम (Order of preference) प्रकट न करेगी ।

(५) यदि उप-कुलपति का पद, छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो

जाय या उसके रिक्त होने की सम्भावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो :—

(१) उस दशा में, जब उक्त रिक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये हो या होने की सम्भावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबंधों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा;

(२) उस दशा में जब रिक्ति छः मास या उससे कम अवधि के लिये हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति पद पर नियुक्त करेगा ।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, कुलपति, किसी आपात (emergency) की दशा में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा, और किसी भी ऐसी दशा में, जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबंधों के अनुसार सुविधा- पूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये न की जायगी :

प्रतिबंध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबंधों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति हो जाने पर, समाप्त हो जायगी ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १९६१

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उप-कुलपति के पद की रिक्ति इस धारा के प्रयोजन के लिये आपात समझी जायगी ।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति उपधारा (१) तथा (४) के उपबंधों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा ।

(८) उस समय तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन उप-कुलपति की नियुक्ति न कर दें, प्रस्तोता उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा । किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा ।"

(२) धारा १२ के पश्चात् नई धारा १२—क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

उप-कुलपति को हटाना

"१२—क—धारा १२ में किसी बात के होते हुये भी, कुलपति किसी भी समय, उप-कुलपति को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक से हटा सकता है :—

(क) वह उन्मत्त हो गया है;

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; या

(ग) वह नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया गया है;

और तदुपरान्त उसका कार्यकाल समाप्त हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (४), (१) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"उच्च-संन्यायालय, इलाहाबाद (High Court of Judicature at Allahabad) का मुख्य न्यायाधिपति या उसका ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति हो या रहा हो, और" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (४) के भाग (२) की नवीं तथा अंतिम पंक्ति के शब्द "किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम (Order of Preference) प्रकट न करेगी" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ८

उपकुलपति के कार्यकाल की समाप्ति

८—मूल अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से विश्वविद्यालय के यथास्थिति ऐसे वाइस-चांसलर या उपकुलपति का कार्यकाल, जो उक्त दिनांक के ठीक पहिले उप-कुलपति के पद पर आसीन हो, समाप्त हो जायगा और समाप्त हुआ समझा जायगा और मूल अधिनियम के अधीन उसके पद के कार्यकाल से संबंधित व्यवस्थायें उक्त सीमा तक तदनुसार परिष्कृत की गई समझी जायंगी और तत्पश्चात् इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति एक नया वाइस-चांसलर या उप-कुलपति नियुक्त किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खं० ९, १०, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

संक्रमणीय उपबंध

९—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् किसी भी समय, राज्य सरकार के लिये कोई भी ऐसा कार्य करना वैध होगा, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिये सामान्यतः आवश्यक हो, और जिसके अन्तर्गत कोई भी परिनियम बनाना अथवा उसका संशोधन करना तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रचलन के लिये दिनांकों को निश्चित करना भी है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रदत्त अधिकार का प्रयोग राज्य सरकार, जितनी बार भी अपेक्षित हो, कर सकती है, परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बारह महीनों के पश्चात् नहीं ।

कठिनाइयों को हटाने का आदेश

१०—(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशेष रूप से मूल अधिनियम के उपबंधों से, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के

उपबंधों में संक्रमण (transition) करने से सम्बद्ध कठिनाई को दूर करने के लिये गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा :—

(क) निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम अथवा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम, उस अवधि में, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे अनुकूलन परिष्कार के रूप में किये जायं या परिवर्द्धन अथवा लोप (omission) के रूप में, किन्तु सार (substance) पर प्रभाव न डालते हों, अथवा

(ख) निदेश दे सकती है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को किसके द्वारा और किस रीति से उस समय तक यथा-स्थिति प्रयोग में लाया या निर्वहित किया जायगा जब तक कि धारा ९ के अधीन बने परिनियमों के अनुसार उक्त प्राधिकारियों का गठन न कर लिया जाय; या

(ग) ऐसे अन्य अस्थाई उपबंध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे :

प्रतिबंध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से बारह महीनों के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भी कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा ऐसी किसी कठिनाई को हटाना अपेक्षित नहीं था ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों पर प्रवृत होने वाली विधि का, इसके पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधन करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९,१०,१, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्व-विद्यालय विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Universities Bill, 1961] जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं शुरू में उन व्यक्तियों का नाम, जो आज हमारे देश में एक बड़ी ऐकेडेमिक हैसियत रखते हैं, उनके कुछ खयाल या विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा मतलब माननीय श्री राधाकृष्णनन् जी से है। वह लिखते हैं :

"We cannot preserve real freedom unless we preserve in the University the values of democracy, justice and liberty, equality and fraternity."

अगर हमको जनतांत्रिक प्रणाली और परम्पराओं की रक्षा करनी है तो हमें लाजिम है कि हमें विश्वविद्यालयों में न्याय, आजादी, समानता, और बन्धुत्व की रक्षा करनी पड़ेगी।

माननीय उप-शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में एक शब्द कहा था जो उन्होंने हम लोगों के लिये इस्तेमाल किया था, वह यह कि हम लोगों को गवर्नमेंट का फोबिया हो गया है। फोबिया के माने हैं डर। हमको डर नहीं है लेकिन सेल्फ कंसीटेड लोगों से कंटेम्ट है। जिनको गरूर है और जो अभिमानी हैं उनके प्रति हमको घृणा है। फोबिया इनको होगा, यह जायेंगे इनफेक्शस डिजीजेज हास्पिटल। हमको तो, जो अपने को टिन गाड समझते हैं, जो कंसीटेड हैं, उनके प्रति घृणा है। जिनको इक्वेलिटी और फ्रेटरनिटी का चाव नहीं है, जिन्हें स्वतंत्रता और समानता का चाव नहीं है वह क्या कर सकते हैं, उनसे क्या आशा की जा सकती है? जिनके वाइस-चांसलशिप में गोलियां चली हों और छात्र मारा गया हो उनके मंत्रित्वकाल में हम यह आशा नहीं कर सकते कि जनतंत्र कायम रखने के लिये वह कोई विधेयक लायेंगे। आटोनामी पर जिस प्रकार से आघात हो चुका है वह साफ जाहिर हो चुका है। एक तरफ तो यूनिवर्सिटी के छात्रों के इंडिसिप्लिन पर बहुत नुक्ताचीनी करते हैं लेकिन यहां जो उनके अन्दर इंडिसिप्लिन है और जो इस बिल के द्वारा नुमायां हो रही है उसका उदाहरण कहीं भी नहीं मिल सकता। राधाकृष्णन् जी ने कहा है, श्रीमन्,

"If India is to confront the confusion of our time, she must turn for guidance to her men of letters, and men of science, to her poets and artists, to her discoverers and inventors."

यदि भारत को वर्तमान समय के संदेह को दूर करना है तो उसे अपने राष्ट्र के बुद्धिजीवियों की ओर सलाह हेतु देखना होगा और अपने वैज्ञानिकों तथा कलाकारों व कवियों तथा आविष्कारकों की ओर सहायतार्थ आंख उठानी होगी।

श्री अध्यक्ष—तो आप ऐसे ही लोगों को कानून बनाने के लिये यहां जमा कर दीजिये हम सब लोगों की जगह।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैंने जैसा कहा था, आपको टीचर्स में भी एसे लोग मिल जायें जो पिटे हुए, फ्रस्ट्रेटेड, गिरे हुए, गुट्टबन्दी में पड़े हुए इनकी हां में हां मिलाने के लिये हाजिर हों। लेकिन टीचिंग जो एक नोबिल प्रोफेशन है उसके आदमी इस सदन में खड़े हुए अपना संशोधन ले कर तो उसको मानने के लिये सरकार तैयार नहीं हुई तो वे चुप बैठ गये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि अब भी और इस आखिरी वक्त में सरकार को सद्बुद्धि आयेगी और इसको वापस लेने की अकलमन्दी करेगी।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तृतीय वाचन के अवसर पर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक दो निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन तो यह है कि कोर्ट द्वारा वाइस-चांसलर का चुनाव हो। अगर माननीय शिक्षा मंत्री इसको नहीं मानेंगे तो माननीय मंत्री को मैं डराना तो नहीं चाहता लेकिन वह ऐतिहासिक भूल करेंगे शिक्षा जगत में और शिक्षा विशारदों की राय, उनके अनुभवों तथा कार्य प्रणाली को देखते हुए जो कुछ अनुभव हम प्राप्त कर चुके हैं उसके आधार पर माननीय मंत्री ने इसको न मान कर बड़ी भारी ऐतिहासिक भूल की है। माननीय मंत्री ने इस विधेयक क द्वारा ५ यूनिवर्सिटीज के ५ पापों को तो धो

[श्री उग्रसेन]

दिया लेकिन तृतीय वाचन के अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न सिर्फ हटाने का नहीं है, बैठाने का भी प्रश्न है । बैठाने के लिये अगर माननीय मंत्री जी ने गलती की और नौकरशाही के चक्कर में फंसे रहे तो फिर हम लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे और शिक्षा जगत व शिक्षा विशारद माननीय मंत्री के कुकृत्यों पर उनको लज्जा देंगे, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करेगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—हम सवा ५ बजे तक बैठेंगे ।

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी वे एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायेंगे । इस बात पर कतई दो रायें नहीं हैं कि विश्वविद्यालय में राजनीति कतई होना नहीं चाहिये । तो चुनाव की जो पद्धति रखी गई है उसे हम कतई मानने को तैयार नहीं हैं । इस समय तो भले ही रश इन करना पड़े किसी कांटिंजेंसी की वजह से, किन्तु बेहतर यही होगा अगर यह कर दिया जाय कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो वह अपने आप स्वतः कालावधि में वाइस-चांसलर हो जाया करे । जितनी भी चुनाव की पद्धतियां है, जैसे विद्यार्थियों के बीच में हैं, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, आज तो मैंने हाउस का समय बिलकुल नहीं लिया क्योंकि मैं जानता था कि मंत्री जी मानने वाले नहीं हैं, लेकिन आज मैं उनकी याददाश्त के लिये फिर कह दूं कि छात्रों में भी यूनियन हैं, सारी खुराफात वहां होती है, अगर छात्रों की यूनियन में भी हम यह परिवर्तन कर दें कि जो लड़का पिछले साल सब से पहला पास हुआ हो वह यूनियन का प्रेसीडेंट बने और जो दूसरे नम्बर पर पास हुआ हो वह वाइस-प्रेसीडेंट बने तो जो आज लड़कों में वोटों के लिये होड़ मचती है तब यह कोशिश करेंगे कि नम्बर किस तरह से ज्यादा आयें । माननीय मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिये और यूनिवर्सिटी कमीशन के सामने इसको रखना चाहिये ।

दूसरे, वाइस-चांसलर के लिये अगर इतना भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो चूंकि यूनिवर्सिटीज सारे हिन्दुस्तान में हैं इसलिये मंत्री जी अन्य प्रदेशों से भी बात करें और आल इंडिया बेसिस पर सभी प्रान्तों के शिक्षाविदों का एक बोर्ड बनायें तो फिर उसमें किसी को कोई आक्षेप करने का मौका नहीं रहेगा ।

इसके अलावा सब से मुख्य बात यह है कि मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द बढ़े, एक धर्म वाले दूसरे धर्म की अच्छी अच्छी बातें जानें, बुरी-बुरी बातें तो दुनिया भर में सुनाई पड़ती हैं । इसके अलावा छात्र और अध्यापक एक दूसरे के अधिक सम्पर्क में आ सकें ताकि एक दूसरे की भावनाओं का आदान-प्रदान हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिये । तो अन्त में मैं यही कहूंगा कि मंत्री जी ऐसा कोई बिल लाने की शीघ्र कृपा करें ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह—मान्यवर, मुझे तो यह कहना है कि यह कानून बनने के बाद यह उत्तर प्रदेश का काला कानून कहलायेगा और सरकार यदि लज्जाहीन नहीं है तो उससे मैं यह कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है कि वह अपने को सुधार ले । यह मैं मानता हूं कि कुछ उप-कुलपति इस प्रदेश में ऐसे हैं जिनका एक घंटा भी रहना उचित नहीं है और यदि उनमें भी लज्जा होती तो उन्होंने पहले ही अपना पद त्याग दिया होता । श्रीमन्, आपकी वजह से यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इनको कम से कम कुछ कह तो लूं ।

कुछ लोगों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का हवाला दिये जबकि उन्होंने यह देखने का कष्ट नहीं किया कि वहां क्या तरीका है । अमरीका में

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं उस मुल्क के लिये नहीं कहता हूं लेकिन उधर बैठने वाले अपने दोस्तों को यह बताना चाहता हूं कि वहां बहुत सी जगह मेट्रोपालिस हैं जहां पर यूनिवर्सिटीज चलाई जा रही हैं। महज आर्थिक सहायता देना ही अगर सरकारी हस्तक्षेप का कारण है तो मैं समझता हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी की आटोनामी बहुत दिन तक नहीं रहेगी। आखिर सरकार तो ऐसी चीज है जिसको हर बाजू को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देनी होगी। तो क्या मैं समझूं कि रूस और चीन की तरह यहां भी सेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर होगा? श्रीमन यही नहीं, इस प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि मैं गलत न समझा जाऊं, जब मैं चांसलर कहता हूं तो लखनऊ, आगरा, हर यूनिवर्सिटी के ऐक्ट के मुताबिक जो चान्सलर की परिभाषा है उससे मेरा मतलब है—चांसलर, श्रीमन, असहाय है, निर्बल है और लेखपाल अधिक प्रभावशाली है। वह कब्जा लिख सकता है बगैर सरकार से पूछे लेकिन जो चांसलर हैं वह एक दरख्वास्त पर आज्ञा तक नहीं दे सकते हैं बिना सरकार की आज्ञा, यह तो उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यप्राणाली है। चांसलर का नामिनी यूनिवर्सिटी में कौन होगा वह उत्तर प्रदेश सरकार का नामिनी होगा। सौभाग्य से हमारे मन्त्री महोदय आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुये हैं लिहाजा उनके मन्त्रित्व काल में मैं तो यह आशा नहीं करता था कि इस तरह से आटोनामी पर कुठाराघात होगा। मैं इन शब्दो के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और जिन मान ीय सदस्य ने अभी भाषण दिया है उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इस बिल के लाने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार के बारे में तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन वे लोग जिनके लिये यहां बिल आया है वे भी इंसल्ट प्रूफ हैं और आसानी से बिना निकाले हुये इस कूचे से निकलने वाले नहीं हैं। वह इंसल्ट प्रूफ हैं उनके लिये हिन्दी में मेरे पास कोई शब्द नहीं है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय विधेयक आज पारित होने जा रहा है यह गला घोंटू विधेयक है और मैं तो इसे सारे संसार में सबसे अधम अगर कहूं तो अनुचित नहीं होगा। केवल रूस को छोड़कर सारी दुनिया में ऐसा गला घोंटू बिल कहीं नहीं है। रूस को तो छोड़ दीजिये, हिटलर के जर्मनी में, तोजो के जापान में और यहां तक कि यहूदियों के जेरूसलम यूनिवर्सिटियों में ऐसा विधेयक नहीं लाया गया है। रूस की बात तो अलग है वहां तो एक्जामिनर्स की लिस्ट भी सरकार से ऐप्रूव करानी होती है लेकिन हमारे यहां नहीं है। क्या आप वही रशा का नियम धीरे-धीरे करके यहां भी लावेंगे? मैं कहना चाहता हूं एक शब्द में यह विधेयक विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण है। यह विश्वविद्यालययों से पार्टीबाजी और गुटबन्दी को हटाने के लिये नहीं है बल्कि उसको शाश्वत रूप से प्रतिष्ठा करने के लिये यह बिल सदन में लाया गया है और यह बिल पार्टीबाजी की प्रतिष्ठा करेगा।

यहां पर सरकारी फोबिया की बात कही गई थी। मान्यवर, हमें फोबिया नहीं है। फोबिया हमारे उन मित्रों को है जो आज सरकार में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री जब कल मन्त्री नहीं थे, बाहर थे तब जौनपुर और अलीगढ़ के मामले में कहते थे कि उस वक्त की गवर्नमेंट उनके कामों में उनके पीछे कलेक्टर्स भेजती है। कल तो यह कहते फिरते थे आज दूसरों पर अट्टहास करते हो, उपहास करते हो।

मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश और देश के शिक्षा के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। आज तो आपने एक संशोधन कर दिया तो एक बार संशोधन हो जाय लेकिन हर तीसरे महीने विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन लाने की परम्परा खत्म होनी चाहिये। मैं चाहता हूं आप जैसा चाहें आज यह विधेयक बना लें, चाहे आप यही कर लीजिये कि तीन व्यक्ति ऐसे वैसे रहेंगे जिनको अधिकार होगा या जिनमें से वाइस चांसलर बनाये जायेंगे, या और अधमाधम जैसा भी प्राविजन लाना चाहें ले आइये लेकिन एक बार ले आइये, बारबार न लाइये, हर तीसरे महीने न लाइये। अब तो इस विधान सभा का पीरियड भी समाप्त होने वाला है लेकिन इसके पहले इसमें फिर संशोधन

[श्री गौरीशंकर राय]

ला सकते हैं कि इसको इस तरह से किया जाय और इस तरह से किया जाय। यह स कुछ आप कर रहे हैं लेकिन आपको यह भी तो सोचना चाहिये कि हमारे राज्यपाल जो चां र हैं उनको राज्यपाल ही रहने दीजिये शिशुपाल मत बनाइये, राज्यपाल को राज्यपाल ही रहने दीजिये।

मान्यवर, मेरा सरकार से निवेदन है कि राज्यपाल को राज्यपाल ही रहने दीजिये उन्हें चांसलर बनाकर शिशुपाल न बनाइये।

*आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिन भर मैंने बड़े गौर से जो संशोधन पेश किये गये, उनके पक्ष में और विपक्ष में जो भाषण दिये गये, उनको सुना। एक बात मैंने आज भी और जिस दिन इस पर आम बहस हुई थी उस दिन भी सुनी कि हमारे विरोधी दलों को एक बड़ा भारी अविश्वास है ऐसे विधेयक के प्रति जिसको गवर्नमेन्ट ने लाना आवश्यक समझा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्य आपस में बातचीत कर रहे हैं जिसकी वजह से सुनाई नहीं देता है, कृपा करके शान्त हो जाइये।

आचार्य जुगलकिशोर—इस विधेयक के लाने की आवश्यकता इसलिये हुई जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और इधर के बैठने वाले मेरे साथियों ने भी कहा कि आज विश्वविद्यालयों में दूषित वातावरण पैदा हो गया है और जिसके कारण आज विश्वविद्यालय जो उनके उद्देश्य हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में कोई भी गवर्नमेन्ट जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जो जनता के धन को जो यूनिवर्सिटीज के लिये व्यय करती है, उसका कर्त्तव्य हो जाता है, चाहे विरोधीदल वाले उसके प्रति कुछ भी मंशा रखते हों, वहां सुधार के लिये कुछ न कुछ कदम उठाये और यह विधेयक जो सदन के समक्ष है, उसका उद्देश्य यही है।

यह कहा गया है कि इस विधेयक के द्वारा हम डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं, हम टोनामी को इंकार कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब विरोधी दल के सदस्य समझते हैं। जो गवर्नमेन्ट एक मैजोरिटी पार्टी की, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है वह यदि कोई विधेयक सामने लाती है तो वह अनडेमोक्रैटिक हो जाता है। उनका मतलब अगर यह है कि यूनिवर्सिटीज में डैमोक्रेसी हो तो सही माने में उस समय डैमोक्रेसी हो सकती है, जब कि ६०,००० विद्यार्थी अपने वाइस-चांसलर को चुने। क्या आप मुनासिब समझते हैं कि वाइस चांसलर या अध्यापकों का चुनाव विद्यार्थियों के द्वारा किया जाय? मैं चाहूंगा कि ऐसा दिन शीघ्र आ जाय जब हमारे विद्यार्थियों और अध्यापकों का स्तर इतना ऊंचा हो जाय कि विद्यार्थीअच्छे से अच्छे टीचर्स को चुन सकें और टीचर्स ऐसे योग्य हों जिनको विद्यार्थी अपना प्रतिनिधि चुनना मुनासिब समझें।

इस विधेयक के खिलाफ जो दलीलें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो यह कि चुनाव के तरीके को छोड़ कर सेलेक्शन के तरीके का इस्तेमाल किया गया है, वह गलत है। दूसरा यह कि जो सेलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके जो सदस्य बनाये जायेंगे वह विरोधी दलों के खयाल से गवर्नमेन्ट के आदमी होंगे या उसमें गवर्नमेन्ट का प्रभुत्व होगा। जहां तक सेलेक्शन के सिस्टम का सम्बन्ध है, उसका आधार यह है कि हम इलेक्शन की प्रथा वाइस चांसलर के चुनाव के लिये हों, के खिलाफ हैं। जो कुछ तजुर्बा हमें हासिल हुआ उससे हम समझते हैं कि वाइस चांसलर अगर योग्य व्यक्ति को चुनना है, जिसकी प्रतिष्ठा कायम रह सके और वह विद्वान पुरुष हो तो उसको एक सेलेक्शन कमेटी ज्यादा अच्छी तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से देख सकती है बनिस्बत एक्जीक्यूटिव कौंसिल क या किसी और बाडी के, इस बात को मानते हुये हमने इस चीज को रखा है।

अब रह गया यह कि सेलेक्शन कमेटी में कौन सदस्य हों? एक तो इसमें चीफ जस्टिस का नुमायन्दा होगा जो हाई कोर्ट के जज की हैसियत का होगा। क्या यह समझते हैं कि जो हाई कोर्ट के जज की हैसियत का सदस्य होगा और चीफ जस्टिस उसको चुनेगा वह ऐसा व्यक्ति होगा जो गवर्नमेन्ट से दबकर ऐसे व्यक्ति के चुनने के पक्ष में होगा जो विश्वविद्यालय के लिये हानिकारक हो? क्या कोई यह खयाल कर सकता है? क्या एग्जिक्यूटिव कौंसिल जिसकी दुहाई दी जाती है कि वह एक व्यक्ति चुन कर भेजेगी, क्या वह ऐसा व्यक्ति होगा जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ काम करेगा? या ऐसे व्यक्ति को वह चुनने की कोशिश करेगी जो यूनिवर्सिटी के लायक न हो?

सब से बड़ा जो उनको आघात है वह यह है कि वह चांसलर का नामिनी होगा। चांसलर हमारे प्रदेश में बड़ी हस्ती रखते हैं। राज्यपाल हैं। राज्यपाल जी के प्रति हम सब लोगों की श्रद्धा होनी चाहिये। आदर की भावना होनी चाहिये। हम यह आशा करते हैं कि राज्यपाल जिस पोजीशन पर बैठते हैं वहां से वह न्याय करेंगे और जहां तक हो सकेगा प्रदेश और यूनिवर्सिटी के हित में काम करेंगे। अगर एक मिनट के लिये यह मान भी लिया जाय कि चांसलर गवर्नमेन्ट की राय से किसी व्यक्ति को चुनेगा तो कौन सा दोष है? एक कमेटी में चांसलर का एक प्रतिनिधि, चाहे वह गवर्नमेन्ट की राय से ही चांसलर क्यों न नामिनेट करे, क्या इतनी खराबी पैदा कर देगा कि यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को चुनने में वह योग्यता और ईमानदारी नहीं दिखलायेगा? मैं समझता हूं कि यह केवल अविश्वास है, भ्रम है। एक भावना पैदा हो गई है कि जो कुछ भी गवर्नमेन्ट करती है गलत करती है और अपने कब्जे म सब चीजों को रखना चाहती है। जनता ने हमको प्रदेश के शासन संचालन का अधिकार दिया है। क्या यह गवर्नमेन्ट इतना भी अधिकार नहीं रखती कि यूनिवर्सिटी को चलाने के लिये अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुने और अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुनने के लिये प्रतिनिधि भेजे। यद्यपि चांसलर का प्रतिनिधि गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधि नहीं होगा, चांसलर गवर्नमेन्ट की राय जरूर ले सकता है। मैं समझता हूं कि बहुत हद तक चांसलर सलाह मश्विरा करके उसको नामिनेट करेगा। मैं आशा करता हूं कि यह जो भावनायें विरोधी दल के सदस्यों में पैदा हो गई हैं, वह उनको दूर करेंगे और देश के निर्माण में, यूनिवर्सिटी के निर्माण में वह अपना सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Universities Bill, 1961], जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:

पक्ष में—७४,

विपक्ष में—२१)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३० मार्च, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२० पर)

विकास मद योजनायें	वास्तविक आंकड़े १९५९–६०	व्यय १९६०–६ में ३१ जनवरी १९६१ तक
पर्वतीय क्षेत्र—	(लाख रुपयों में धनराशि)	
१—कृषि विभाग योजनायें—		
(१) कृषि	१.७४०	०.३४८
(२) उद्यान कर्म	३.९२०	०.९३६
(३) छोटी सिंचाई योजनायें—		
(अ) सिंचाई विभाग ..	१.८००	५.२४४
(ब) नियोजन (ग) विभाग ..	०.६१०	०.७८४*
बन योजनायें—		
(४) वन	५.६६०	३.५९५
उद्योग और खान खोदना—		
२—ग्रामीण तथा लघु उद्योग योजना ..	४.४९०	२.३९४
परिवहन तथा संचय—		
३—सड़क निर्माण कार्यक्रम	९.५२०	१६.४०५
समाज सेवायें—		
४—पेय जल सम्बन्धी योजनायें	२.९९०	१.१२०
बिजली योजनायें (जल विद्युत) ..	..	..
पर्यटन	..	..
पूर्वी जिले—		
कृषि—		
(१) कृषि	६.०००	३.२८९
(२) पशुपालन	०.२००	०.१६७
(३) मीन क्षेत्र	१.४४०	०.१४३
(४) अल्प सिंचाई		
(अ) सिंचाई विभाग ..	९.९८०	१४.०४०
(ब) नियोजन (ग) विभाग ..	०.९००	०.२७०*

*३१ दिसम्बर, १९६० तक प्राप्त की हुई सूचना।

विकास मद योजनायें			वास्तविक व्यय आंकड़े १९५९–६०	वास्तविक व्यय १९६०–६१ में ३१ जनवरी, १९६१ तक
			(लाख रुपयों में धनराशि)	
उद्योग और खान खोदना—				
ग्राम तथा कुटीर उद्योग	..	..	११.८७०	१७.५८१
परिवहन तथा संचय—				
सड़कें	..	..	५.५६०	८.०८३
जल निकास	..	..	१०.०००	६.८६५
बुन्देलखंड—				
(अ) अल्प सिंचाई सिंचाई विभाग	..	..	१.९२०	१०.२१७
(ब) ग्राम तथा कुटीर उद्योग		..	५.०००	२.७७०
(स) परिवहन तथा संचय सड़कें		..	२.९००	३.९४२
जिला मिर्जापुर—				
अल्प सिंचाई सिंचाई विभाग	..	..	०.८४०	२.५७२
उत्तर प्रदेश के शेष विभागों में जल निकास			१४.०२०	२९.०१७
योग		..	१०१.३६०	१२९.७८२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

गोरखपुर क्षेत्रीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुए सेमिनार में उद्योग में आवश्यक प्रगति न होने के मुख्य-मुख्य कारण निम्न प्रकार बताये गये थे :

(१) नियमित वस्तुओं और कच्चा माल जैसे लोहा, इस्पात व कोयला की प्राप्ति में कठिनाई।

(२) विभागीय योजनाओं का समुचित प्रचार न होना।

(३) खादी एवं अम्बर योजनाओं के अन्तर्गत सूत का क्रय व कपड़े की बुनाई का अनुचित प्रबन्ध।

(४) खंडसारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये शक्कर मिलों के रिजर्व क्षेत्रों में कमी करने का सुझाव।

(५) छितौनी और दोहरीघाट में पुल न होने के कारण यातायात में कठिनाई।

इस सम्बन्ध में विभाग जो कार्यवाही कर रहा है वे इस प्रकार हैं :

सामान की उपलब्धता को देखते हुए हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। आवश्यकतानुसार वैगनों के न मिलने के कारण कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता है। लोहे की चादरों की भी देश में साधारणतया कमी है। इस दिशा में विभाग प्रयत्नशील है। आशा की जाती है कि अगले कुछ समय में यह कठिनाई दूर हो जायेगी।

प्रकाशन प्रदर्शनी समितियों की विशेष बैठक एवं सम्मेलनों द्वारा विभागीय योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैभागिक फिल्म आदि भी दिखाई जा रही हैं। जिला स्तर पर संभावित कारखानेदारों व अन्य नागरिकों को संपर्क में लाकर योजनाओं का प्रचार किया जाता है।

खादी एवं अम्बर योजनाओं के अन्तर्गत खादी योजना का सूत गांधी आश्रम द्वारा और अम्बर योजना का सूत इस विभाग द्वारा क्रय कर लिया जाता है। कपड़ा बुनने के लिये अम्बर उत्पादन केन्द्रों में उचित प्रबन्ध है। वर्तमान केन्द्रों में अम्बर सहकारी समितियां बनाई गई हैं और आशा की जाती है कि भविष्य में अम्बर सूत की खरीद तथा बुनाई इन समितियों द्वारा सुचारु रूप से हो सकेगी।

शक्कर मिलों की क्षमतानुसार गन्ना आयुक्त प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद) विनियमन, १९५३ की धारा १५ के अनुसार शक्कर मिलों के लिये क्षेत्रों को सुरक्षित करते हैं।

दोहरीघाट में पुल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। छितौनी के सम्बन्ध में कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२३ पर)

प्रतिनिधिमन्डल की मांगें

(१) कानपुर के सूती मिलों में काम करने वाले क्लर्क सूती वेतन मंडल की रिपोर्ट आने से पूर्व केवल एक श्रेणी में थे जिसे 'क्लर्क' कहा जाता था, यहां पर कोई दूसरी श्रेणी ही नहीं थी जैसा कि विन्ध्यवासिनी कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। राज्यादेश दिनांक २९-७-६० में भी किसी को सेमी क्लर्क बनाने की घोषणा नहीं की गयी थी किन्तु कानपुर के मिल मालिकों ने ६० प्रतिशत से अधिक क्लर्कों को सेमी क्लर्क बनाकर वेतन मंडल से मिलने वाले पूर्ण लाभ से उन्हें वंचित कर दिया है। अतः क्लर्कों के स्टेटस को बनाये रखकर मिल मालिकों द्वारा बनाये गये कथित सेमी क्लर्कों को "क्लर्क" घोषित कर जूनियर क्लर्कों को मिलने वाला लाभ दिलाय जावे। इस सम्बन्ध में इसके पूर्व भी भूतपूर्व मुख्य मंत्री व सचिव श्रम विभाग से पत्र व्यवहार हो चुका है, और आश्वासन भी मिल चुके हैं।

(२) ग्रेजुएट, स्टेनोग्राफर, काम्पटोमीटर क्लर्क, टैलीफोन आपरेटर, कम्पाउन्डर, एड्रेमा व फ्रेंकलिन क्लर्क जो साधारण क्लर्कों से विशेष योग्यता रखते हैं उन्हें "अन्य क्लर्क" की श्रेणी में घोषित कर वेतन मंडल से मिलने वाली "अन्य क्लर्कों" की सुविधायें दी जावें।

(३) मजदूरो की भांति ही क्लर्कों की परसनल वेज को अलग रखा जाय। मिल मालिकों द्वारा परसनल वेज को वेतन मंडल द्वारा मिली वेतन वृद्धि में एडजस्ट न किये जाने की घोषणा की जाय।

(४) वेतन मंडल की रिपोर्ट लागू होने से पूर्व जिन क्लर्कों को अधिक मंहगाई भत्ता मिलता था उसमें कोई कटौती न करके पूर्ववत मिलने की घोषणा की जावे।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर।)

अप्रैल, १९६०से दिसम्बर, १९६० तक आजमगढ़ जिले में घरेलू ईंधन के लिये साफ्ट/हार्ड कोक तथा स्टीम कोल के आवंटन तथा प्राप्ति की सूची

आवंटन	७८ वैगन्स
मास	प्राप्ति
अप्रैल, १९६०	४
मई, ,, ...	—
जून, ,, ...	४
जुलाई, ,, ...	६
अगस्त, ,, ...	७
सितम्बर, ,, ...	११
अक्तूबर, ,, ...	८
नवम्बर, ,, ...	१०
दिसम्बर, ,, ...	११
योग ..	६१ वैगन्स
	७८.२ प्रतिशत प्राप्ति

अप्रैल, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक आजमगढ़ जिले में ईंट पकाने के लिये कोयला चूर के आवंटन तथा प्राप्ति की सूची

आवंटन	२,१२९ वैगन्स
मास	प्राप्ति
अप्रैल, १९६०	३६
मई, ,, ...	३३
जून, ,, ...	२४
जुलाई ,, ...	९
अगस्त, ,, ...	—
सितम्बर, ,, ...	४४
अक्तूबर, ,, ...	७३
नवम्बर, ,, ...	१०५
दिसम्बर ,, ...	४७
योग ..	३७१ वैगन्स
	१७.४ प्रतिशत प्राप्ति।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

सुल्तानपूर जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में वितरित सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	नाम तहसील	अहेतुक सहायता	विवरण की तिथि	गृह निर्माण के लिये सहायता	विवरण की तिथि	तकावी (विपत्ति-कालीन तथा बीज)	विवरण की तिथि	अन्य सहायता	विवरण की तिथि
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	सुल्तानपुर ..	१३,६६३	१४–१०–६० से १५–१२–६०	२५,०००	६–२–६१ से २४–३–६१	२९,५००	नवम्बर १९६० से मार्च, १९६१	१२० कम्बल	१२–१–६१ से १५–३–६१
२	कादीपुर ..	६,७६६	,,	१०,०००	,,	३५,०००	,,	५७ कम्बल	,,
३	मुसाफिरखाना ..	७,५००	,,	१५,०००	,,	३०,०००	,,	७० कम्बल	,,
	योग ..	२७,९२९	..	५०,०००	..	९४,५००	..	२४७ कम्बल	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२९ पर)

गोरखपुर जिले के नवतनवां विकास खंड व लक्ष्मीपुर छाया खंड के उन विकास कार्यों का विवरण जिनके लक्ष्य २८-२-६१ तक पूरे नहीं हो पाये थे

क्रम-संख्या	विकास कार्य का नाम	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	मास फरवरी के अन्त तक किये गये कार्य	यदि अवधि के भीतर लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है तो उसके कारण
१	२	३	४	५
	विकास खंड नवतनवां			
	१—कृषि—हरी खाद बनाना एवं हरी खाद का बीज (मनो में)—			
	(१) ढैंचा द्वारा बीज बढ़ाना	३५०	३३२	लक्ष्य की पूर्ति की संभावना है।
	(२) मूंग टाइप ..	२,१००	..	नीची भूमि होने के कारण।
	२—सिंचाई के साधनों का समुचित उपयोग—			
	(क) सिंचाई के पक्के कुओं का निर्माण।	९३	६४	जनता का सहयोग न मिलने के कारण।
	(ख) सिंचाई के कुओं में बोरिंग	१६	७	लक्ष्य की पूर्ति की संभावना है।
	(ग) रहट ..	१६	६	लक्ष्य की पूर्ति की संभावना है।
	३—सहकारिता			
	प्रारम्भिक समितियों में सदस्यों की संख्या	४,०००	३,९००	लक्ष्य की पूर्ति की संभावना है।
	४—पंचायत—			
	(१) पंचायत घर ..	५४	२	आर्थिक अभाव के कारण।
	(२) पक्की सड़क का निर्माण	२ मील फर्लांग ४	—	,,
	(३) गांधी चबूतरा ..	३३	१०	,,
	(४) पुलिया निर्माण ..	४८	४३	,,

क्रम-संख्या	विकास कार्य का नाम	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	मास फरवरी के अन्त तक किये गये कार्य	यदि अवधि के भीतर लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है तो उसके कारण
१	२	३	४	५
५—पशुपालन—				
	(१) नस्ल सुधार			
	भैंसा, सांड़ ..	१०	३	रुपया जमा है परन्तु अच्छे नस्ल के सांड़ न मिलने के कारण सप्लाई नहीं हो सकी
	(२) पशुओं को टीका लगाना—			
	पोंकनी ..	५९,८००	४७,३५	आर० पी० उन्मूलन में टीका लगा था अब केवल उन्हीं पशुओं के लगा जो बाकी थे।
	(३) उन्नतिशील पक्षी वितरण—			
	पक्षी वितरण ..	१७०	११५	सप्लाई न होने के कारण।
	(४) फुटपाथ ..	१५	१	इस विषय पर जनता की रुचि न होने के कारण।
६—जनस्वास्थ्य—				
	(१) कूप मरम्मत ..	१९५	१७०	जनताका पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण।
	(२) हाथ नल ..	१८०	१३१	अनुदान की न्यूनता के कारण।
	(३) खड़ंजा निर्माण ..	५ मील	१ मील, ४ फर्लांग, १७६ गज	,,
७—समाज शिक्षा—				
	सामूहिक रेडियो सेट ..	१०	३	जनता से रुपया न मिलने के कारण।

क्रम-संख्या	विकास कार्य का नाम	द्वितीय पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य	मास फरवरी के अन्त तक किये गये कार्य	यदि अवधि के भीतर लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना नहीं है तो उसके कारण
१	२	३	४	५
	छाया क्षेत्र लक्ष्मीपुर			
१—कृषि—				
(१) रसायनिक खादों का वितरण—				
	(अ) नाइट्रोजन्स ..	१६३ टन	८१ टन	आंसिचित क्षेत्र के कारण
	(ब) फास्फेटिक ..	३३ टन	११ टन	,,
(२) हरी खाद (एकड़ों में)—				
	(अ) सनई ..	९०	५०	,,
	(ब) मूंग ..	८०	३३	,,
(३) जापानी ढंग से धान की खेती (एकड़ में)। ..		१,७३१	१,७००	,,
(४) खरीफ की फसलों की पंक्ति में बोवाई (एकड़ में)		७,०००	५,०००	,,
(५) उत्तर प्रदेशीय ढंग से खेती—				
	(अ) गेहूं की साधारण पद्धति द्वारा बोवाई (एकड़ में)	१,१००	५०९	,,
	(ब) विशेष पद्धति द्वारा (डिबलिंग द्वारा) गेहूं की बोवाई (एकड़ में)	२१०	१७५	,,
	(स) विशेष पद्धति द्वारा (डिबलिंग द्वारा) जौ की बुवाई (एकड़ में)	२१०	७५	,,
	(द) रबी की अन्य फसलों की पंक्ति में बुवाई (एकड़ में)	६,३०३	३,१७५	,,
	(ध) मेड़बन्दी (एकड़ में)	३०,०००	२१,९५०	,,
(६) कृषि के उपकरणों की पूर्ति पैडीवीटर		१५	६	जनता से रुपया न मिलने के कारण

क्रम-संख्या	विकास कार्य का नाम	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	मास फरवरी के अन्त तक किये गये कार्य	यदि अवधि के भीतर लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना नहीं है तो उसके कारण
१	२	३	४	५
	२—सिंचाई—			
	(अ) मेसनरी कूप ..	४५	२५	लक्ष्य की पूर्ति की संभावना है।
	(ब) कुओं में नल गलाना	२८	३	,,
	(स) रहट ..	१७	२	,,
	(द) पम्पिंग सेट ..	४	३	,,
	३—सहकारिता—			
	समितियों में भरती हुए सदस्यों की संख्या	१२,०००	११,३७०	,,
	४—जनस्वास्थ्य—			
	कुएं सुधारे गये ..	१०८	९०	,,
	५—पंचायत—			
	(अ) नये पंचायत घरों का निर्माण	१५	५	आर्थिक अभाव के कारण
	(ब) पक्की सड़क जो बनी ..	२ मील	१ मील ७ फर्लांग	लक्ष्य की पूर्ति की संभावना है।
	(स) पुलियों का निर्माण ..	४९	३१	,,
	(द) पंचायत टैक्स की वसूली	४,५६७ रुपये	२,९३६ रुपये, ५६ नये पैसे	निर्वाचन के कारण वसूली नहीं हुई अभियान चलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ होने वाला है।